भारत में स्वयंसेवी सेक्टर के लिये समर्थकारी वातावरण

एक अध्ययन रिपोर्ट

VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR
VANI

वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)

भारत में स्वयंसेवी क्षेत्र के लिये समर्थकारी वातावरण : एक अध्ययन रिपोर्ट

लेखक – *वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वानी)*

जून 2014

कॉपीराइट – वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वानी)

इस पुस्तक की सामग्री को पूर्ण या आंशिक रूप से प्रकाशक की स्वीकृति के साथ प्रकाशित किया जा सकता है।

भारत में समर्थकारी वातावरण का राष्ट्रीय आंकलन (ईईएनए) सिविक स्पेस इनिसेएटिव की पहल का हिस्सा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय लाभविहीन कानून के अनुच्छेद 19 के साथ और विश्व लोकतांत्रिक आंदोलन की भागीदारी में सिविक्स द्वारा लागू किया गया तथा स्वीडन की सरकार द्वारा इसे सहायता प्राप्त थी।

इस रिपोर्ट के लिये स्वीडन की सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान दिया गया है। लेकिन स्वीडन की सरकार का इस रिपोर्ट में व्यक्त किये गये विचारों से सहमत होना अनिवार्य नहीं है। इस सामग्री की पूरी जिम्मेदारी लेखक की है।

हिन्दी अनुवादक : संदीप कुमार सिन्हा

प्रकाशक
वालेंटरी एक्शन नेटवर्क (वानी)
बी.बी. – 5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश एनक्लेव –II,
नई दिल्ली –110048
भारत
टेलीफोन : 011–29228127, 29226632
फैक्स : 011–41435535
ई–मेल : info@vaniindia.org
वेबसाइट : www.vaniindia.org

डिजाइनकर्ता : *राजकुमार शर्मा*

मुद्रणकर्ता :
प्रिन्ट वर्ल्ड : 9810185402
ई–मेल : printworld96@gmail.com

भारत में स्वयंसेवी सेक्टर के लिये समर्थकारी वातावरण

एक अध्ययन रिपोर्ट

VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR
VANI

वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वानी)
बी.बी. – 5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इनक्लेव –।।,
नई दिल्ली –110048 (भारत)
टेलीफोन : 011–29228127, 29226632
फैक्स : 011–41435535
ई–मेल : info@vaniindia.org वेबसाइट : www.vaniindia.org

प्रस्तावना

आज तमाम देशों में स्वयसेवी संगठन संकट के दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि इनकी भूमिका व प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाये जा रहे हैं। यह संकट सबसे ज्यादा उन स्वयंसेवी संगठनों के लिये हैं जो जनाधिकारों के लिये संघर्ष कर रहे हैं और सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों पर सवाल उठाते हैं। पिछले दिनों भारत में गृह मंत्रालय को दी गई इंटीलेजेन्स ब्यूरों (आईबी) की एक रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आये जिनमें स्वयंसेवी संगठनों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को दो से तीन प्रतिशत की हानि पहुँचाने का आरोप लगाया गया था। इस रिपोर्ट में विशेषतः उन स्वयंसेवी संगठनों पर अंगुली उठाई गई थी जिन्होंने सरकार की उन विकास योजनाओं का विरोध किया गया था जिनके द्वारा गरीब और हासिये पर रहनेवाले लोगों को अपने घरों से निर्वासित होना पड़ता। यह स्पष्ट है कि स्वयंसेवी सेक्टर की बढ़ती भूमिका और उसके प्रभाव के कारण ही सरकार से टकराव की स्थिति बनी। भारत में स्वयंसेवी संगठनों ने आम लोगों के जीवन स्तर पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। विशेषतः विभिन्न सेवायें, सहायता, क्षमता विकास और शोधों पर आधारित उनके जीवनस्तर में एक गुणात्मक बदलाव किया है। स्वयंसेवी संगठन आम नागरिकों के जीवन के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के सभी अहम पहलूओं पर काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी स्वयंसेवी सेक्टर के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है जो कि उनकी अपनी एक स्वतंत्र पहचान न होने के कारण है। तमाम अन्य संस्थायें जैसे निजी अस्पताल, धार्मिक संगठन, फाउंडेशन, स्कूल, स्पोर्टस क्लब और मोहल्ला कल्याण समितियाँ (आरडब्ल्यूए) भी स्वयंसेवी संगठन के अंतर्गत ही पंजीकृत की जाती हैं। सरकार द्वारा चलाये जानेवाले तमाम संगठन भी गैर–सरकारी संगठनों के रूप में पंजीकृत किये जाते हैं। स्वयंसेवी संगठनों की इस लचर परिभाषा के कारण न सिर्फ गैर–सरकारी स्वयंसेवी संगठनों की संख्या में इजाफा हुआ है बल्कि स्वयंसेवी सेक्टर की पारदर्शिता और जवाबदेही में भी कमी आई है। स्वयंसेवी संगठनों के पंजीकरण का कानून उन्नीसवी सदीं का है। आज इस सेक्टर की पहचान और कार्यप्रणाली में बहुत सारे परिवर्तन हुये हैं जिसको कानून में शामिल नहीं किया गया है। स्वयंसेवी संगठनों की स्थिति और भी खराब होने का एक कारण धन का अभाव भी है। भारत आर्थिक दृष्टि से मध्यम आय वाला राष्ट्र बन रहा है इसलिये कई अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण संस्थाओं नें आर्थिक सहायता देनी बंद कर दी है। भारत सरकार भी विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 2010 और डायरेक्ट टैक्स कोड बिल जैसे कानूनों के जरिये स्वयंसेवी संगठनों पर शिकंजा कस रही है। स्वयंसेवी सेक्टर के लिये इस कठिन वातावरण के कारण वानी को यह अध्ययन करना पड़ा। इन तमाम समस्याओं पर स्वयंसेवी संगठनों की बैठकों में लम्बा विचार–विमर्श हुआ जिनमें यह तय पाया गया कि कानूनी और नीतिगत ढांचे पर विचार करने के लिये ऐसा अध्ययन किया जाय जिससे इस सेक्टर की स्थिति और उनकी चुनौतियों को समझा जा सके। समर्थकारी राष्ट्रीय आंकलन वातावरण कार्यप्रणाली जिसको सिविक्स और आईसीएनएल ने मिलकर विकसित किया इस आंकलन के आवश्यकता के अनुरुप है।

देखने में हमारा यह अध्ययन बहुत महत्वाकांक्षी लगता है और संभव है कि इसे पढ़ने वाले लोग उन तमाम प्रश्नों के उत्तर जानना चाहे जो उन्हें परेशान कर रहे हैं। लेकिन स्वयंसेवी सेक्टर बहुत विविधतापूर्ण है और क्योंकि यह अध्ययन छह माह के एक छोटे से अंतराल में किया गया इसलिये संभव हैं कि शायद सभी लोगों के विचार इसमें समाहित न हुये हों। हमारा प्रयास रहा है कि हम इन छह माह में उन तमाम मुख्य मुद्दों को सामने ला सकें जो भारत में स्वयंसेवी संगठनों को प्रभावित कर रहे हैं और आपसी परामर्शों द्वारा कुछ ठोस सुझाव भी निकाल सकें। लेकिन यह कोई एक बार में खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह अध्ययन उस कार्य योजना का आधार होगा जिसके द्वारा वानी देश में स्वयंसेवी सेक्टरों के लिये एक

समर्थकारी वातावरण बनाने की पहल कर रही है।

यदि आप अपना समय निकाल कर इस रिपोर्ट को पढ़े और अपना मूल्यवान सुझाव हमें दें और हमारी अपनी कार्य योजना और स्वयंसेवी संगठनों की बात को आगे बढ़ाये तो यह स्वयंसेवी सेक्टर के लिये बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। यहाँ मैं समस्त वानी टीम, विशेषज्ञ सुश्री निशु कौल जिन्होंने यह रिपोर्ट लिखी और डॉ. ज्योत्सना मोहन सिंह जिन्होंने सारे अध्ययन को समन्वित किया, के लिये मैं उन्हें अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं अपने टीम के अन्य सदस्य सुश्री रतन मंजरी, सुश्री पवनीत कौर और सुश्री तरुशिखा यादव के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने इस अध्ययन का अवलोकन किया और अपने सुझाव दिये। मैं विशेषज्ञ श्री अर्जुन फिलिप और श्री राजकुमार का भी आभारी हूँ जिन्होंने इस अध्ययन के संचार और प्रकाशन का काम देखा।

इस अध्ययन को सिविक्स के सहयोग के बिना पूरा करना संभव नहीं था और इसलिये हम सुश्री इनी वेन सेवरिन की सहायता और उनके मार्गदर्शन के लिये आभारी हैं। अध्ययन के लिये हम तमाम संगठन और व्यक्तियों से मिले, जिन्होंने हमें बहुत सहायता दी और इसके लिये हम उन सबके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं।

हमें आशा है कि यह अध्ययन स्वयंसेवी सेक्टर और उनसे जुड़े तमाम मुद्दों पर एक सामुहिक समझ विकसित करने में योगदान देगा जिससे हम एक समर्थकारी वातावरण बनाने की दिशा में व्यक्तिगत और सामुहिक रूप से कार्य करने के लिये उन्मुख होंगे।

हर्ष जेटली
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

विषय सूची

प्रस्तावना 03

संक्षिप्त रूपों की सूची 06

अध्याय 1 07

भूमिका 07

अध्याय 2 11

अध्ययन की कार्य प्रणाली 11

अध्याय 3 15

अनिवार्य आयाम 15

भाग 1 – स्वयंसेवी संगठनों का गठन 15

भाग 2 – कार्यविधि 33

भाग 3 – संसाधनों की प्राप्ति 34

भाग 4 – अभिव्यक्ति 47

भाग 5 – शांतिपूर्ण सभा 48

अध्याय 4 50

वैकल्पिक आयाम 50

भाग 1 – कराधान 50

भाग 2 – सरकार – स्वयंसेवी सेक्टर संबंध 59

भाग 3 – स्वयंसेवी संगठन : गठबंधन और सहयोग 61

अध्याय 5 63

निष्कर्ष और सुझाव 63

ग्रंथ सूची 66

अनुबंध 68

संक्षिप्त रूपों की सूची

एडीम	एडिशनल डिवीजनल मजिस्ट्रेट
एजीएनए	राष्ट्रीय संघों की आत्मीयता समूह
एड्स	एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसिएंसी सिंड्रोम
एसोचौम	द एसोसिएशन चौम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
सीए	क्रिडिबिलिटी एलांयस
सीएएसए	चर्चस एक्सीलयरी फॉर सोशल एक्शन
सीसी	चौरिटी कमिशनर
सीआईआई	कानफेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री
सीएसओ	सिविल सोसाइटी आर्गेनाइजेशन
सीएसआर	कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी
डीएसी	डेवलपमेंट असिस्टेन्स कमेटी
डीईए	आर्थिक कार्य विभाग
डीआईबी	जिला खुफिया ब्यूरो
डीपीए	डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन
डीटीसी	डायरेक्ट टैक्स कोड
ईएपी	एक्सपर्ट एडवायजरी पैनल
आईआईएनए	एलेबलिंग इन्वायर्मेंट नेशनल एसेसमेन्टस
एफसीआरए	फॉरेन कंट्रिब्यूशन रेगूलेशन एक्ट
एफजीडी	फोकसड ग्रुप डिस्कशन
फिक्की	फेडरेशन ऑफ इंडियन चौम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
एचआईवी	ह्यूमन इम्यूनो वायरस
आईबी	इंफोर्मेशन ब्यूरो
आईसीसीजीआर	इंटरनेशनल क्वीनेंट ऑन सिविल एंड पॉलीटिकल राइट्स
आईसीएनएल	इंटरनेशनल सेंटर फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट लॉ
आईएफपी	इंटरनेशनल फोरम ऑफ नेशनल व्हीओ प्लेटफार्म्स
आईएनआर	भारतीय रुपये
आईएनएसएफ	इंडियन सोशल एक्शन फोरम
एमएचए	मिनस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
एमओए	मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन
एमएसएसआर	मल्टीस्टेट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल, 2012
एजीओ	नॉन गवर्मेन्टल आर्गेनाइजेशन
एनआरआई	नॉन रेसीडेंट इंडिया
ओआईसीडी	आर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को–आपरेशन एंड डेवलपमेंट
पीएटी	प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स
पीएमओ	प्राइम मिनिस्टर ऑफिस
प्रिया	पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया
यूडीएचआर	युनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स
वानी	वालेन्टरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
व्हीओ	वालेन्टरी आर्गेनाइजेशन्स

अध्याय 1

भूमिका

सामाजिक विकास के कार्यक्षेत्र को दुनिया में कई नाम दिये जाते हैं इसे गैर–सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संगठन, तीसरा सेक्टर लाभविहीन सेक्टर और सिविल सोसाइटी जैसे नामों से पुकारा जाता है। भारतीय संदर्भ में गरीब, जरुरतमंद और हासिये पर रहने वाले लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विकास की पहल को सामान्यतः स्वयंसेवा का नाम दिया जाता है। स्वयंसेवी पहल, स्वयंसेवी संघ, और स्वयंसेवी संगठन आदि शब्द स्वयंसेवी कार्य का परिचायक है। इसका आशय उस जमीनी पहल से होता है जिसमें आम लोगों के संगठन या समुदाय आधारित संगठन या व्यक्तिगत लोगों की पहल होती है। लेकिन अब परिभाषायें बदल रही हैं और सिविल सोसाइटी शब्द को एक ऐसा बड़ा शब्द माना जा रहा है जो अपने आप में किसी गैर–सरकारी संस्था से कहीं ज्यादा बड़ा आशय समाहित करता है। यह शब्द गैर–सरकारी संगठन जो कि लाभविहीन संगठन के रूप में पंजीकृत है और जिनकी एक संगठित संरचना है, सामाजिक आंदोलन जो कि कम्प्यूटर के जरिये हो या जमीनी धरातल में हों, धार्मिक नेता एवं धर्म आधारित संगठन, श्रमिक संगठन, जमीनी संस्थायें और सहकारी संस्थायें आदि सबको समाहित करता हैं। सिविल सोसाइटी शब्द का दायरा इतना बड़ा है कि उसमें सभी सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन समाहित हो जाते हैं जिनके उद्देश्य, संरचना, संगठन, सदस्य संख्या और भौगोलिक क्षेत्र अलग–अगल होते हैं।[1] स्वयंसेवी संगठन बड़ी सिविल सोसाइटी का एक भाग है।

इस अध्ययन के लिये केवल उन स्वयंसेवी संगठनों को लिया गया है जो बिना किसी आर्थिक लाभ के उद्देश्य से एक बेहतर सामाजिक परिवर्तन के काम के लिये पंजीकृत हैं। (स्वयंसेवी संगठन की व्याख्या के लिये कृपया नीचे देखिये) क्योंकि हमारा अध्ययन छह माह की समय सीमा के भीतर होना था जिस समय में भारत जैसे देश में सिविल सोसाइटी के बृहत आकार का अध्ययन संभव नहीं था इसलिये हमने इसका प्रयास भी नहीं किया। अतः हमारी इस रिपोर्ट में स्वयंसेवी संगठन शब्द का ही प्रयोग होगा न कि सिविल सोसाइटी का।

सारे विश्व में भारत का स्वयंसेवी संगठन अपनी जीवंतता, नवाचार (इनोवेशन) और शोध आधारित पक्षसमर्थन के लिये जाना जाता है। इसने राष्ट्र निर्माण में एक सहभागी के रूप में सरकार का साथ देकर बहुत अहम भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने संसाधनों के अभाव के बावजूद आम जनता के जीवन स्तर में सुधार जैसी बड़ी चुनौती का सामना किया है। इस चुनौती का सामना हमने विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की लोकतांत्रिक परम्परा की रक्षा करते हुये किया है। अतीत में देखे तो भारत के स्वयंसेवी विकास संगठनों ने तीन तरह की भूमिकायें निभाई हैं। विशाल देश होने के कारण भारत को आम नागरिक की सुविधाओं की पूर्ति हेतु संस्थाओं के एक बहुत बड़े नेटवर्क की आवश्यकता रही है। भारतीय स्वयंसेवी संगठनों ने न सिर्फ आम जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और सफाई जैसी जरूरी सुविधायें देने में सरकार का हाथ बटाया बल्कि इन सेवाओं के कुछ नवाचार प्रारुप भी तैयार किये। दूसरी श्रेणी उन स्वयंसेवी संगठनों की है जो शोधपरक या तथ्य आधारित पक्षसमर्थन में संलग्न है। इन संगठनों ने तमाम सरकारी कार्यक्रमों व नीतियों की जनता तक पहुँच और प्रभाव का अध्ययन किया है। इस सूचना को इन्होंने सरकार को दिया जिससे सरकार ने आम जनता को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया और सरकारी जवाबदेही भी बढ़ी। तीसरी श्रेणी उन लोगों की हैं जो अधिकार आधारित रवैया और हक के लिये कार्य करते हैं। भारत जैसे जनसंख्या बाहुल्य देश में कभी–कभी दूरस्थ स्थानों पर रहने लोग अपने अधिकारों तक पहुँच नहीं रखते हैं। यह संगठन हासिये पर रहने वाले समुदायों को मूलभूत शासकीय सेवायें दिलाने की दिशा में कार्य करते हैं। इनकी कार्य शैली सामान्यतः हासिये पर रहनेवाले समुदायों को अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये साक्षर और सबलीकृत करना होता है और साथ ही साथ यह सरकारी योजनाओं और नीतियों की उपयोगिता की समीक्षा भी करते हैं।

भारत में हमेशा से ही स्वयंसेवी सेक्टर की सरकार के साथ दोहरी रिश्तेदारी रही है। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण है जहाँ स्वयंसेवी संगठनों ने आपदा या राष्ट्रीय संकट के समय सरकारी तंत्र के साथ जुड़कर काम किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के शुरुआती दिनों से ही स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के दर्शन से काफी प्रभावित रहे हैं। तमाम गाँधीवादी संगठनों ने सरकार के एक हाथ के रूप में

---

1. *टंडन, आर. (2002)। वालेंटरी एक्शन, सिविल सोसइटी इन द स्टेट नई दिल्ली : मोजेक बुक्स पृष्ठ संख्या 13 से 15।*

कार्य किया है साथ ही साथ तमाम धार्मिक संगठनों का आम जनता को जाति या धर्म के भेदभाव के बिना समुचित सेवायें पहुंचाने का काफी लंबा इतिहास रहा है। आज भी तमाम ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं जो स्वयंसेवी संगठनों के नवाचारों का विकसित रूप हैं। सूचना का अधिकार, ग्रामीण अजीविका का अधिकार और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा इसके कुछ उदाहरण हैं। सभी भारतीय समाजसेवी संस्थायें राष्ट्रीय योजनाओं के परामर्श, पुनर्रावलोकन और गठन में भागीदार होती हैं। लेकिन इन संबंधों का एक नकारात्मक पहलू भी है जिसका मुख्य कारण यह है कि सरकार स्वयंसेवी सेक्टर की जटिलता और वास्तविकता को नहीं समझ पाती है। पिछले दशक में स्वयंसेवी सेक्टर की संसाधन प्राप्ति में बहुत परिवर्तन आया है। सरकार के साथ अपने संबंधों में स्वयंसेवी संस्थायें विकास में भागीदार होने की जगह विकास में ठेकेदार होती जा रही हैं। सरकार व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के कारण स्वयंसेवी संगठनों को मिलने वाली लचीली सहायता में कमी आई है। अधिकांश वित्त पोषक संस्थायें भारत छोड़कर चली गयई हैं और जो बाकी है वह या तो सरकारी योजनाओं में योगदान दे रही हैं या उन स्वयंसेवी संस्थाओं को योगदान दे रही हैं जो किसी निश्चित कार्यक्रम पर काम कर रही हैं। अब स्वयंसेवी संगठनों को खुली निविदा प्रणाली के अनुसार जाना होता है और उनके अनुबंध पत्र में जो भाषा होती है उसे कराधान अधिकारी व्यापारिक गतिविधि मानते हैं।

भारत के कानूनी ढांचे द्वारा स्वयंसेवी सेक्टर को निर्देशित न करके नियंत्रित किया जाता है। अधिकांश स्वयंसेवी संगठन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है जो वास्तव में एक बहुत पुराना कानून है। स्वयंसेवी संगठनों की संख्या के बारे में हमारे देश में कोई रिकार्ड नहीं है। इसी तरह से आयकर कानून भी स्वयंसेवी सेक्टर की कार्यप्रणाली की वास्तविकताओं से अनभिज्ञ है। नया विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) स्वयंसेवी सेक्टर की सहायता करने के स्थान पर उसको नियंत्रित करने पर ज्यादा जोर देता है। यह दोनों कानून स्वयंसेवी संगठनों के मन में भय पैदा करने का काम करते हैं। यदि यह संगठन सरकारी नीतियों और योजनाओं का समालोचनात्मक आंकलन कर रहे हों या जमीनी स्तर पर काम कर रहे हों तब उस समय यह भय और भी बढ़ जाता है। स्वयंसेवी संगठनों पर तमाम बंदिशे और नियंत्रण थोपे जा रहे हैं और साथ ही साथ इस सेक्टर को दिये जाने वाले अनुदान में कटौती के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है।

भारत में स्वयंसेवी सेक्टर के लिये समर्थकारी वातावरण पर यह गहन अध्ययन वानी द्वारा किया गया। अपने जन्म से ही वानी ने ऐसे तमाम आंकलन किये हैं जिसमें न सिर्फ कानूनी योगदान देने वाले वातावरण का अध्ययन किया गये बल्कि आंतरिक प्रशासन और प्रबंधन प्रणाली का भी अध्ययन किया गया है। वानी की क्षमता विकास और पक्षसमर्थन पहल इन्ही अध्ययनों पर आधारित है। लेकिन वानी को भारतीय स्वयंसेवी सेक्टर और अन्य देशों में होने वाले ऐसे सेक्टरों के कामों और गतिविधियों की तुलनात्मक आंकलन की आवश्यकता महसूस हुई इसलिये इस अध्ययन की कार्य प्रणाली को सिविक्स[2] तथा आईसीएनएल[3] द्वारा विकसित किया गया जिसका तमाम देशों[4] में उपयोग हो रहा है। समर्थकारी वातावरण का राष्ट्रीय आंकलन कानूनी निंयत्रक और नीति वातावरण का आंकलन करता है। यह कानूनी और नियंत्रक संरचना और उसका क्रियान्वन, स्वयंसेवी सेक्टर के लिये संसाधन प्राप्ति का वातावरण और उसके अनुभवों पर आधारित है। सिविक्स ने समग्र ईईएनए प्रक्रिया के दौरान अपना तकनीकी सहयोग दिया।

अध्ययन के उद्देश्य

- भारतीय स्वयंसेवी संगठनों का ईईएनए दिशा–निर्देश के आयामों के संदर्भ में आंकलन।
- क्षेत्रीय और राष्ट्रीय परामर्श द्वारा स्वयंसेवी सेक्टर में विमर्श का वातावरण बनाना जिससे वह कानूनी नियंत्रक और नीति वातावरण की चुनौतियों का सामना कर सके और स्थिति में सुधार के सुझाव दे सकें।
- उभरती हुई चुनौतियों और सुझाव के लिये एक पक्ष समर्थक योजना तैयार करना।

2. *सिविक्स, सिविल सोसाइटी संगठनों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जो कि नागरिक कार्यों और सिविल सोसाइटी के विकास हेतु समर्पित है।*
3. *आईसीएनएल सिविल सोसाइटी, परोपकार और जन सहभागिता के कानूनी वातावरण पर एक बड़ा सूचना केन्द्र है।*
4. *समर्थकारी वातावरण राष्ट्रीय आंकलन (ईईएनए), सिविक स्पेस इनिसिवेटिव का भाग है। स्वीडन की सरकार द्वारा सहायता प्राप्त सिविक्स इसे अन्य सहयोगियों के साथ संचालित करता है।*

शोध प्रणाली

इस अध्ययन का उद्देश्य तीन शोध विधियों द्वारा स्वयंसेवी सेक्टर की स्वतंत्र कार्यशैली के मुख्य आयामों पर खोज करना है।

डेस्क शोध

डेस्क शोध में कानून और अधिनियम, समाचार पत्र–पत्रिकाओं की वेबसाइट, सरकारी एजेंसियों और गैर–सरकारी संगठनों की वेबसाइट का अवलोकन किया गया।

स्वयंसेवी संगठनों की शीर्ष संस्था होने के कारण वानी इन संस्थाओं के लिये समर्थकारी वातावरण बनाने के कार्य में लगी रहती है और इसलिये तमाम परामर्श और अध्ययन इस सेक्टर की दशा व दिशा जानने के लिये किये जाते हैं। वानी के यह प्रकाशन डेस्क शोध के लिये सूचना प्राप्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्त्रोत रहे हैं।

मुख्य समूह विमर्श

कुछ चुने हुये सदस्यों के साथ चार क्षेत्रीय बैठकों में[5] मुख्य समूह विमर्श हुआ जिनमें तमाम राज्यों के प्रतिनिधि बुलाये गये। इन बैठकों में स्वयंसेवी सेक्टर के नेतृत्वकर्ताओं और प्रतिनिधियों के सुझाव रेखांकित किये गये।

साक्षात्कार

अध्ययन के प्राथमिक डाटा के लिये स्वयंसेवी संगठनों के अध्यक्षों का साक्षात्कार किया गया। इसके लिये 20 लोगों को चुना गया जो कि प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठनों के अध्यक्ष हैं। (अनुबंध 2 में सूची लगी है)

स्वयंसेवी सेक्टर की पहचान और उसके सामने आनेवाली चुनौतियों को समझने एवं उनका हल निकालने के लिये दिल्ली में विशेषज्ञों के साथ बातचीत की गई। इसके बाद चार क्षेत्रीय स्तर की बैठक भी की गई। विशेषज्ञों के साथ बातचीत करते समय सर्वसम्मति से यह तय पाया गया कि सीविक्स और स्नेल के अध्ययन के ढांचे को भारतीय संदर्भ में ढालने की आवश्यकता है। यह अध्ययन उन पाँच अनिवार्य आयामों पर प्रकाश डालता है जो स्वयंसेवी सेक्टर के लिये कानूनी नियंत्रक और नीति निर्धारित वातावरण का आंकलन करते हैं।

1. गठन
2. कार्यविधि
3. संसाधनों की प्राप्ति
4. अभिव्यक्ति
5. शांतिपूर्ण सभा

इन अनिवार्य आयामों के साथ कुछ वैकल्पिक आयाम भी अध्ययन किया गया जो भारत में ईईएनए के भाग के रूप में आगे आये। यह थे – कराधान, सरकारी– सिविल संगठन संबंध और सिविल सोसाइटी संगठन– गठबंधन तथा सहयोग।

इन समस्त प्रतिमानों को देखते हुये यह तय पाया गया कि वर्तमान अध्ययन को निम्नलिखित पांच अध्यायों में विभाजित किया जाय –

1. प्रथम अध्याय स्वयंसेवी संगठनों का परिचय देते हुए इस अध्ययन में समाहित होगा।
2. द्वित्तीय अध्याय में इस अध्ययन की कार्यप्रणाली को विस्तृत रुप से परिभाषित किया जायेगा।
3. तृतीय अध्याय में इस अध्ययन के अनिवार्य आयामों को देखा जाएगा –

---

5. *पश्चिमी क्षेत्र की बैठक जयपुर में 9 अप्रैल 2014 के हुई : पूर्वी क्षेत्र की बैठक भुवनेश्वर में 16 अप्रैल 2014 को हुई : उत्तरी क्षेत्र की बैठक नई दिल्ली 23 अप्रैल 2014 को हुई : दक्षिणी क्षेत्र की बैठक को हैदराबाद में 29 अप्रैल 2014 के हुई।*

(क) भाग 1 – इस भाग में स्वयंसेवी संगठनों के लिये भारत में पंजीकृत कानूनों की विस्तार से चर्चा की गई है। यह संभाग उच्च जमीनी वास्तविकताओं पर भी केन्द्रित है जो इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिये और संगठनों के समक्ष चुनौतियों को देखने की दृष्टि देते हैं।

ख) भाग 2– इस संभाग में स्वयंसेवी संगठनों की सरकार के साथ संबंधों के परिचालन आयामों पर प्रकाश डाला गया है।

(ग) भाग 3 – यह संभाग भारत में स्वयंसेवी सेक्टर के लिये संसाधन प्राप्ति के वातावरण की बात करता है और साथ ही साथ इसमें कानूनी दायरों को भी बताता है।

(घ) भाग 4 – भारत के नागरिक को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और इस क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों की इस संभाग में वर्णन किया गया है।

(ड़) भाग 5 – भारतीय संविधान की धारा 19 (बी) में शांतिपूर्ण मिलने का मौलिक अधिकार है इस संभाग में इस कानून और स्कोप न मानने और उसके उल्लंघन का अध्ययन किया गया है।

4. चौथा अध्याय वैकल्पिक आयामों से संबंधित निष्कर्षों पर आधारित होगा। इसमें निम्न संभाग होंगे –

(क) भाग 1 – कराधान : कानून और चुनौतियाँ

(ख) भाग 2 – सरकार स्वयंसेवी सेक्टर संबंध उन निष्कर्षों की व्याख्या करता है जो स्वयंसेवी सेक्टर के राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में पाये गये हैं।

(ग) भाग 3 – स्वयंसेवी संगठन सहयोग और गठबंधन

5. पांचवा अध्याय इस अध्ययन का समापन करते हुये स्वयंसेवी संगठनों के भविष्य के लिये समर्थकारी वातावरण के निर्माण का सुझाव देता है।

अध्याय 2

अध्ययन की कार्य प्रणाली

समाज के दलित और हासिये पर रहनेवाले वर्ग के उत्थान के लिये स्वयंसेवी सेक्टर देश के दूरस्थ इलाकों में कई विकासात्मक गतिविधियों में लगा हुआ है। इस सेक्टर ने सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं के सफल क्रियान्वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बावजूद भी स्वयंसेवी सेक्टर के समक्ष तमाम ऐसी चुनौतियाँ हैं जो इसके अस्तित्व और कार्य करने की प्रक्रिया को जटिल बनाती है। सरकार की नीतियों का समालोचन और उद्योग जगत की अनियमितताओं को उजागर करना इस सेक्टर का काम है और इसके कारण इसे कई खतरों का सामना करना पड़ता हैं। दूसरी तरफ इस सेक्टर पर पारदर्शिता और जवाबदेही में कमजोर होने के कारण दबाव डाला जाता है। उद्योग, अर्ध–उद्योग और लाभ–केन्द्रित तमाम संस्थायें स्वयंसेवी संस्था के नाम से फल–फूल रही हैं जिससे इस सेक्टर के बारे में गलतफहमी बढ़ रही है।

इस परिदृश्य में यह उचित है कि उस वातावरण का आंकलन किया जाय जिसमें स्वयंसेवी सेक्टर भारत में काम करता है। सिविक्स और आईसीएनएल द्वारा विकसित ईईएनए कार्यप्रणाली के अंतर्गत इसके लिये दस आयाम निर्धारित किये गये हैं। यह हैं : आधार, कार्यप्रणाली, संसाधनों तक पहुँच, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण जमाव, इंटरनेट स्वतंत्रता, सलाहकार, सिविल सोसाइटी संबंध, सिविल सोसाइटी सहयोग और गठबंधन, कराधान और सूचना तक पहुँच। इनमें पहले पाँच अनिवार्य आयामों के रूप में उद्धत किये गये हैं जब कि बाद के पांच आयाम वैकल्पिक आयाम हैं जिन्हें किसी भी देश के साथ विशेष संपर्क में रहकर अध्ययन करने की स्वतंत्रता है। इस अध्ययन के दौरान पांचों अनिवार्य आयामों का अध्ययन किया गया और तीन वैकल्पिक आयाम इनमें शामिल किये गये। वैकल्पिक आयाम इस प्रकार थे – कराधान, सरकार और स्वयंसेवी सेक्टर के संबंध और सहयोग तथा स्वयंसेवी संगठनों में आपसी संबंध और गठबंधन। इन सभी आयामों में भारत के कानूनी ढ़ाँचे का आंकलन किया गया जो व्यक्तिगत साक्षात्कारों और इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों के समूह केन्द्रित विचार–विमर्श स सामने आया।

डाटा संकलन

व्यक्तिगत साक्षात्कार और केन्द्रित समूह विचार–विमर्श द्वारा अध्ययन के लिये गुणात्मक ढ़ाँचा संकलित किया गया। भारत के राज्यों की क्षेत्रीय विविधताओं को समझने के लिये चार क्षेत्रीय बैठकें[6] भी आयोजित की गई। मुख्य डाटा केन्द्रित समूह विचार–विमर्श, स्वयंसेवी संगठनों के अध्यक्षों के साक्षात्कार तथा देश में इस सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ दूरभाषी संवाद से संकलित किया गया।

वानी की प्रकाशित व अप्रकाशित रिपोर्ट, नागरिक की रिपोर्ट, अन्य अध्ययन व वेबसाइड द्वारा द्वितीय आयाम का डाटा संकलित किया गया।

---

6. *पश्चिमी क्षेत्र की बैठक जयपुर में 9 अप्रैल 2014 के हुई : पूर्वी क्षेत्र की बैठक भुवनेश्वर में 16 अप्रैल 2014 को हुई। : उत्तरी क्षेत्र की बैठक नई दिल्ली 23 अप्रैल 2014 को हुई। : दक्षिणी क्षेत्र की बैठक को हैदराबाद में 29 अप्रैल 2014 के हुई।*

डाटा संकलन की विस्तृत प्रक्रिया निम्नलिखित है :

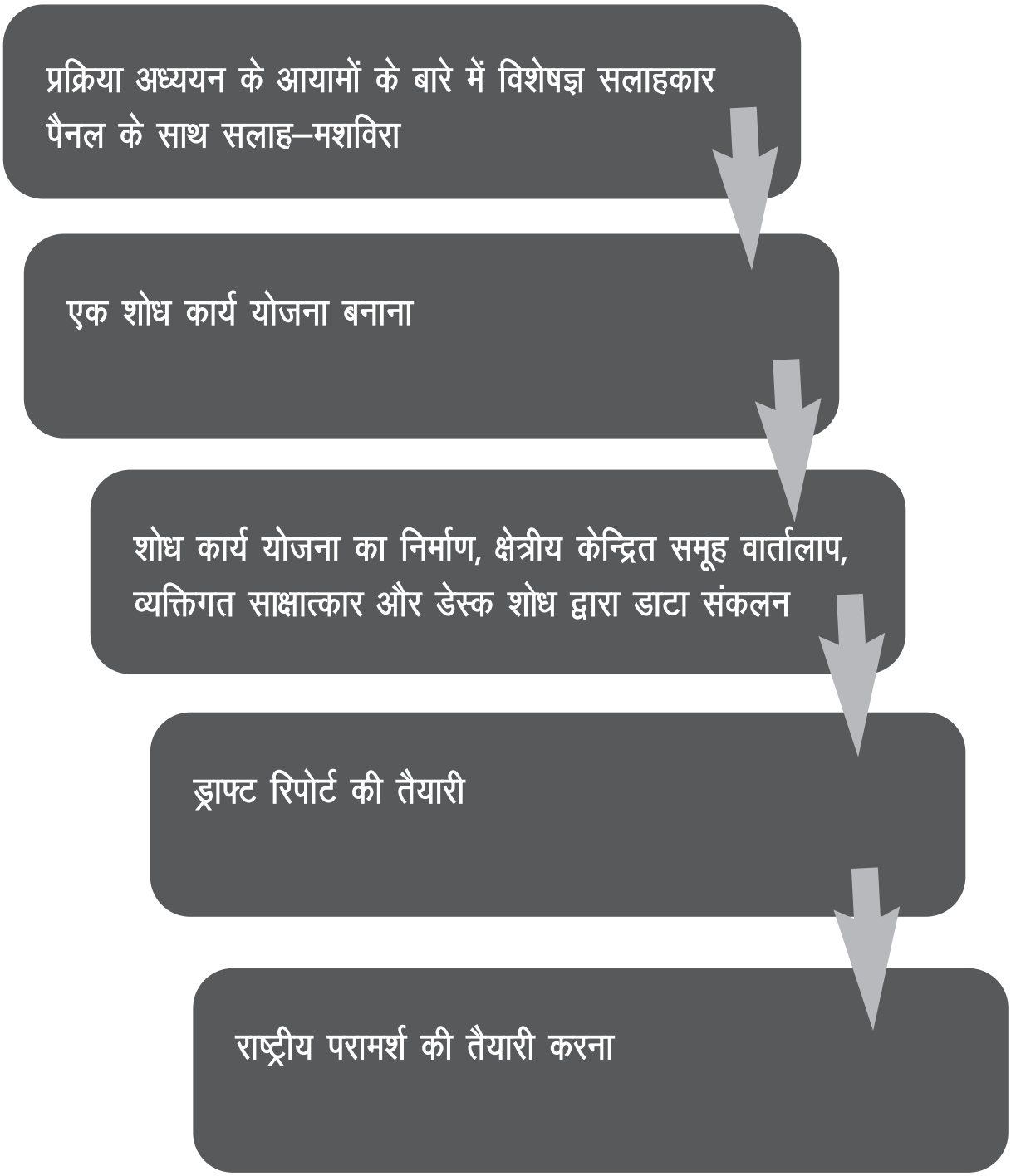

विशेषज्ञ सलाहकार मंडल के साथ परामर्श

नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में वानी ने विगत 18 फरवरी को विशेषज्ञ सलाहकार मंडल की एक बैठक आयोजित की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य इस अध्ययन के बारे में बातचीत करके एक ऐसे वैचारिक ढांचे को तैयार करना था जो कि भारतीय संदर्भ पर केन्द्रित होकर आंकलन कर सके। बैठक में तमाम स्वयंसेवी संगठनों के अध्यक्षों और प्रतिनिधियों, वित्तपोषकों, शिक्षाविज्ञों और शोधार्थियों ने भाग लिया।

सलाहकार मंडल ने यह सुझाव दिया कि अध्ययन के छह माह के छोटे से समय में सिविल सोसाइटी के सभी संगठनों का अध्ययन मुश्किल होगा। इसलिये इस अध्ययन के लिये केवल स्वयंसेवी संगठनों को ही शामिल किया जाय। पैनल का यह भी सुझाव था कि दिशा सूची में दिये गये निर्देश भारतीय संदर्भ में बहुत ही सामान्य है इसलिये सिविक्स और आईसीएनएल के पैमाने को भारतीय कानूनी ढाँचे के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञ सलाहकार मंडल के सदस्यों ने यह भी कहा कि भारत में तमाम कानून सब जगह एक से हैं लेकिन कहीं–कहीं पर कुछ कानूनों में क्षेत्रीय अंतर भी है। उदाहरण के लिये समितियों के पंजीकरण का कानून विभिन्न राज्यों में अलग–अलग कानूनों द्वारा निर्धारित होता है। इसलिये इन क्षेत्रीय विविधताओं को समेटते हुये एक सामान्य कानून द्वारा स्वयंसेवी सेक्टर को परिभाषित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों का निश्चित मत था कि पंजीकरण, संसाधन संपन्न वातावरण, कराधान और सरकार स्वयंसेवी संगठन संबंधों के चार विशिष्ट आयामों के पुनर्रावलोकन की आवश्यकता है और इस अध्ययन के माध्यम से इन बातों का विश्लेषण करके बड़ी राष्ट्रीय और भू–मंडलीय पक्षसमर्थक की बात की जानी चाहिये।

क्षेत्रीय केन्द्रित समूह विचार–विमर्श

क्षेत्रीय बैठकें देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भागों में बुलाई गई और उनमें इन क्षेत्रों के राज्य प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। स्वयंसेवी सेक्टर द्वारा जिन विभिन्न चुनौतियों का सामना किया जा रहा है उन पर बातचीत करने के लिये यह बैठकें बहुत ही आवश्यक थी। बैठकों में सहभागी संगठनों ने अपने–अपने राज्य में उन चुनौतियों के बारे में बताया जो स्वयंसेवी संगठनों का अस्तित्व व विकास अवरुद्ध कर रही हैं। बैठकों से तमाम मुद्दे सामने आये। कुछ राज्यों में पंजीकरण की अधिक फीस और कुछ में सामान्य फीस की बात भी थी। स्वयंसेवी संगठनों से सरकार के संबंधों के बारे में यह कहा गया कि यह संबंध सहभागिता के न रह कर अध बटाई पर काम करने वाले एक ठेकेदार के हो गये हैं। कमजोर होता अनुदान प्राप्ति का वातावरण और अधिकार तथा पक्षसमर्थन पर आधारित कार्यों का संकुचित होता दायरा तथा सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार और कड़े कर कानून जैसे मुद्दे इन बैठकों में उठाये गये। निम्नलिखित तालिका में इन कार्यशालाओं से संबंधित सूचना है :

क्षेत्र	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों की संख्या
पश्चिम	9 अप्रैल 2014	जयपुर	10
पूर्व	16 अप्रैल 2014	भुवनेश्वर	8
उत्तर	23 अप्रैल 2014	नई दिल्ली	14
दक्षिण	29 अप्रैल 2014	हैदराबाद	14

व्यक्तिगत एवं टेलीफोन साक्षात्कार

व्यक्तिगत साक्षात्कार में 20 व्यक्तियों के साथ बातचीत करके प्राथमिक डाटा इकट्ठा किया गया। अधिकांश साक्षात्कार आमने–सामने बैठकर या टेलीफोन द्वारा लिये गये। साक्षात्कार खुले प्रश्नों द्वारा किये गये जिनमें पंजीकरण, अनुदान प्राप्ति, कराधान नियम, स्वयंसेवी संगठनों के प्रबंधन और इन प्रबंधनों से उपर उठकर समर्थकारी वातावरण की बात की गई।

डेस्क शोध

डेस्क शोध में कानून और अधिनियम, समाचार पत्र–पत्रिकाओं की वेबसाइट, सरकारी एजेंसियों और गैर–सरकारी संगठनों की वेबसाइट का अवलोकन किया गया।

स्वयंसेवी संगठनों की शीर्ष संस्था होने के कारण वानी इन संस्थाओं के लिये समर्थकारी वातावरण बनाने के कार्य में लगी रहती है और इसलिये तमाम परामर्श और अध्ययन इस सेक्टर की दशा व दिशा जानने के लिये किये जाते हैं। वानी के यह प्रकाशन डेस्क शोध के लिये सूचना प्राप्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्त्रोत रहे हैं।

देश की रिपोर्ट का लेखन

इस विचार–विमर्श और निष्कर्षों के बाद एक राष्ट्रीय रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला गया :

- पिछले दिनों हुये परिवर्तनों के संदर्भ में स्वयंसेवी सेक्टर का सामाजिक, राजनैतिक तथा कानूनी वातावरण।
- भारतीय स्वयंसेवी सेक्टर के समक्ष विभिन्न आयामों पर चुनौतियां – पंजीकरण कार्य प्रक्रिया, वित्त पोषित वातावरण, कराधान, सरकार स्वयंसेवी संगठन संबंध, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व शांतिपूर्ण जमाव।
- इस सेक्टर में समर्थकारी वातावरण के सुधार के लिये सुझाव और सिफारिशें।
- पक्षसमर्थन के बड़े मुद्दे।

राष्ट्रीय परामर्श आयोजन

इस सेक्टर का वातावरण समर्थकारी बनाने के लिये राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन नई दिल्ली में विगत 25 जून 2014 को हुआ जो एक बहु–सहभागी वार्ता थी। लगभग 30 सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों, सहभागियों, शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी सेवाओं और वित्त पोषण संगठनों तथा मीडिया से आये हुये प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। (प्रतिभागियों की सूची अनुबंध 3 में संलग्न)

इस परामर्श में राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुद्दों पर सहमति बनी और पक्षसमर्थन कार्यक्रम का आधार तैयार हुआ।

राष्ट्रीय रिपोर्ट का अंतिम रुप

राष्ट्रीय परामर्श के बाद राष्ट्रीय रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया और राष्ट्रीय परामर्श में आये हुये भागीदारों के योगदान के आधार पर एक पक्षसमर्थन कार्यक्रम बनाया गया। इन दोनों दस्तावेजों को विशेषज्ञ सलाहकार मंडल आईसीएनएल तथा सिविक्स को भेजा गया।

अध्याय 3

अनिवार्य आयाम

इस अध्याय में हम स्वयंसेवी सेक्टर के पांच अनिवार्य आयामों का आंकलन करेंगें। यह पांच आयाम – गठन, कार्यविधि, संसाधनों की प्राप्ति, अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा। एक लोकतांत्रिक समाज में स्वयंसेवी संस्थाओं को बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के अपने गठन, परिचालन, संसाधनों की प्राप्ति और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की छूट होती है इसलिये इन पांचों आयामों का आंकलन संभव है।

यह पांचों आयाम निम्नलिखित पाँच भागों में विभाजित किये गये हैं :

भाग –1 स्वयंसेवी संगठनों की संरचना

'यह विडंबना ही कही जायेगी कि स्वयंसेवी संगठनों का पंजीकरण समान्यतः उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है न कि सामाजिक कार्यक्रमों के विभाग द्वारा। क्या हमें यह नहीं समझना चाहिये कि फैक्टरियों, उद्योग–धंधों और कंपनियों के प्रबंधन के पीछे का दर्शन स्वयंसेवी सेक्टर के प्रबंधन से कहीं अलग होता है?'

— डॉ. सुशील श्रीवास्तव, महानिदेशक (सेवानिवृत्त)
केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन

भारत में स्वयंसेवी कार्य जो कि कई युगों पुरानी परम्परा है। हमारी सभी धार्मिक पुस्तकें जन–मानस की सेवा की बात करती हैं और आम जनता के कल्याण के लिये दिशा–निर्देश देती है। हमारे लंबे इतिहास के विभिन्न युगों में स्वयंसेवी कार्य के कई रूप देखे गये हैं। सामुदायिक संगठन, सामाजिक आंदोलन, विकासकारी संगठन और धार्मिक संस्थायें कई तरह के स्वयंसेवी कार्य करती आई हैं। स्वयंसेवी कार्यों की इस विविधता के कारण भारत के विकास में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हो गया है। यह संकट पंजीकरण की प्रक्रिया ने और भी बढ़ा दिया है। न केवल स्वयंसेवी संगठनों के दायरे में विविध प्रकार के कार्य आते हैं बल्कि यह कार्य स्वयंसेवी संगठनों तक ही सीमित नहीं हैं। तमाम निजी शैक्षणिक संस्थायें, खेल–कूद संगठन और औद्योगिक घरानों के प्रतिष्ठान जो कि वास्तव में धन–उपार्जन की संस्थायें है, स्वयंसेवी संगठन कानून के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं।

साथ ही साथ जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले तमाम स्वयंसेवी संगठन कानूनी रूप से पंजीकृत नहीं हो पाते हैं जिससे हमारे यहाँ स्वयंसेवी संगठनों का दायरा और भी बढ़ जाता है। भारत में स्वयंसेवी संगठन निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत हो सकते हैं :

1. **सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860** – इस कानून के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिये किसी राष्ट्रीय संस्था को कम से कम सात सदस्यों की आवश्यकता होती है। दिल्ली में इसका पंजीकरण रजिस्टार, ज्वांइट स्टॉक कंपनी द्वारा किया जाता है। अलग–अलग राज्यों में पंजीकरण के लिये विशिष्ट कानून है लेकिन राज्यों के यह कानून कुछ छोटे–मोटे परिवर्तनों, जैसे सदस्यता शुल्क और सदस्यों की संख्या, के अलावा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 का ही प्रारूप है।
2. **न्यास अधिनियम, 1882** – यह कानून विशेषतः निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये है लेकिन इससे जन सेवा के उद्देश्य भी पूरे किये जाते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में जन सेवा के लिये अलग से न्यास अधिनियम बने हैं जो कि पुराने न्यास कानूनों का संशोधित रूप है। उन तमाम राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों में जहाँ अलग से न्यास अधिनियम का निर्माण नहीं हुआ है भारतीय न्यास अधिनियम,1882 ही लागू होता है।

3. **कंपनी अधिनियम, 2013 –** एक लाभविहीन कंपनी जो कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत आती हो (पहले यह 1956 के पुराने कानून के धारा 25 के अंतर्गत आती थी)।

4. **प्रस्तावित मल्टीस्टेट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल –** केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2011 में इस बिल को प्रस्तावित किया। कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित इस बिल में विभिन्न तरह के स्वंयसेवी संगठनों को नियंत्रित करने के लिये अलग से प्रावधान थे लेकिन अभी भी इस बिल के कानून बनने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इस बिल में कई ऐसी कठोर धारायें हैं जो स्वयंसेवी संगठनों की स्वायत्ता पर रोक लगायेगी। (इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगें।) सामान्य व्यवहार में अधिकांश स्वयंसेवी संगठन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम में पंजीकृत हैं या न्यास अधिनियम में।

5. स्वयंसेवी संगठन सहकारी समिति अधिनियम, 1904 और ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अंतर्गत भी पंजीकृत किये जाते हैं। यह स्पष्ट है कि सहकारी संस्थायें और श्रम संगठनों को अलग–अलग रखा जा रहा है जिससे उनके लिये अलग कानून बन सके और यह बात स्पष्ट हो सके कि कौन सहकारी संस्था है और कौन श्रम संगठन।

सामान्यतः अधिकांश स्वयंसेवी संगठनों का पंजीयन या तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 में या फिर न्यास अधिनियम में होता है।

भारत में किसी स्वयंसेवी संगठन के लिये एक सोसाइटी या ग्रुप में पंजीकृत होना सबसे सामान्य कानूनी आवश्यकता है। कार्पोरेट कार्य मंत्रालय इसका संचालन करता है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम समस्त भारतीय गणराज्य में लागू होता है पर हाँ कुछ राज्यों उसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। किसी सोसाइटी का पंजीयन या तो राज्य स्तर पर राजिस्टार या सोसाइटी के ऑफिस में या जिला स्तर पर जिलाधिकारी या रजिस्टार ऑफ सोसाइटी के ऑफिस में किया जाता है। इस कानून की धारा 1 में स्वयंसेवी संगठनों की सदस्यता का विवरण है। जिसके अनुसार समिति गठन के लिये कम से कम सात सदस्य होने चाहिये। सदस्यों की अधिकतम संख्या पर कोई रोक नहीं है। धारा 2 के अंतर्गत अन्य चीजे भी आती हैं जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नियम और नियमन, उद्देश्य और संस्था के प्रबंधन का तरीका।[7]

सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के धारा 3 के अंतर्गत सामान्यतः किसी संस्था के पंजीयन के लिये 50 रुपये का पंजीयन शुल्क लिया जाता है जो नगद या डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)[8] द्वारा दिया जा सकता है। दिल्ली राज्य में रजिस्टार एक पत्र द्वारा लोगों को सूचित करता है कि सब औपचारिकताये पूरी हो गई हैं और बाकी के दिये गये सारे प्रपत्र सही है और उनको स्वीकृति प्रदान की जाती है। आवेदन देने वाली संस्था को इस पत्र की प्राप्ति के बाद पंजीयन शुल्क देना होता है।

भारत में सभी संस्थाओं को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है। सामान्यतः पंजीयन आवेदन की कार्य प्रणाली सब राज्यों में लगभग एक सी है केवल अंतर यह है कि कुछ राज्यों में दूसरे अन्य राज्यों की तुलना में कागजी कार्यवाही अधिक करनी पड़ती है।

किसी संस्था को नई दिल्ली में केन्द्रीय कानून के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है या फिर उसे राज्य की राजधानी या जिले में स्थानीय रजिस्टार ऑफ सोसाइटी के कार्यालय में।

1950 के बाम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में परोपकार हेतु बनी संस्थाओं को परोपकार आयुक्त के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है। वैसे तो इन संस्थाओं को परोपकार कमीशन के ऑफिस में एक न्यास के रूप में पंजीकृत किया जाता है लेकिन उन्हें दो पंजीकरण नम्बर मिलते हैं इसमें एक बाम्बे पब्लिक ट्रस्ट और दूसरा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम होता है।

सोसाइटी रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों के लिये दो वर्ष के अंदर नवीनीकरण कराने का प्रावधान है। जबकि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन (केरल) अधिनियम में 18 महीने के बाद और तमिलनाडू रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1975 के अंतर्गत तमिलनाडू

7- *वानी (2010), स्वयंसेवी संगठनों का पंजीकरण, सिविल सोसाइटी वाइसेस।*

8. *एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन स्थानान्तरित करने के लिये किसी व्यक्ति को डिमांड ड्राफ्ट की आवश्यकता होती है। यह चौक से भिन्न होता है क्योंकि इसका भुगतान पाने के लिये हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती और इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं होती कि भुगतान लेने वाले का खाता उस बैंक में हो।*

में इस संगठनों को हर पांच साल बाद अपना नवीनीकरण कराना होता है। वैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860[9] के अंतर्गत किसी भी तरह के नवीनीकरण का कोई भी प्रावधान नहीं है।

भारत में स्वयंसेवी संगठनों के समक्ष सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 कई तरह की चुनौतियाँ खड़ी करता है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- राष्ट्रीय पंजीकरण कानून लगभग 150 वर्षों से भी अधिक पुराना कानून है। आवश्यकता इस बात की है कि इसको समय के अनुकूल बनाया जाय। वर्ष 1948 और 1950 के बीच इस कानून को राज्यों के अधिकार में सौप दिया गया जिसके बाद उन राज्यों ने इसमें कई संशोधन किये। लेकिन इन संशोधनों द्वारा मूलभूत कानून में राज्यों के हस्तक्षेप के बाद कई मुद्दे सामने आये।
- इस बात की आवश्यकता है कि स्वयंसेवी संगठनों की परिभाषा में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं के बीच विभाजन की एक स्पष्ट रेखा खीच कर लाभविहीन संगठनों को निजी अस्पतालों, निजी बड़े स्कूलों और स्पोर्टस क्लब से बिल्कुल ही अलग कर दिया जाय। इनके साथ होने से स्वयंसेवी सेक्टर की पहचान, प्रवृत्ति, क्षेत्र और दायरे के विषय में संशय पैदा हो गया है। इस कानून की बीसवीं धारा बताती है कि किस तरह के संगठनों को इस कानून के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है और आवश्यकता है कि इस धारा को पुनः परिभाषित किया जाय जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कौन से संगठन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो सकते हैं।[10]
- कुछ राज्यों में निश्चित अवधि के बाद नवीनीकरण के प्रावधान ने स्वयंसेवी संगठनों के सामने कई कठिनाईयां खड़ी कर दी है।
- कुछ राज्यों में यह भी प्रावधान है कि वहाँ पंजीकृत की गई संस्था अन्य राज्यों में कार्य नहीं कर सकती है। यह उन सभी संस्थाओं के लिये समस्यामूलक हैं जो अन्य राज्यों में अपनी गतिविधियों का दायरा बढ़ाना चाहती हैं।

सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के मुख्य अनुच्छेद

सेक्शन 1 – संगम के ज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण द्वारा सोसाइटियों का बनाया जाना – किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या पूर्व प्रयोजन के लिए या किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो इस अधिनियम की धारा 20 में वर्णित है सहयुक्त कोई सात या अधिक व्यक्ति एक संगम के ज्ञापन में अपने नाम हस्ताक्षरित करके और उसे संयुक्त स्टॉक कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास दाखिल करके इस अधिनियम के अधीन अपने आपको सोसाइटी के रूप में गठित कर सकेंगे।

सेक्शन 2 – संगम का ज्ञापनः संगम के ज्ञापन में निम्नलिखित बातें होंगी, अर्थात–

– सोसाइटी का नाम,

– सोसाइटी का उद्देश्य,

– व्यवस्थापकों, परिषद्, निदेशकों, समिति या अन्य शासी निकाय के, जिनकों कि सोसाइटी के नियमों द्वारा उसके काम–काज का प्रबंधन सौंपा गया है, नाम, पते, और उप–जीविकाएं।

– सोसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति, जो शासी निकाय के सदस्यों में से तीन से अन्यून द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित हो, संगम के ज्ञापन के साथ दाखिल की जाएगी।

सेक्शन 3 – रजिस्ट्रीकरण और फीस – ऐसे ज्ञापन और प्रमाणित प्रति के दाखिल किये जाने पर रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा कि उस सोसाइटी की इस अधिनियम के तहत रजिस्ट्री की जाती है। रजिस्ट्रार को ऐसे हरेक रजिस्ट्रीकरण के लिए पचास रुपये की फीस या इससे कम फीस, जैसी (राज्य सरकार) समय–समय पर निर्दिष्ट करें, संदत्त की जाएगी और ऐसे संदत्त सब फीसों का लेखा (राज्य सरकार) को दिया जाएगा।

---

9. *अदुकिया, एस.आर. (एन.डी.) हैंडबुक ऑन लाज गवर्निंग फारमेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चौरिटेबल आर्गेनाइजेशन्स इन इंडिया।* ***Retrieved July 2014, 16, from http://www.caaa.in/Image/hb-charitable_org.pdfAdukia***

10 *सेवशटियन बी. (2010, दिसंबर)। एक्जिस्टिंग चौरिटी लॉ इन इंडिया– डू वी नीड न्यू लीगल फ्रेमवर्क, सिविल सोसाइटी वाइसेस पृष्ठ 17 से 22।*

सेक्शन 4 – प्रबंध निकाय की वार्षिक सूची का फाइल किया जाना – प्रत्येक वर्ष में एक बार, उस दिन के, जिसकों कि सोसाइटी के नियमों के अनुसार सोसाइटी का वार्षिक साधारण अधिवेशन किया जाता है, उत्तरवर्ती चौदहवें दिन को या उससे पूर्व, या यदि नियमों वार्षिक साधारण अधिवेशन के लिए उपबंध नहीं है तो जनवरी मास में, संयुक्त स्टॉक कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास एक सूची दाखिल की जाएगी जिसमें व्यवस्थापकों, परिषद, निदेशकों, समिति या अन्य शासी निकाय के, जिनको सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध तत्समय सौंपा हुआ हो, नाम, पते और उपजीविकाएं होंगी।

सेक्शन 11 – अपराधों के दोषी सदस्यों का अन्य पक्षकारों के रूप में दंडनीय होना – सोसाइटी का कोई भी सदस्य जो उस सोसाइटी के किसी धन या अन्य संपत्ति को चुराएगा, हड़पेगा या उसका गबन करेगा अथवा किसी संपत्ति को जानबूझ कर और विशेषतः नष्ट करेगा या क्षति पहुँचाएगा अथवा किसी विलेख, बंधपत्र, धन के लिए प्रतिभूति, रसीद या अन्य लिखत को कूटरचित करेगा जिससे सोसाइटी की निधियाँ जोखिम में पड़ जाए वैसे ही अभियोजनीय होगा, और यदि सिद्धदोष हुआ तो वैसी ही रीति से दंडनीय होगा जैसे ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसा सदस्य न हो वैसे ही अपराध की बावत् अभियोजनीय और दंडनीय होगा।

सेक्शन 12 – सोसाइटी को अपने प्रयोजनों को परिवर्तित, विस्तारित या न्यून करने के लिए समर्थ बनाना – जब कभी इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी सोसाइटी के, जो किसी विशिष्ट प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए स्थापित की गई है, शासी निकाय को प्रतीत हो कि ऐसे प्रयोजन को इस अधिनियम के अंतर्गत किन्हीं अन्य प्रयोजनों में या उनके लिए परिवर्तित, विस्तारित या न्यून करना या ऐसी सोसाइटी को पूर्णतः या भागतः किसी अन्य सोसाइटी के साथ सम्मलित करना उपयुक्त होगा। तब शासी निकाय उस प्रस्थापना को लिखित या मुद्रित रिपोर्ट के रूप में सोसाइटी के सदस्यों को निवेदित कर सकेगा तथा सोसाइटी के विनियमों के अनुसार उस पर विचार करने के लिए विशेष अधिवेशन बुला सकेगा। परन्तु ऐसी कोई प्रस्थापना तब तक क्रियान्वित नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी रिपोर्ट उस पर विचार करने के लिए शासी निकाय द्वारा बुलाए गए विशेष अधिवेशन से दस दिन पूर्व सोसाइटी के हर एक सदस्य के तीन बटा पांच मतों द्वारा जो स्वंय या परोक्षी के माध्यम से प्रदत्त किये गये हों, नहीं दे दी जाती और पूर्ववर्ती अधिवेशन के पश्चात एक मास के अंतराल में शासी निकाय द्वारा बुलाए गए दूसरे विशेष अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के तीन बटा पांच के मतों द्वारा पुष्ट नहीं कर दी जाती।

सेक्शन 13 – सोसाइटियों के विघटन और उनके काम–काज के समायोजन के लिए उपबंध – किसी सोसाइटी के तीन बटा पांच के अन्यून कितने ही सदस्य अवधारित कर सकेंगे कि उसे विघटित कर दिया जाए और तब वह तत्क्षण या तत्समय सहमत समय पर विघटित कर दी जाएगी और सोसाइटी की संपत्ति उसके दावों और दायित्वों के निपटारे और व्यवस्थापन के लिए उसके लागू उक्त सोसाइटी के नियमों के अनुसार, यदि कोई हो और यदि कोई न हो तो जैसा शासी निकाय समाचीन समझे उसके अनुसार सब आवश्यक कार्यवाही की जाएगी, परंतु उक्त शासी निकाय या सोसाइटी के सदस्यों के बीच कोई विवाद पैदा होने की दशा में उसके कामकाज का समायोजन, उस जिले के जिसमें सोसाइटी का मुख्य भवन स्थित है, आरंभिक सिविल अधिकारिता वाले प्रधान न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाएगा और न्यायालय मामले में ऐसा आदेश करेगा जैसा वह अपेक्षणीय समझे परंतु कोई सासाइटी तब तक विघटित नहीं की जा सकेगी जब तक कि सदस्यों में से तीन बटा पांच ने ऐसे विघटन के लिए इच्छा ऐसे साधारण अधिवेशन में जो उस प्रयोजन के लिए बुलाया गया हो, स्वयं या परोक्षी के माध्यम से प्रदत्त अपने मतों से अभिव्यक्त न कर दी हो परंतु (जब कभी कोई सरकार) इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी सोसाइटी का सदस्य हो या अभिदायकर्ता हो या उसमें अन्यथा हितबद्ध हो तब ऐसी सोसाइटी का विघटन (रजिस्ट्रीकरण के राज्य की सरकार की सम्मत्ति के बिना) नहीं किया जाएगा।

सेक्शन 14 – विघटन पर किसी सदस्य का लाभ प्राप्त न करना – यदि इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी सोसाइटी के विघटन पर उसके सब ऋणों और दायित्वों की तुष्टि के पश्चात कोई भी सम्पत्ति रह जाए तो वह उक्त सोसाइटी के सदस्यों या उनमें से किसी को प्रदत्त या उनमें वितरित नहीं की जाएगी। किन्तु किसी ऐसी अन्य सोसाइटी को दी जाएगी जो विघटन के समय पर स्वयं या परोक्षी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों के तीन बटा पांच से अन्यून मत द्वारा या उसके अभाव में ऐसे न्यायालय द्वारा जैसा पूर्वोक्त है अवधारित की जाए।

खंड का संयुक्त स्टॉक कंपनियों को लागू न होना – परंतु फिर भी यह खंड किसी ऐसी सोसाइटी को लागू नहीं होगा जो संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में शेयर धारकों के अभिदायों से प्रतिष्ठापित या स्थापित की गई हो।

सेक्शन 16 – शासी निकाय की परिभाषा – व्यवस्थापक परिषद, निदेशक, समिति, न्यासी या अन्य निकाय जिसको सोसाइटी के नियमों और विनियमों द्वारा उसके काम–काज का प्रबंधन सौंपा गया हो सोसाइटी के शासी निकाय होंगे।

सेक्शन 19 – दस्तावेजों का निरीक्षण, प्रमाणित प्रतियाँ – कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार के पास दाखिल की गई सब दस्तावेजों का निरीक्षण। हर निरीक्षण के लिए एक रुपये की फीस देकर कर सकेगा और कोई भी व्यक्ति किसी दस्तावेज या किसी दस्तावेज के किसी भाग की नकल या उद्धरण का रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किया जाना, ऐसी नकल या उद्धरण के हर सौ शब्दों के लिए दो आने देकर अपेक्षित कर सकेगा और ऐसी प्रमाणित प्रति सभी विधि– कार्यवाहियों में उसमें अंतर्विष्ट विषयों का प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य होगी।

सेक्शन 20 – अधिनियम किन सोसाइटियों को लागू होता है – इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी – पूर्व सोसाइटियाँ, भारत की विभिन्न प्रेसिडेंसियों में स्थापित सैनिक अनाथ निधियाँ या सोसाइटियाँ, विज्ञान, साहित्य या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिए शिक्षण उपयोगी जानकारी के प्रसार (राजनीतिक शिक्षा के प्रसार), सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिए या जनता के लिए खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों, यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखतों या अभिकल्पनों के लिए स्थापित सोसाइटियां।

भारतीय न्यास अधिनियम, 1882

न्यासों के इतिहास को हम प्राचीन काल से मानव जाति की परोपकार करने की इच्छा के रूप में देख सकते हैं। हमेशा से ही कुछ धनी लोग अपनी संपत्ति को परोपकार और धर्म के कामों में लगाने के लिये धर्मशालायें, शिक्षण संस्थानों, दवाखानों, पानी की टंकियों और कुओं का निर्माण तथा वृक्षारोपण जैसे कार्य करते थे। भारतीय न्यास अधिनियम वर्ष 1882 में लागू हुआ और इसका कार्य निजी न्यासों का नियंत्रण करना होता है। एक निजी न्यास का कार्य कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को लाभ पहुँचाना होता है जबकि सार्वजनिक न्यास (पब्लिक ट्रस्ट) समाज के लोगों या एक बड़े समुदाय के हितों के लिये बनाये जाते हैं। न्यास परोपकार या धार्मिक कार्यों के लिये बनाई गई एक कानूनी संस्था होती है। गरीबी उन्मूलन, चिकित्सा, शिक्षा जैसे तमाम कार्यों हेतु न्यासों की स्थापना की जा सकती है।

न्यास और न्यासी का विषय संविधान के सातवें अनुच्छेद की तृतीय सूची[11] के अंतर्गत एक समवर्ती विषय है। इसलिये भारतीय न्यास अधिनियम 1882 उन राज्यों को छोड़कर जिन्होंने इसमें कुछ बदलाव किया है। सारी जगह एक ही रूप में लागू है। वैसे यह अधिनियम सारे राज्यों में बिना किसी संशोधन के लागू है। राज्य न्यास अधिनियम के अभाव में इस अधिनियम के सिद्धांत सब जगह लागू होते हैं।[12]

---

11. *संविधान में राज्य और केन्द्र सरकारों के कानून बनाने के अधिकार को तीन सूचियों में विभाजित किया गया है– केन्द्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 25 विषय हैं इन विषयों पर किसी भी राज्य की विधायिका या संसद कानून बना सकती है।*

12. *वानी (2013)। एनेवलिंग इन्वायरमेंट फार वालेंटरी आर्गेनाइजेशन्स ए ग्लोबल कम्पैन नई दिल्ली, वालेंटरी एक्शन नेटवर्क (वानी)।*

न्यास अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत किसी पंजीकरण के लिये चार बातों की आवश्यकता होती है। न्यास संपत्ति इसका मुख्य बिन्दु होता है और इसके साथ दाता या निर्धारक एक या एक से अधिक न्यासी और न्यास के लाभार्थी न्यासी, न्यास की संपत्ति के कानूनी मालिक होते हैं और संपत्ति के सारे अधिकार उसके पास होते हैं। लेकिन वह संपत्ति को लाभार्थियों के लाभ के लिये संवहन करता है लेकिन वह लाभार्थियों की इच्छा का संवाहक नहीं होता है। सार्वजनिक न्यास अपने क्षेत्र के उपसहायक परोपकार कमिशनर को न्यास के पंजीकरण के लिये आवेदन दे सकते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में परोपकार आयुक्त हैं लेकिन उत्तर भारत और उत्तरपूर्वी भारत के अधिकांश राज्यों में ऐसा कोई पद नहीं है। बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 केवल महाराष्ट्र और गुजरात में लागू है। राजस्थान और तमिलनाडू में अपने न्यास अधिनियम हैं इन राज्यों में तमाम परोपकारी संगठनों को परोपकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना पड़ता है।

भारतीय न्यास अधिनियम के लचीले होने के कारण तमाम ऐसे लोगों ने भी इस कानून का लाभ उठाया जिनका उद्देश्य परोपकारी कार्य करना नहीं था। कई न्यास ऐसे स्थापित किये गये जिनका सीधा उद्देश्य पैसा कमाना था[13] इस कारण स्वयंसेवी संगठनों की छवि बिगड़ रही है। क्योंकि राज्य सरकारे इस कानून का दुरुपयोग नहीं रोक पा रहीं हैं इसलिये स्वयंसेवी सेक्टर को[14] नियंत्रित करने के लिये एक नये और कड़े कानूनी ढांचे की तत्काल आवश्यकता है।

भारतीय न्यास अधिनियम 1882, की मुख्य धाराएं

धारा 1 – संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

इस अधिनियम को भारतीय न्यास अधिनियम 1882, कहा जाता है और ये पहली मार्च 1882 को लागू हुआ।

धारा 2 – अधिनियम का निरसन

इस अधिनियम की कानून की धाराएं पुनर्निर्धारण के साथ यहां संलग्न की हुई है और इस निर्धारण का उल्लेख भी किया गया है, जिसे की निरसित किया गया है, जिसे समय–समय पर इस कानून को उन राज्यों में बदलाव भी किये जाएंगे, जहां कि ये लागू किया गया है।

धारा 3 – शब्द न्यास की व्याख्या

यह न्यास किसी संपत्ति के स्वामीत्व से जोड़ा हुआ एक उत्तरादायित्व है। जो संपत्ति के स्वामी का उस व्यक्ति का विश्वास का प्रतीक है, यह विश्वास इस व्यक्ति में संपत्ति के स्वामी द्वारा अपने या अन्य लोगों के हित में व्यक्त किया जाता है।

'न्यास बनाने वाला', 'न्यासी', 'लाभ पाने वाला' 'न्यास की संपत्ति' 'लाभकारी हित', 'न्यास का दस्तावेज'

जो व्यक्ति किसी में अपना विश्वास व्यक्त करता है 'न्यास बनाने वाला' कहा जाता है। जो व्यक्ति इस विश्वास को स्वीकार करता है उसे "न्यासी' कहा जाता है। जिस व्यक्ति के लिए यह विश्वास ग्रहण किया जाता है उसे 'लाभ पाने वाला' कहा जाता है। न्यास की विषय को न्यास की संपत्ति' या न्यास संपदा' कहा जाता है। लाभकारी हित या लाभकारियों के लिए हित उनका अधिकार है जो उन्हें न्यासी से पाने का अधिकार है। और कोई भी दस्तावेज जिससे न्यास के रूप में जाना जाता है उसे न्यास का दस्तावेज कहते हैं।

विश्वास में कमी–किसी न्यासी द्वारा अपने कर्तव्य निर्वाहन में कोई कमी, जैसे उस समय के कानून द्वारा अपेक्षित हो, उसे 'विश्वास में कमी' कहा जाता है, 1872 के अधिनियम की 9 में परिभाषित किया, ष्पंजीकृतष् का भाव यहीं है। और इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ के विषय में प्रतिकूल कुछ होता है, तब पंजीकरण का अर्थ तात्कालीन समय में पंजीकरण का दस्तावेज उस कानून के अधिन पंजीकृत किया गया है। किसी व्यक्ति को किसी तथ्य का नोटिस प्राप्त होना तब कहा जाता है जब कि या तो वह जानता हो या जानकारी से बचने की स्थिति या तथ्य के प्रति अनदेखी करने के कारण उसे पता न लगा हो, या उस त्थ्य की जानकारी उसके

---

13. *जोसेफ जे. (2013, नवंबर 21)। दाईम्स ऑफ इंडिया। Retrieved June 30, 2014, from http://timesofindia.indiatimes.com/india/CAG-questions-Rs-3000-crore-of-investments-by-two-Tata-trusts/articleshow/26116934.cms*

14. *वानी (2010), स्वयंसेवी संगठनों का पंजीकरण, सिविल सोसाइटी वाइसेस।*

प्रतिनिधि को दे दी गई हो, जैसी परिस्थिति भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 229 में उल्लेखित हैय यहां व्यक्त किया हुआ भाव तथा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में परिभाषित का वही अर्थ होगा जैसा कि इस अधिनियम की धारा 9 में है।

धारा 4 – कानूनपूर्ण उद्देश्य – न्यास की स्थापना किसी कानूनी उद्देश्य के लिए होती है। न्यास का उद्देश्य तब कानूनी माना जाएगा, जब तक कि

क) कानून के विरुद्ध न हो

ख) उद्देश्य इस तरह का हो कि यदि उसे पूरा करने दिया जाए तो वह किसी कानून का प्रावधानों का उल्लंखन करेगा या

ग) वह धोखाधड़ी या

घ) किसी अन्य व्यक्ति या उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला हो या

ङ) कानून उसे अनैतिक या जनहित नीति के विरुद्ध मानता हो

कोई भी ऐसा ट्रस्ट जिसका उद्देश्य गैर कानूनी है, अवैध है, यदि कही ऐसा न्यास बनाया गया है जिसका एक उद्देश्य कानूनी है और दूसरा गैर कानूनी, इसे अलग किया नहीं जा सकता है। ऐसी दशा में पूरा न्यास ही अवैध है।

धारा 5 – अचल संपत्ति का न्यास

ट्रस्ट बनाने वाले के द्वारा हस्तलिखित पंजीकृत दस्तावेज या उसकी इच्छापत्र द्वारा अनुमोदित न किये जाने तक अचल संपत्ति वाला कोई भी न्यास वैध नहीं है।

चल संपत्ति वाला न्यास – जब तक घोषित ना किया जाय या धन न्यासी के नाम स्थानांतरित ना किया जाए तब तक चल संपत्ति वाला कोई भी न्यास वैध नहीं है।

ये कानून वहां पर लागू नहीं होंगे जहां किसी धोखाधड़ी वाली स्थिति है।

धारा 6 – न्यास का निर्माण

धारा 5 के नियमों के अनुसार एक न्यास का निर्माण तब होता है जब उसका निर्माता अपने कार्यों या शब्द द्वारा सुनिश्चित करता है किय

क) वह ट्रस्ट बनाने की इच्छा रखता है

ख) ट्रस्ट का उद्देश्य

ग) ट्रस्ट के लाभकर्ता

घ) ट्रस्ट की संपत्ति और उसका ट्रस्ट संपत्ति का न्यासी को स्थानांतरण

धारा 7 – कौन ट्रस्ट बना सकता है

एक ट्रस्ट का निर्माण–

क) कोई भी व्यक्ति जो संविदा के योग्य है और

ख) किसी नाबालिग द्वारा या उसकी तरफ से न्यायिक अदालत की अनुमति से :

धारा 8 – न्यास की विषय वस्तु

न्यास की विषय वस्तु व संपत्ति जो लाभार्थी को स्थानांतरित होनी है। ये मात्र लाभ की वस्तु नहीं हो सकती।

धारा 9 – कौन होगा लाभार्थी

संपत्ति प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति लाभार्थी हो सकता है।

लाभार्थी की अस्वीकृति– कोई प्रस्तावित लाभार्थी न्यासी को लिख कर ट्रस्ट द्वारा प्राप्त लाभ को अस्वीकृत कर सकता है

धारा 10 – न्यासी कौन हो सकता है

संपत्ति रखने वाला कोई भी व्यक्ति न्यासी हो सकता है, लेकिन यदि किसी न्यास में निर्णय लेने का काम हो तब न्यासी को संविदा के लिए पर्याप्त योग्यता होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को न्यासी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

न्यास की स्वीकृति शब्दों या कार्यों से दी जाती है।

न्यास की अस्वीकृति – न्यासी बनने के स्वीकृति के स्थान पर न्यासी बनाने वाला कोई व्यक्ति न्यासी बनने से इनकार भी कर सकता है और इससे ट्रस्ट संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा।

एक या एक से अधिक न्यासियों द्वारा ट्रस्ट से अलग होने से अन्य न्यासियों के हाथ में ट्रस्ट की संपदा का अधिकार चला जाएगा, और वह जिस दिन से ट्रस्ट बना है, उस दिन से ट्रस्ट के न्यासी माने जाएगे।

धाराएं 11 से 30

न्यासियों की कर्तव्य व उतरादियत्व का विस्तृत वर्णन किसी हानि की रोकथाम, लेखा जोखा और सूचना, ट्रस्ट में राशि का निवेश इत्यादी है।

धाराएं 31 से 45

न्यासियों के अधिकार व शक्ति – जिसमें स्वामीत्व पत्र, धन देने का अधिकार, न्यास की संपदा के प्रबंधन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार इत्यादि है।

धाराएं 45 से 54

इसमें न्यासियों के अधिकारों की सीमाएं, जैसे अपने अधिकारों को स्थानांतरित करने पर प्रतिबंध, सेवों के लिए कोई धन लाभ न होना और न्यास संपत्ति का अपने हितों के लिए उपयोग करना इत्यादि।

भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013

इस कानून की धारा 8 के अंतर्गत कंपनियाँ लाभविहीन होने का दर्जा प्राप्त कर सकती हैं। संसद द्वारा वर्ष 2013 में पारित किये गये इस कंपनी अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति ने 29 अगस्त 2013 में अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस अधिनियम द्वारा कंपनी पर नियंत्रण रखने वाले कानून को परिवर्तित किया गया और उसको प्रभावी बनाया गया। 30 अगस्त 2013 को इस अधिनियम को सरकारी गजट में नोटिफाइड किया गया और इसने 1956 के पुराने कंपनी अधिनियम का स्थान लिया। 12 दिसम्बर 2013 में एक अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू कर दिया गया लेकिन फिर भी कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइड के अनुसार 1956 के कंपनी अधिनियम प्रावधान अभी भी लागू हैं।[15]

भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 8 (1) (ए) के अनुसार धारा 8 कंपनी व्यापार, कला, विज्ञान, शिक्षा, शोध, समाज कल्याण, धर्म और पर्यावरण सुरक्षा जैसे किसी कार्य के लिये धारा 8 (ए) में स्थापित की जा सकती है।

इस तरह धारा 8 की कंपनियों के कार्य का दायरा बढ़ जाता है क्योंकि इसमे कला, विज्ञान, शिक्षा, शोध, समाज कल्याण, धर्म और पर्यावरण सुरक्षा जैसे तमाम कार्य शामिल कर दिये गये हैं। इससे यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक विकास को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है। धारा 8 में कंपनी को अपना लाभ इन उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च करना होता है न कि अपने सदस्यों को लाभांश देने में।

---

15. *कार्पोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार (नई दिल्ली)। एबाउट एक्टस एंड रुल्स, Retrieved June 18, 2014, from Ministry of Corporate Affairs website: http://www.mca.gov.in/MinistryV2/companiesact.html*

कंपनी अधिनियम धारा 8 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के लिये अमर्यादित या निजी मर्यादित कंपनियों द्वारा लिखे हुये एक आवेदन पत्र में निम्नलिखित तथ्यों होना आवश्यक है :

- संगठन के मेमोरेंडम और अन्य प्रपत्र जैसे संस्था के पास संपत्ति का विवरण और संस्था का संक्षिप्त विवरण।
- उन कंपनियों व संगठनों की सूची जिसमें इस तरह की संस्था बनाने वाले लोग निदेशक हैं या ऐसे पदों पर हैं जो किसी तरह से इन पदों के बराबर हैं।
- भविष्य में होने वाली अनुमानित आय और व्यय, आय के स्त्रोत्र और खर्चों के मदों का विवरण।
- कार्य का संक्षिप्त विवरण करते हुये एक वतव्य पत्र।
- आवेदन किन आधारों पर दिया गया है इस विषय पर एक संश्रिप्त वतव्य।
- प्रतिवेदन करने वाले प्रति व्यक्ति द्वारा यह घोषणा कि वह दिलो–दिमाग से स्वस्थ हैं और उसे कभी भी कानून से कोई सजा नहीं मिली हैं और वह निदेशक के पद लिये अयोग्य नहीं है।

धारा 8 की कंपनी के लिये कम से कम दो सदस्यों की आवश्यकता होती है। अधिक से अधिक कितने सदस्य हो इस पर कोई रोक नहीं है। धारा 8 की कंपनी की संचालन संरचना सोसाइटी की तरह ही होती है। यह निदेशकों या प्रबंधन समिति या सदस्यों द्वारा चुनी हुई संचालन समिति द्वारा संचालित होती है। नये कानून में ऐसे किसी संस्था का किसी समान उद्देश्यों वाली अन्य कंपनी में विलय का प्रावधान भी है।

धारा 8 की कंपनियाँ ऋण और दायित्व के सारे निपटारे के बाद विघटित की जा सकती हैं। इस कंपनी का धन और संपत्ति किसी अन्य धारा 8 की ऐसी कंपनी को स्थानान्तरित किया जा सकता है जो कि उन्हीं उद्देश्यों के लिये कार्य करती है। ऐसे धन और संपत्ति को कंपनी के सदस्यों के बीच बांटना गैर–कानूनी है।

धारा 8 (11) के अंतर्गत इस कानून में किये गये किन्हीं भी प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दस लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है तथा निदेशक और कंपनी के अन्य अधिकारियों को तीन साल तक की जेल और पच्चीस हजार से लेकर पच्चीस लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। 1956 का कानून उल्लंघन करने वालो के प्रति इतना सख्त नहीं था। लेकिन भारतीय कपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकरण बहुत कम होता था क्योंकि उसके प्रावधान बहुत खर्चीले और पेचींदे थे।

भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के मुख्य अनुच्छेदों का स्वंयसेवी संगठनों से संबंध

अनुच्छेद– 1–

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कंपनी अधिनियम 2013 है

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है

(3) यह धारा तुरंत प्रवृत होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत होंगे, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखे नियत की जा सकेगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत होने के प्रति निर्देश है।

अनुच्छेद–3 कंपनी का निगमन

कोई कंपनी किसी विधि मान्य प्रयोजनों के लिए

(क) जहां बनायी जाने वाली कंपनी पब्लिक कंपनी होगी, वहां सात या अधिक व्यक्तियों द्वारा,

(ख) जहां बनाई जाने वाली कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी, वहां दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा, या

(ग) जहां बनाई जाने वाली कंपनी एक व्यक्ति कंपनी होगी, वहां एक व्यक्ति द्वारा,

किसी ज्ञापन में अपने नामों या नाम में हस्ताक्षर करके और रजिस्ट्रीकरण के संबंध में इस अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए, बनायी जा सकेगी।

अनुच्छेद – 4 – ज्ञापन

1) किसी कंपनी ज्ञापन में निम्नलिखित का कथन होगा

(क) किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की दशा में, 'लिमिटेड' अंतिम शब्द के साथ या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की दशा में, 'प्राइवेट लिमिटेड' अंतिम शब्दों के साथ कंपनी का नाम

परंतु इस खंडन की कोई बात धारा 8 के अदीन रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी को लागू नहीं होगी

(ख) वह राज्य, जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित किया जाना है

(ग) वे उद्देश्य, जिसके लिए कंपनी को निगमित किये जाने का प्रस्ताव है और ऐसा कोई विषय, जो उनको अग्रसर करने में आवश्यक समझा जाए

(घ) कंपनी के सदस्यों का दायित्व, चाहे परिसिमित हो अपिरिसिमित

(ङ) शेयर पूंजी वाली किसी कंपनी की दशा में,

(i) शेयर पूंजी की वह रकम, जिसके साथ कपंनी को रजिस्ट्रीकृत किया जाना है और उसका नियत रकम के शेयरों मे विभाजन तथा उन शेयरों की संख्या, जिसके लिए ज्ञापन के अभिदाता, अभिदाय करने की सहमति देते हैं, जो एक शेयर से अशून्य नहीं होगा और

(च) एक व्यक्ति कंपनी की दशा में, उस व्यक्ति का नाम जो अभिदाता की मृत्यु की दशा में कंपनी का सदस्य बने।

(2) ज्ञापन में कथित नाम

(क) इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी विद्यमान कंपनी के नाम के समान या उसके अतिसदृश नहीं होगा या

(ख) ऐसा होगा कि कंपनी द्वारा उसका प्रयोग

(i) तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन किसी अपराध का गठन करेगा, या

(ii) केंद्रीय सरकार की राय में अवांछनीय है।

अनुच्छेद – 8 – पूर्व उद्देश्यों आदि वाली कंपनियों का बनाया जाना

(1) जहां केंद्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन लिमिटेड कंपनी के रूप मे रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति संगम का

(क) उद्देश्य वाणिज्य, कला, विज्ञान, खेलकूद, शिक्षा, अनुंसंधान, समाज कल्याण, धर्म, पूर्त, पर्यावरण का संरक्षण या किसी ऐसे अन्य उद्देश्य का संवर्धन करना है

(ख) अपने लाभों को, यदि कोई हो, या अन्य आय को अपने उद्देश्यों के संबंर्धन में लगाने का आशय है, और

(ग) अपने सदस्यों के किसी लाभांश के संदाय को प्रतिद्वंद करने का आशय है,

(2) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी सभी विशेषाधिकारों का उपयोग करेगी और लिमिटेड कंपनियों की सभी बाध्यताओं के अध्यधीन होगी।

(3) कोई फार्म इस धारा अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी की सदस्य हो सकेगी।

(4) (i) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के शिवाय, अपने ज्ञापन या अनुच्छेदों के बंधों में परिवर्तन नहीं करेगी

(ii) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी ऐसी शर्तो का जो विहित की जाए, पालन करने के पश्चात ही, किसी अन्य प्रकार की कंपनी में स्वंय को सपरिवर्तित कर सकेगी।

(5) जहां केंद्रीय सरकार के समाधान प्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन या किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई लिमिटेड कंपनी उपधारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट किन्ही उद्देश्यों और उस उपधारा के क्रमशः खंड (ख) और खंड (ग) में यथावर्णित निर्वंधनों और प्रतिषेधों सहित बनाई गई है, वहां वह अनुज्ञापित द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे, इस धारा के अधीन कंपनी को रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए और इसके नाम से, यथास्थिति, 'लिमिटेड' शब्द या 'प्राइवेट लिमिटेड' शब्दों का लोप करके अपने नाम में परिवर्तन करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी और तदूपरी रजिस्ट्रार विहित प्ररूप में आवेदन किये जाने पर इस धारा के अधीन ऐसी कंपनी को रजिस्ट्रीकृत करेगा तथा इस धारा के सभी उपबंध उस कंपनी को लागू होंगे।

(6) केंद्रीय सरकार, इस धारा अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी को अनुदत्त अनुज्ञप्ति को आदेश द्वारा प्रतिसंहृत कर सकेगी, यदि कंपनी इस धारा की किन्हीं अपेक्षाओं या ऐसी किन्ही शर्तों का जिसके अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है, उल्लखन करती है, या कंपनी का कामकाज कपटपूर्ण रूप से या ऐसी रीति में, जो कंपनी के उद्देश्यों का अतिक्रमण करती है, या लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है, संचालित किया जाता है और इस अधिनियम के अधीन कंपनी के विरुद्ध किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कंपनी को अपनी प्रतिस्थिति में सपरिवर्तन करने और अपने नाम में यथास्थिति 'लिमिटेड' शब्द या 'प्राइवेट लिमिटेड' शब्दों को जोड़ कर परिवर्तन करने का निर्देश दे सकेगी और तदुपरी रजिस्ट्रार किसी ऐसी कार्यवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उपधारा (7) के अधीन की जा सके, विहित प्ररूप में आवेदन करने पर कंपनी को तदनुसार रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा.

परंतु इस उपधारा के अधीन ऐसा कोई आदेश तभी किया जाएगा, जब कंपनी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो,

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसे आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार को दी जाएगी।

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत की जाती है, वहां केंद्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में यह आवश्यक है तो यह निर्देश दे सकेगी कि कपंनी का इस अधिनियम के अधीन परिसमापन किया जाए या इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य कंपनी के साथ सम्मेलन किया जाएः

परंतु इस उपधारा के अधीन ऐसा कोई आदेश तभी किया जाएगा, जब कंपनी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो।

(8) जहां उपधारा (6) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत की जाती है और जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता

है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी को इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत और समान उद्देश्यों वाली किसी अन्य कंपनी के साथ समामेलित किया जाना चाहिए तो इस अधिनियम में अंतर्विशष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी संरचना, संपत्तियों, शक्तियों, अधिकारों, हित, प्रतिधिकारों और विशेषाधिकारों सहित, तथा ऐसे दायित्वो, कर्तव्यों और बाधाओं सहित, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी एकल कंपनी को बनाये जाने के लिए ऐसे समामेलन का उपबंध कर सकेगी।

(9) यदि, इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी के परिसमापन या विघटन पर, उसके ऋणों और दायित्वों के समाधान के पश्चात कोई आस्ति शष रहती है तो उसे इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत और समान उद्देश्यों वाली किसी अन्य कंपनी को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिकरण, अधिरोपित करे, अंतरित किया जा सकेगा या उसका विक्रिय किया जा सकेगा और उसके आगमों को धारा 269 के अधीन विरचित, पुनर्वास और दीवाला निधि में जमा किया जा सकेगा।

(10) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी को केवल इस धारा अधीन रजिस्ट्रीकृत और समान उद्देश्यों वाली किसी अन्य कंपनी के साथ ही समामेलित किया जाएगा।

(11) यदि, कोई कंपनी इस धारा में कथित किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम करती है तो, कंपनी,इस धारा के उपबंधों के अधीन किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी जुर्माने से, जो 10 लाख रुपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक करोड़ रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी के निर्देशक और उसका प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो 25 हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो 25 लाख रुपये तक हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

परंतु जब यह साबित हो जाता है कि कंपनी के कामकाज का संचालन कपटपूर्वक किया गया था, तब प्रत्येक व्यतिक्रमी अधिकारी धारा 447 के अधीन कार्रवाई के लिए दायि होगा।

प्रस्तावित मल्टीस्टेट सोसाइटी पंजीकरण बिल 2012 (एमएसएसआर)

यह कानूनी प्रावधान उन सोसाइटियों को लक्ष्य में रख कर बनाया गया है जो कई राज्यों में काम करती हैं। इसका उद्देश्य एक ऐसा सामान्य कानून व ढाँचा बनाना है जो सारे देश में लागू हो सके। इसलिये एक से अधिक राज्यों में काम करने वाली संस्थाओं को इस कानून के अंतर्गत पंजीकृत होना जरुरी है।

वर्ष 2012 का यह बिल राष्ट्रीय स्तर के बड़े संगठनों के लिये देश में उनकी विभिन्न जगहों तक पहुँच को आवश्यक मापदंड मानता है। लेकिन इस भौगोलिक मापदंड की वजह से कई समस्यायें भी आयेंगी। जैसे : (1) यदि कोई संगठन प्राकृतिक आपदा से ग्रसित दूसरे राज्य के लिये कोई आर्थिक योगदान करे तो क्या वह मल्टीस्टेट हो जाता है? (2) क्या कोई संगठन यदि किसी राज्य में राष्ट्रीय महत्व के किसी विषय पर शोध कार्य कर रहा हो तो क्या वह इस बिल के तहत पंजीकरण के लिये योग्य है? (3) क्या कोई संगठन एक बड़े स्तर पर एक राज्य में कार्य कर रहा हो और वहाँ उसके कार्य की परिधि बहुत बड़ी हो तो क्या वह मल्टीस्टेट कानून के अंतर्गत आयेगा? इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इस मल्टीस्टेट धारणा पर पुन विचार हो और इसको राष्ट्रीय महत्व और पहचान के संगठनों के रूप में पुनः परिभाषित किया जाय। प्रस्तावित कानून को राष्ट्रीय लाभविहीन संगठन पंजीकरण अधिनियम 2012 का नाम दिया जाना चाहिये।

प्रस्तावित बिल स्वयंसेवी सेक्टर के लिये कई बड़ी चुनौतियाँ लेकर आया है इसलिये वानी[16] ने इस बिल का विस्तृत विश्लेषण किया है :

- इस समय लाभविहीन संगठन सोसाइटी अधिनियम, न्यास और कंपनी के धारा 8 अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। इन तीनों तरीकों में राज्य के बाहर काम करने के लिये शाखायें बनाने पर कोई कानूनी रुकावट नहीं है। प्रत्येक राज्य अपनी सीमा में पंजीकरण की सुविधा देता है जो राज्य की सीमा के बाहर लागू नहीं हो सकती है। लेकिन कोई भी परोपकारी संगठन चाहे वह पंजीकृत हो

16. *वानी, (एन.डी.)। एनालिसिस एंड रिकामेन्डेशन, मल्टीस्टेट सोसीइटीस रजिस्ट्रेशन बिल 2012। Retrieved May 16, 2014, from Voluntary Action Network India website: http://vaniindia.org/pdf/Analysis_Recommendations.pdf*

अथवा न हो देश के किसी भी भाग में उस स्थान के कायदे–कानूनों के तहत काम कर सकती है। इसलिये एमएसआरआर बिल के आने के साथ पंजीकरण का एक और तरीका बन जायेगा जो स्वयंसेवी संगठनों के कार्य और परिधि पर रोक लगायेगा।

- वर्ष 2012 का एमएसआरआर बिल धारा 5 के अंतर्गत पंजीकृत न होने तक किसी भी तरह की गतिविधि का अनुमोदन नहीं करता है। यह बिल काम कर रहे संगठनों को पंजीकृत करने के लिये कहता तो अवश्य है लेकिन साथ ही साथ यह भी कहता है कि पंजीकरण के दौरान उन संस्थाओं की सारी गतिविधियाँ लंबित रहेंगी जो कि व्यावहारिक और कानूनी दोनों तरीको से संबंध नहीं है।
- एमएसआरआर बिल 2012 की धारा 26 में यह प्रावधान है कि अपने कानूनों में तीन माह तक संशोधन नहीं करने पर सरकार किसी भी संस्था को विघटित कर सकती है। इस धारा के विभिन्न प्रावधानों में किसी संस्था के विघटन के लिये कई कारण बताये गये हैं जिनमें से एक यह है कि यदि रजिस्टार के निर्देशों के अनुसार कोई संस्था अपने संविधान में तीन माह के अंदर संशोधन नहीं करती है तो उसको विघटित किया जा सकता है। वैसे प्रस्तावित बिल में यह भी कहा गया है कि बिना ऐसे किसी संगठन का पक्ष सुने बिना केन्द्रीय सरकार विघटन का आदेश पारित नहीं कर सकती। लेकिन हमें यह समझना चाहिये कि यह बिल काफी शिकंजा कसनेवाला है और इसके किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर कठोर कार्यवाही हो सकती है।
- धारा 28 के अंतर्गत प्रस्तावित एमएसआरआर बिल सरकार को किसी संगठन के विघटित होने की स्थिति में उसके संसाधनों को किसी अन्य संस्था को देने के निर्णय का अधिकार देता है। कोई सोसाइटी या न्यास जनकल्याण के लिये स्थापित एक निजी संस्था होती है जिसका मतलब है कि जब तक सरकार आर्थिक सहायता न दे तब तक सब संस्थायें निजी संस्थायें हैं। इसलिये किसी संस्था के विघटन के बाद उसका धन और संपत्ति किस अन्य संस्था को दिया जाय या न दिया जाय इसका फैसला करने का अधिकार सिर्फ संस्था के सदस्यों का होना चाहिये न कि सरकार का। यह और इससे उपर वाला प्रावधान मिलकर एक षड़यंत्रकारी परिदृश्य बनाते हैं जिसके अंतर्गत सरकार पहले तो किसी स्वयंसेवी संस्था को तीन माह के अंतर्गत अपने नियम न बदल पाने के कारण विघटित कर सकती है और उसके बाद उसकी राशि और संपत्ति को अपने पंसद की संस्थाओं को दे सकती है।
- धारा 36 के अंतर्गत एमएसआरआर बिल में यह प्रावधान है कि किसी भी एक सदस्य की संस्तुति पर किसी मल्टीस्टेट संस्था के कार्यकलापों की जाँच हो सकती है। किसी एक सदस्य की इच्छा पर होने वाली पुलिस जाँच काफी सोच–समझ और सही प्रक्रिया के साथ ही करने की अनुमति देनी चाहिये।
- एमएसआरआर बिल 2012 की धारा 37 के अंतर्गत पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने आप[17] या किसी की शिकायत पर खोजबीन कर सकती है। ऐसा प्रावधान इसके अंतर्गत एक पुलिस अधिकारी को जांच–पड़ताल करने की छूट हो एक सुरक्षा कवच के अंदर होना चाहिये और इसकी कार्य प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिये। यह प्रावधान पुलिस को बहुत व्यापक अधिकार देता है जिससे संभव है कि पुलिस वाले मल्टीस्टेट संस्थाओं से पैसे लेकर उनका उत्पीड़न करें।
- एमएसआरआर बिल 2012 की धारा 42 के अंतर्गत सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी सोसाइटी को बिना उसका पक्ष सुने अधिकृत कर ले या उसके लिये एक नया बोर्ड बना दे। इस तरह का प्रावधान अतार्किक है और सरकार को किसी संगठन के कार्य में हस्तक्षेप करने के लिये असीमित अधिकार देता है।

जमीनी हकीकत

यह दुर्भाग्य की बात है कि पंजीकरण की प्रक्रिया में बहुत जटिलतायें है और स्वयंसेवी संगठनों को अकसर विभिन्न कानूनों और अधिकारियों के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

- राज्य स्तर पर परोपकार आयुक्त या सोसाइटी के रजिस्टार किसी परोपरकारी संगठन को पंजीकृत करने के लिये उत्तरदायी होते हैं।
- केन्द्रीय स्तर पर आयकर कानून के अंतर्गत किसी परोपकारी संस्था को कर छूट के लिये पंजीकृत करना होता है।
- यदि किसी संस्था को विदेश से आर्थिक सहायता मिलती है तो वह गृह मंत्रालय के दायरे में आती है।

---

17. *स्वप्रेरणा द्वारा।*

तमाम न्यास अधिनियम और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम काफी हद तक पुराने हो गये हैं। उदाहरण के लिये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जन्म से भी पुराना है और कहा जाता है कि यह 1857[18] की सशस्त्र क्रांति के कारण बनाया गया था। यह भी कहा जाता है कि इस कानून का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा उन संगठनों पर निगरानी रखना था जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पनपे थे और ऐसे कानूनों का आधार मालिक–नौकर संबंध था। जिसमें सरकार पालक की भूमिका में थी और स्वयंसेवी सेक्टर सेवक की। लेकिन तब से सारे विश्व में सभी स्तरों पर बहुत बदलाव आ गया है और स्वयंसेवी सेक्टर को अब राज्य का सहायक ठेकेदार नहीं माना जाता है। यह लोकतंत्र और विकास का एक मजबूत स्तंभ है। इसलिये इस संदर्भ में इस बात की आवश्यकता है कि स्वयंसेवी सेक्टर के विकास के लिये प्रगतिशील कानून बने। सोसाइटी फॉर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (प्रिया) के अध्यक्ष डॉ. राजेश टंडन ने वानी द्वारा वर्ष 2011 में आयोजित एक राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा कि : *"भारत में संस्थाओं को जिनमें स्वयंसेवी संस्थायें भी हैं कानूनी जामा पहनाने के लिये आधुनिक और समयानुकूल व्यवस्था नहीं है। अभी जो कानून हैं वह पुराने व अप्रासंगिक हैं और संस्थाओं की वर्तमान आवश्यकताओं से काफी दूर हैं। यह बात स्वयंसेवी सेक्टर की राष्ट्रीय नीति में स्पष्ट कही गई है कि आज एक आधुनिक समयानुकूल व्यवस्था की आवश्यकता है जिसके तहत स्वयंसेवी संगठनों को कानूनी जामा पहनाया जा सके।'*

इस अध्ययन के दौरान क्षेत्रीय सम्मेलनों तथा व्यक्तिगत साक्षात्कारों में यह पाया गया कि विभिन्न राज्यों में पंजीकरण के अलग–अलग तरीके हैं। इनमें से कुछ बाते निम्नलिखित हैं :

पूर्वी क्षेत्र

'पंजीकरण के लिये कोई निर्धारित समय नहीं है। यह राज्यों के उपर निर्भर है। वैसे यदि कागजी–दस्तावेज सही हों तो प्रक्रिया में बाधा नहीं आती लेकिन साथ ही साथ स्वयंसेवी संगठनों को कई राज्यों में भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है जिसमें अकसर एक हजार तक की रिश्वत की मांग की जाती है। जब हमने अपना पंजीकरण कराया तो बिना किसी कारण के हमसे कहा गया कि अपना नाम और मेमोरेडंम ऑफ एसोसिएशन बदल दें।'

– अभिताभ बेहर, कार्यकारी निदेशक,
नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया

सामूहिक वार्तालाप में यह बात सामने आई कि पूर्वी क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? केन्द्रीय समूह वार्तालाप और डेस्कटॉप समीक्षा के द्वारा : बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में जो जमीनी हकीकत सामने आई वह इस प्रकार है :

- पूर्वी क्षेत्र में किसी स्वयंसेवी संगठन का पंजीयन दो स्तर किया जा सकता है या तो रजिस्टार ऑफ सोसाइटी के द्वारा राज्य स्तर पर या एडिशनल रजिस्टार ऑफ सोसाइटी[19] द्वारा जिला स्तर पर। लेकिन पश्चिमी बंगाल के प्रतिभागियों ने यह बताया कि उनके राज्य में जिला स्तर पर पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। उड़ीसा के प्रतिनिधियों ने जिला स्तर पर पंजीकरण के विषय में अपनी चिंता व्यक्त की। यह कहा गया कि जिला स्तर पर कई अस्पष्ट कानून हैं जिससे यदि कोई संगठन दूसरे जिलों में काम करना चाहे तो उसे यह स्पष्ट नहीं होता कि वह अन्य जिलों में काम कर सकता है कि नहीं। इस क्षेत्र के अधिकतर प्रतिभागियों ने पंजीकरण और पंजीकरण के नवीनीकरण[20] के बारे में चिन्तायें व्यक्त की क्योंकि वह जिला प्रशासन के रुख पर निर्भर करता है।

---

18. *चैरिटिस एड फाउंडेशन। रजिस्ट्रिंग एंड मैंनेजिंग वालेंटरी आर्गेनाइजेशन्स। Retrieved May 8, 2014, from Charities Aid Foundation Website: http://www.cafindia.org/pages/Registering%20as%20a%20Charitable%20Organisation%20in%20India.pdf*
19. *16 अप्रैल 2014 को उड़ीसा में फोकस समूह चर्चा।*
20. *कुई राज्यों में समय–समय पर पंजीकरण के नवीकरण की मांग स्वयंसेवी संगठनों के लिए मुश्किल बनाता है।*

- पंजीकरण कानूनों का अंग्रेजी भाषा में होना भी छोटे स्वयंसेवी संगठनों के लिये एक बाधा है। छोटे जमीनी संगठन अंग्रेजी में दक्ष नहीं होते और अपने काम के लिये अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करते हैं। प्रतिभागियों ने यह भी कहा कि कानूनों को उस क्षेत्र की भाषाओं में सरल रुप से लिखा जाना चाहिये।
- यह भी कहा गया कि अलग–अलग जिलों में रजिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा कागजी कार्यवाही होती है। पंजीकरण से पहले किसी संगठन से 29–30 किस्म के कागज मांगे जाते हैं जिसके कारण सरकारी ऑफिस पैसा बनाते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। प्रतिभागियों ने यह भी कहा कि पंजीकरण के लिये एक समय सीमा भी होनी चाहिये क्योकि कभी–कभी यह प्रक्रिया बहुत लंबी और उबा देने वाली होती है। कुछ संगठनों के प्रतिनिधियों ने यह भी सुझाव दिया कि पंजीकरण की प्रक्रिया को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एकसमान कर देनी चाहिये जिससे सारी कार्य प्रणाली तेज, कुशल और भ्रष्टाचार विहीन हो सकें।
- अधिकांश प्रतिभागियों ने यह भी कहा कि यदि कागज पूरे हो तो पंजीकरण के आवेदन अस्वीकृत नहीं किये जाते लेकिन किन्हीं कारणों से सारी प्रक्रिया में बहुत देर लगती है। बंगाल में पंजीकरण का नवीनीकरण कानूनी रुप से अनिवार्य है। कुछ वित्त पोषक और सरकारी अनुदान विभाग संस्थाओं का वार्षिक नवीनीकरण आवश्यक मानते हैं और इस कारण स्वयंसेवी संस्थाओं पर बहुत भार पड़ता है।
- सभी प्रतिभागियों ने अतिरिक्त जिलाधीश कार्यालयों में असहयोग और भ्रष्टाचार की बात बहुत जोरों से उठाई। पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों ने यह कहा कि पंजीकरण कार्यालयों में दलालों[21] का हस्तक्षेप होता है जिससे पंजीकरण प्रक्रिया मंहगी और जटिल हो जाती हैं। इस तरह की तमाम बातें व्यवस्था का अंग हो गई हैं और लोग उनको स्वाभाविक मानते हैं।

पंजीकरण के नवीनीकरण की सत्यापन प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। हमें नवीनीकरण का कागज प्राप्त करने में छह महीने लगे और रजिस्टार के ऑफिस के तमाम चक्कर लगाने पड़े।'

– फाउंडेशन फॉर सोशल ट्रांसफार्मेशन, असम

जनजातीय सामाजिक विकास समिति एक पंजीकृत लाभविहीन संस्था है जो झारखंड के सरायकेला करसावान जनजातीय जिले में कार्य करती है। इस समिति का पंजीकरण वर्ष 1993–94 में हुआ था जब झारखंड बिहार राज्य का हिस्सा था। वर्ष 2000 में अलग राज्य बनने के बाद झारखंड सरकार ने बिहार में पंजीकृत सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के लिये झारखंड सोसाइटी पंजीकरण कार्यालय में अपना नवीनीकरण कराना अनिवार्य घोषित कर दिया। जनजातीय सामाजिक विकास समिति ने झारखंड राज्य में पंजीकरण के लिये वर्ष 2006–07 में आवेदन दिया। समिति के पदाधिकारियों ने पंजीकरण कार्यालय के कई चक्कर लगाये लेकिन कार्यालय के कर्मचारियों ने हमेशा उनके दस्तावेजों में कोई न कोई कमियाँ निकाल दी। प्रत्येक बार सरायकेला से पंजीकरण कार्यालय जाने में लगभग 600 रुपये खर्च होते थे। पांच–छह बार जाने के बाद समिति के पदाधिकारियों को झुकना पड़ा और उन्होंने कार्यालय के स्टॉफ को 5000 रुपये की रिश्वत दी। अगले महीने पंजीयन हो गया। समिति के सचिव श्री तरुण कुमार मानते हैं कि ऐसा करना गलत था। पर वह कहते हैं कि जब हमें व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करना है तो आपको सबकुछ करना पड़ता है। रांची आने में हमारा पैसा और समय दोनों बर्बाद हो रहा था इसलिये हमने रिश्वत दी। इसके साथ ही दस्तावेज में संशोधन कराने के लिये परामर्शदाता को पैसे देने पड़ते थे। क्या करें कभी–कभी झुकना पड़ता है।

– वानी की नागरिक रिपोर्ट से अनुदित

21. *दलाल ऑर एजेन्टस आर मिडिल मेन हू एज द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन वाय वे ऑफ देयर कोन्टेक्ट्स, लीगल नॉलेज एंड करप्ट प्रक्टिसेस।*

पश्चिमी क्षेत्र

पश्चिमी क्षेत्र के राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गये :

- पश्चिमी क्षेत्र के इन राज्यों में पंजीकरण राज्य और जिला स्तर पर किया जा सकता है। राजस्थान के प्रतिभागियों ने कहा कि वर्ष 1996 के मुकाबले अब पंजीकरण में 250 रुपये की जगह दस हजार रुपये लगते हैं[22] जो एक चिंता का विषय है। यह स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या यह पंजीकरण फीस है या रजिस्टार के ऑफिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण पंजीकरण पर कोई लागत है। प्रतिभागियों ने यह भी कहा कि किसी विकास कार्यों में प्रयासरत लाभविहीन संगठन के लिये इतना पैसा खर्च कर पाना मुश्किल है और अन्य राज्यों में इतना खर्चा नहीं हैं लेकिन हर जगह पंजीकरण की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार एक सामान्य समस्या है।
- महाराष्ट्र के प्रतिभागी ने कहा — कई वर्षों से महाराष्ट्र परोपकार आयुक्त का कार्यालय स्वयंसेवी संस्थाओं से उनकी आय का दो प्रतिशत भाग लेता आया है। स्वयंसेवी संगठनों के लिये यह मुश्किल है क्योंकि वह अनुदान राशि को निश्चित कार्यक्रमों और गतिविधियों के अतिरिक्त कहीं और व्यय नहीं कर सकते। अब कोर्ट के आदेश के बाद परोपकार आयुक्त के ऑफिस ने पिछले वर्षों से यह राशि लेना बंद कर दिया है।

राजस्थान सरकार ने योजना विभाग के अंतर्गत स्वयंसेवी सेक्टर विकास परिषद का गठन किया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली इस परिषद के कार्य हैं राज्य में स्वयंसेवी सेक्टर की नीति क्रियान्वन को देखना, स्वयंसेवी सेक्टर के स्वस्थ विकास एवं समस्याओं और योगदान पर नजर रखना और सरकारी विभागों, संस्थाओं तथा निजी क्षेत्र के सहयोग के साथ मिलकर काम करना। सरकार के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक समाजसेवी संगठनों को परिषद में पंजीकरण कराना होता है। निर्धारित मानक के आधार पर परिषद तय करती है कि किस क्षेत्र और किस विषय पर कोई स्वयंसेवी संगठन सरकार के साथ काम करेगा। प्रतिभागियों ने कहा कि स्वयंसेवी सेक्टर के महत्व को समझते हुये यह राजस्थान सरकार की यह अच्छी पहल है। पर समस्या यह है कि पंजीकरण में मांगी सूचना जुटाना एक जटिल कार्य है और सीमित कौशल और संसाधनों वाले छोटे संगठनों के लिये यह बहुत मुश्किल है। कुछ प्रतिभागियों को यह भी डर था कि शायद सरकार का उद्देश्य कुछ अवांछित स्वयंसेवी संगठनों को व्यवस्था के बाहर करना भी हो बावजूद इस बात के कि वह विकास परियोजनाओं के क्रियान्वन के लिये प्रतिबद्ध है। पंजीकरण के लिये स्वयंसेवी संगठनों को 5000 रुपये की फीस और वार्षिक सदस्यता के लिये 1000 रुपये का शुल्क देना पड़ता है।[23]

- सभी राज्यों के अधिकांश प्रतिभागियों ने यह कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी आम जनता को आसानी से प्राप्त नहीं होती। प्रत्येक स्तर पर तमाम तरह की औपचारिकतायें हैं जो पंजीयन प्रक्रिया को लंबा करती हैं और तमाम तरह की कागजी कार्यवाही को बढ़ावा देती हैं। इसके साथ–साथ सरकारी तौर–तरीका भी नौकरशाही वाला होता है इसलिये उन्हें इस प्रक्रिया में बहुत धीरज से काम लेना पड़ता है। यह छोटे संगठनों के लिये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि उनके पास सीमित साधन होते हैं और इस तरह की जानकारी को प्राप्त करने के लिये उनका नेटवर्क भी छोटा होता है।
- गुजरात के प्रतिभागियों ने यह बताया कि पिछले 10 वर्षों में उनके सरकार के साथ आपसी संबंध और भी तनावपूर्ण हो गये हैं। इसलिये पंजीकरण प्रक्रिया पर सरकार कड़ी जाँच–पड़ताल करती है और इस कारण पूरी प्रक्रिया लंबी और बोझिल हो गई है। लेकिन इसके साथ–साथ कुछ प्रतिभागियों ने यह भी कहा कि अच्छी प्रतिष्ठा और पूरी कागजी कार्यवाही से तैयार संगठनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिन्होंने कानूनी कार्य प्रक्रिया का अनुसरण किया उन्हें कोई भी समस्या नहीं हुई। इस तरह प्रतिभागियों का मानना था कि

22. *स्त्रोत : 9 अप्रैल 2014 को जयपुर में आयोजित फोकस समूह चर्चा से पश्चिमी क्षेत्र द्वारा प्रतिक्रिया*
23. *योजना विभाग राजस्थान सरकार वालेंटरी सेक्टर पालिसी। Retrieved May 9, 2014, from Planning Department, Government of Rajasthan Website: http://www.planning.rajasthan.gov.in/voluntary/Voluntary_Sector_Policy_English.pdf*

व्यवस्था में खामियाँ तो है लेकिन यदि कार्यप्रणाली की समझ और कानूनी ज्ञान हो तो समस्यायें नहीं आती।

- महाराष्ट्र में राज्य परोपकार आयुक्त किसी जनकल्याण ट्रस्ट के पंजीयन से पहले ट्रस्ट द्वारा किसी समाचारपत्र में विज्ञापन छपवाने का आग्रह करता है जिससे यदि आम जनता में किसी को आपत्ति हो तो उसका पता चल सके। यदि किसी स्वयंसेवी संगठन के बोर्ड के सदस्यों में कोई बदलाव हो तो 100 रुपये की फीस और नोटरी द्वारा सत्यापित किये हुये फार्म के साथ परोपकार आयुक्त के ऑफिस में जमा करना होता है। लेकिन कागज जमा करने के बाद भी रिकार्ड में परिवर्तन तब तक दर्ज नहीं होता जब तक की परोपकार आयुक्त पेशी के लिये न बुलायें। अकसर इस प्रक्रिया में वर्षों लग जाते हैं।

उत्तरी क्षेत्र

'जनाअधिकार एवं पक्षसमर्थन के क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों के लिये पंजीकरण का नवीनीकरण कराना मुश्किल होता जा रहा है।'

डॉ. सुशांत अग्रवाल, निदेशक,
चर्चस एक्सीलरी फॉर सोशल एक्शन (सीएएसए)

उत्तरी क्षेत्र के दिल्ली, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्यों से निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुईं :

- भारत की राजधानी दिल्ली में पंजीकरण प्रक्रिया बहुत सरल और सहज है तथा यहाँ पंजीकरण शुल्क मात्र 50 रुपये है। पंजीकरण के लिये आवश्यक है कुछ आधारभूत सूचनायें, संस्था के उपनियम तथा इसके स्थापक मंडल के सदस्यों का सम्पर्क–संबंध। उत्तर प्रदेश में पंजीकरण तो सरल है लेकिन कागजी कार्यवाही बहुत अधिक है। अकसर इन कागजों को लेकर पंजीकरण करानेवाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड में पंजीकरण शुल्क 5000 रुपये है और हर पांच साल बाद नवीनीकरण करना पड़ता है।[24] दिल्ली में नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन प्रतिवर्ष मूल सम्पर्क सूचना और उपनियम सौपने पड़ते हैं।

'वर्ष 1992 में, मैं भारतीय जनसेवा आश्रम, बदलापुर, जौनपुर, के उपनियमों को दाखिल करने के लिये वाराणसी में सोसाइटी पंजीकरण कार्यालय गया। शुरु में उन्होंने मुझसे 50 रुपये अतिरिक्त लेकर मुझे 150 रुपये की रसीद दी। जब मैंने कैशियर बाबू से पँछा तो उसने कहा यहाँ यही कायदा है। लेकिन मामला यहाँ ही समाप्त नहीं हुआ। नवीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान मुझसे 1500 रुपये की रिश्वत मांगी गई। क्योंकि मैंने रिश्वत देने से इंकार कर दिया था इसलिये मुझे आठ महीने यहाँ–वहाँ दौड़ाया गया। अंत में मैंने वाराणसी में कार्यरत एक बड़े प्रभावशाली अधिकारी को कहा। उनके द्वारा मामले को देखने के बाद मेरी संस्था का आठ महीने बाद पंजीयन हुआ।'

दौलत राम, भारतीय जन सेवा आश्रम,
बदलापुर, जौनपुर (उत्तर प्रदेश)

- केन्द्रित समूह वार्ता के दौरान एक प्रतिभागी ने यह कहा कि कई ऐसे भी मामले देखे गये हैं जहाँ एजेन्ट या दलाल पंजीकरण की प्रक्रिया खुद कर देते हैं और प्रस्ताव लिखकर परियोजना भी ले आते हैं और परियोजना की एक निश्चित प्रतिशत राशि खुद ले लेते हैं। एक प्रतिभागी ने कहा कि दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा काले पैसे को सफेद करने का भी धंधा चल रहा है। बिचौलिये और दलाल थोड़े पैसे लेकर उपनियम भी बनवा देते हैं। इस तरह से इस क्षेत्र में पैसा बनाने के लिये कुछ ऐसे लोग आ गये हैं जिनकी स्वयंसेवी कार्यों में न तो कोई रुझान है और न ही उनके लिये कोई प्रतिबद्धता।

---

24. *वानी. वाइस ऑफ द वालेंटरी सेक्टर इन उत्तराखंड. नई दिल्ली : वानी।*

- कई प्रतिभागियों ने यह भी कहा कि अकसर अधिकारी लोग अनावश्यक और तंग करने वाले प्रश्न पूछते हैं जिससे पंजीकरण प्रक्रिया बोझिल हो जाती है। एक प्रतिभागी ने यह भी कहा कि ऐसे भी उदाहरण है जहाँ दलित और पिछड़ी जातियों[25] के लिये कार्य करने वाले संगठनों के बोर्ड के सदस्यों से उनकी जाति व उनके समुदाय के बारे में पूछताछ की गई।

दक्षिणी क्षेत्र

आंध्र प्रदेश[26] व केरल के राज्य प्रतिनिधियों ने दक्षिण क्षेत्र के विचार–विमर्श में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश में स्वयंसेवी संगठन आंध्र प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2001 के अंतर्गत पंजीकृत किये जाते हैं। यह अधिनियम 10 दिसम्बर 2001 में लागू हुआ।

फीस संरचना

प्रयोजन	राशि (रुपये में)
सोसाइटी का पंजीकरण	200 रुपये
पंजीकरण का प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए एवं सोसाइटी के नाम परिवर्तन पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करना।	100 रुपये
हर निरीक्षण के लिए दस्तावेजों की खोजबीन रजिस्ट्रार की निगरानी में (खोजबीन फीस प्रति वर्ष)	50 रुपये

स्त्रोत : http://registration.ap.gov.in/CitizenServices//ACT/Societies/HowToRegisterASocieity.pdf

पंजीकरण के लिये स्वयंसेवी संगठनों को सामान्यतः किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। अधिकांश स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि पंजीकरण कोई जटिल काम तो नहीं है लेकिन बहुत लंबा जरुर है। पर ऐसे भी कई मामले हैं जहाँ रिश्वत ली गई और भ्रष्टाचार हुआ। यह स्वयंसेवी संगठनों के लिये एक चिंता का बिषय है।

- एक प्रतिभागी नें बताया कि आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक पंजीकरण होता है। उसने कहा कि यहाँ लगभग प्रति 600 लोगों पर एक स्वयंसेवी संस्था है लेकिन इस बात की पुष्टि होना अभी बांकी है। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने यह अनुमान लगाया है कि देश में प्रति 600 लोगों पर एक स्वयंसेवी संगठन है। लेकिन आंध्र प्रदेश का डाटा इस विषय में उपलब्ध नहीं है।[27]
- कर्नाटक और केरल के प्रतिभागियों ने कहा कि दूरगामी क्षेत्रों में काम कर रहे छोटे संगठनों के लोगों को पंजीकरण में सहायता की आवश्यकता है। इन राज्यों में कागजी कार्यवाही कम है सिर्फ सम्पर्क सूचना और उपनियम ही काफी है और स्वयंसेवी संगठनों के पंजीकरण के नवीनीकरण का भी कोई प्रावधान नहीं है। हैदराबाद के एक प्रतिभागी ने अपने संगठन के अपने उपनियमों में और सदस्यता में परिवर्तन के दौरान प्राप्त चुनौतियों का जिक्र किया।

---

25. *23 अप्रैल 2014 को नई दिल्ली में आयोजित उत्तरी क्षेत्र के फोकस समूह चर्चा की प्रतिक्रियाएँ।*
26. *आंध्र प्रदेश स्टेट पोर्टल (2001, अक्टूबर 10) आंध्र प्रदेश गजट। Retrieved June 13, 2014, from Andhra Pradesh Government Website: http://www.ap.gov.in/Acts%20Policies/Societies%20Registration%20Act%202001.pdf*
27. *महापात्रा, डी (2014, फरवरी 23)। इंडिया वेटनेशिंग एनजीओ बूम, देयर इज वन फार इभरी 600 पीपुल। Retrieved June 9, 2014, from Times of India Website: http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-witnessing-NGO-boom-there-is-1-for-every-600-people/articleshow/ 30871406.cms*

- हैदराबाद के संगठन एपमास की सुश्री कलामणि ने कहा कि उन्हें रजिस्टार के ऑफिस की कार्यप्रणाली बड़ी असहयोगपूर्ण लगी। रजिस्ट्रार का ऑफिस बदल गया था और उन्होंने कहा था कि फाईल खो गई है। शायद वो लोग रिश्वत भी लेना चाहते थे जो हम देने को तैयार नहीं थे। रजिस्टार कार्यालय की गलती के कारण हमारे संगठन को नुकसान उठाना पड़ा।

स्वयंसेवी संगठनों के विभिन्न क्षेत्रों में पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अलग–अलग अनुभव रहे हैं। लेकिन सभी क्षेत्रों के प्रतिभागियों नें इस बात पर जोर दिया कि स्वयंसेवी संगठनों की पंजीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिये। हमारे अध्ययन के दौरान यह बात स्पष्ट रुप से सामने आई कि पंजीकरण कार्य प्रक्रिया को भी सरल बनाना चाहिये।

भाग – 2 स्वयंसेवी संगठनों की कार्यविधि

भारतीय संविधान की धारा 19 (1) (सी) के अंतर्गत सभी नागरिकों को संगठन या संघ बनाने का अधिकार प्राप्त है। निशुल्क व परोपकारी संस्थायें, परोपकारी और धार्मिक अनुदान और धार्मिक संस्थायें भारतीय संविधान के सातवें अनुच्छेद की समवर्ती सूची का विषय है जिसके अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारे दोनों ही परोपकारी संगठनों के बारे में कानून बनाने में सक्षम हैं। भारतीय संविधान के सातवें अनुच्छेद (सेड्यूल) में न्यास और न्यासी विषय समवर्ती सूची के दसवें नम्बर पर आता है तथा दान और परोपकारी संस्थायें परोपकारी, धार्मिक अनुदान और धार्मिक संस्थायें समवर्ती सूची में 28 नम्बर पर हैं।[28]

संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त हमारे देश में कई ऐसे कानून हैं जो स्वयंसेवी संगठनों के संचालन और कार्य को नियंत्रित करते हैं। यह कानून कई तरह के पंजीकरण प्रावधान[29] के रुप में जिसके अंतर्गत स्वयंसेवी संगठन अपने अस्तित्व, संरचना और कार्य के लिये एक कानूनी आधार प्राप्त करते हैं। स्वयंसेवी संगठनों को संचालित करने वाला कानूनी ढाँचा इस बात पर निर्भर करता हैं कि स्वयंसेवी संगठन क्या काम करता है। यदि एक स्वयंसेवी संगठन सोसाइटी के रुप में है तब वह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत आता है। यदि वह एक न्यास के अंतर्गत पंजीकृत होता है तो भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के प्रावधान उसको नियमित करते हैं और यदि वह एक लाभविहीन कंपनी है तो वह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अतंर्गत पंजीकृत होगी। उपरोक्त कानूनों के अंतर्गत आयकर अधिनियम 1961 बी स्वयंसेवी संगठनों पर लागू होता है और यदि किसी स्वयंसेवी संगठनों को विदेशों से अनुदान मिल रहा हो तब वह विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 2010 (एफसीआरए) के दायरे में आती है।

एक कानूनी इकाई बनने के लिये प्रत्येक स्वयंसेवी संगठन के लिये आवश्यक है कि उसका एक संविधान हो, उपनियम हो, उद्देश्यपत्र (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) और इस तरह के अन्य दस्तावेज हों जो कि उस संगठन के प्रशासन के लिये आवश्यक है। किसी भी संगठन का नियंत्रण एक प्रबंधन मंडल के हाथ में होता है। इसके द्वारा वह संगठन जनता, अपने सदस्यों, संगठन के लाभार्थियों तथा योगदान और आर्थिक सहायता देने वाले के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। भारत में अधिकांश स्वयंसेवी संगठन स्वशासित संस्थायें हैं और वे बिना किसी बाह्य नियंत्रण के अपना संविधान और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था तय करती हैं। उनके पास प्रयाप्त स्वासतत्ता होती है और वह अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का नियोजन और प्रबंधन अपने अनुसार कर सकती हैं।

कई राज्य और केन्द्रीय संस्थाओं को स्वयंसेवी संगठनों की कार्यविधि और संचालन पर नियंत्रण अधिकार प्राप्त है। उदाहरण के लिये सभी स्वयंसेवी संगठनों को प्रत्येक वर्ष टैक्स रिटर्न और खर्चों का लेखा–जोखा विभिन्न सरकारी संस्थाओं को जमा करना पड़ता है। राज्य स्तर पर ये संस्थाये हैं परोपकार आयुक्त (ट्रस्ट के लिये), रजिस्टार ऑफ सोसाइटी (कई राज्यों में इसको अलग–अलग नामों से पुकार जाता है जिनमें रजिस्टार ऑफ ज्वाइट कंपनी भी है।) और रजिस्टार ऑफ कंपनी (धारा 25 की कंपनियों के लिये) केन्द्रीय स्तर पर आयकर विभाग और विदेशी अनुदान प्राप्त करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के लिये केन्द्रीय गृह मंत्रालय हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ चुनौतियाँ हैं। सभी क्षेत्रों के आये हुये प्रतिभागियों ने कहा कि सरकार सामान्यतः स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकलापों पर अधिक ध्यान नहीं देती है पर जनाधिकार

---

28. *अदुकिया, एस.आर. (एन.डी.) हैंडबुक आन लाज गवर्निंग फारमेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चौरिटेबल आर्गेनाइजेशन्स इन इंडिया। (पृष्ठ 10 से 15)* ***Retrieved July 2014, 16, from http://www.caaa.in/Image/hb-charitable_org.pdf***

29. *सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882, कंपनी अधिनियम, 2013।*

समर्थक और पक्ष समर्थन वाले संवेदनशील क्षेत्रों में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों पर निगाह रखी जाती है। प्रतिभागियों ने यह भी कहा कि वार्षिक रिपोर्ट रजिस्टार को सौपी जाती है लेकिन आय और व्यय के व्यौरे के साथ राज्य और केन्द्रीय गुप्तचर सेवाओं को हर तिमाही रिपोर्ट देनी होती है। वैसे कानूनी रुप से ऐसी रिपोर्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन इसके लिये अनौपचारिक मांग की जाती है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के बावजूद स्वयंसेवी संगठनों से यह आशा की जाती है कि यदि वह सभायें आयोजित करना चाहते हैं, विशेषतः ऐसी सभायें जहाँ आम जनता, सरकारी अधिकारियों या विदेशी प्रतिनिधियों को बुलाया गया है तो वह कानून व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाये रखने हेतु इनके बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित करें। इस तरह की बातें कभी–कभी स्वयंसेवी संगठनों के कार्यों को बाधित करने के लिये भी होती हैं।

भ्रष्टाचार का मामला इन संगठनों के पंजीकरण तक ही सीमित नहीं है। यह स्वयंसेवी संगठनों की दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही[30] मैं भी हस्तक्षेप करके इनके लिये कठिनाई खड़ी करता है। एक प्रतिभागी ने कहा कि कभी–कभी सरकार एक परियोजना खत्म होने के 15 वर्ष बाद उस परियोजना से संबंधित सवाल–जवाब करती है। राज्य के कानूनों के अंतर्गत एक स्वयंसेवी संगठन को 13 से 14 वर्ष तक[31] किसी परियोजना के रिकार्ड रखने होते हैं। इस तरह का उत्पीड़न विशेषतः उन संगठनों पर किया जाता हैं जो पक्षसमर्थन या जनाधिकार, संबंधित क्षेत्रों में काम करते हैं। इनको ब्लैकलिस्ट किया जाता है जिससे इनका पंजीकरण रद्द हो जाता है या फिर इन्हें कभी भी कोई आर्थिक अनुदान नहीं मिलता।

जवाबदेही और पारदर्शिता किसी स्वयंसेवी संगठन के संचालन के दो महत्वपूर्ण आधार हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) तथा आयकर कानून केन्द्र सरकार को स्वयंसेवी संगठनों की जाँच–पड़ताल करके उनकी आर्थिक अनियमित्ताओं पर रोक लगाने का अधिकार देते हैं। जब स्वयंसेवी संगठन इन कानूनों का उल्लंघन करते हैं तब उनको कड़ी सरकारी संवीक्षा का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ जैसा कि हमने पहले रिपोर्ट में कहा है कि कई कठोर प्रावधानों वाले कानूनों में भी संशोधन की आवश्यकता है।

भाग – 3 संसाधन प्राप्ति

'उत्तराखंड में इस समय लगभग 15 लाख स्वयंसेवी संगठन काम कर रहे हैं। इनको प्रति वर्ष 700 करोड़ की विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के अंतर्गत मिल रही है। इसमें से 90 प्रतिशत राशि धार्मिक संगठनों को प्राप्त हो रही है। धार्मिक संगठन, अस्पताल, कल्ब भी सोसाइटी रजिस्ट्ररेशन एक्ट के तहत पंजीकृत किये गये हैं। इस कानून को संशोधित करने की महती आवश्यकता है जिससे विकास कार्यों में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को अलग वर्गीकृत किया जा सके।'

– महेन्द्र सिंह कनवर, सचिव,
हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर

सामाजिक मुद्दों पर काम करने के लिये किसी संगठन का स्वास्थ्य और क्षमता देश में अनुदान के वातावरण पर निर्भर करती है। भारत में स्वयंसेवी सेक्टर को मुख्यतः अपने काम के लिये तीन स्त्रोतों से अनुदान प्राप्त होता है :

- विभिन्न सरकारी कार्यक्रम और योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त सरकारी सहायता।
- विदेशी एजेंसियों व संगठनों से प्राप्त राशि।
- नये कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निजी क्षेत्र द्वारा दिया गया अनुदान।

---

30. *वानी। वाइस ऑफ द वालेंटरी सेक्टर इन झारखंड. नई दिल्ली।*
31. *स्रोत : 16 अप्रैल 2014 को आयोजित फोकस समूह चर्चा के दौरान पूर्वी क्षेत्र के प्रतिभागियों एक से प्रतिक्रिया*

स्वयंसेवी सेक्टर को **सरकारी सहायता** विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त हो सकती है। प्रत्येक मंत्रालय के पास सहायता हेतु योजनायें हैं और मंत्रालय से संस्तुति के बाद स्वयसंवी संगठनों को ऐसी परियोजनाओं को करने के लिये धन प्राप्त हो जाता है। सरकारी अनुदान स्वयंसेवी सेक्टर को मुख्यतः स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा, महिला सबलीकरण, अनाथ या महिलाओं की देखरेख या कौशल प्रशिक्षण जैसे विकासात्मक कार्यों के लिये विभिन्न केन्द्रीय या राज्य सरकारों के मंत्रालयों द्वारा दिया जाती है।

सरकारी अनुदान प्राप्त करने का एक और तरीका टेंडर भी है। लेकिन तमाम प्रतिभागियों का यह कहना था कि भू–मंडलीकरण के इस युग में नव–उदारवादी अर्थ–दर्शन ने स्वयंसेवी संगठनों को ठेकेदार बना दिया हैं। जिसमें उन्हें निविदा (टेंडर) भरकर एक ठेकेदार की तरह सारी शर्ते पूरी करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में जनकल्याण कार्यक्रमों को करने के लिये टेंडर भरे जाय तो लाभार्थी और लाभविहीन[32] संगठनों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है।

वर्तमान कानूनी ढाँचा सरकारी अनुदान प्राप्त करने की दिशा में पहल तो करता तो है लेकिन एकरुपता के साथ नहीं। आवेदक को अध्याय तीन (भाग एक) में वर्णित कानूनों के हिसाब से एक पंजीकृत संस्था होना और सभी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में बनाई गई राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत यह प्रयास था कि सरकार और स्वयंसेवी सेक्टर के बीच कामकाजी संबंधों में इस तरह सुधार किया जायेगा जिससे स्वयंसेवी संगठन की स्वायत्ता और पहचान पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। वैसे सारे भारत में कानूनी ढांचा स्वयंसेवी संगठनों को सरकारी अनुदान प्राप्ति में सहायक है लेकिन हमारे अध्ययन में इस दिशा में कई चुनौतियाँ सामने आईं।

- **अनुदान प्राप्ति में देरी :** तमाम क्षेत्रीय संगोष्ठियों में सरकार से मिलने वाले अनुदान में देर लगने की बात की गई। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम जैसे राज्यों की समाजसेवी संगठनों ने सरकारी अनुदान में प्राप्त होने में देरी की बात कही। कुछ प्रतिभागियों ने कहा कि कही–कहीं अनुदान प्राप्त होने में कार्य प्रारम्भ होने के बाद छह महीने से लेकर एक साल का समय लगा है। इसका कारण सरकारी अनुदान[33] प्राप्त करने की प्रक्रिया में आवश्यकता से अधिक समय का लगना है।

'असम के एक संगठन ने बताया कि राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अंतर्गत एक परिवार परामर्श केन्द्र चलाने के लिये उसे प्रथम दो किस्तों के बाद और अनुदान मिला ही नहीं। उन्होंने कई चक्कर भी लगाये लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई जबाव नहीं मिला। कृषि संबंधी[34] सरकारी योजनाओं पर काम करने वाले कई स्वयंसेवी संगठनों को बीज, खाद, कीटनाशक दवाईयाँ, हैंडपम्प और अन्य मशीनें समय पर नहीं मिल पा रही हैं।'

(अमीन, वर्ष 2012 पृष्ठ संख्या 14 से 15)

- **व्यवस्था में पारदर्शिता का अभावः** स्वयंसेवी संगठनों के अधिकांश प्रतिनिधियों ने साक्षात्कार के दौरान बताया कि अनुदान देने के लिये सरकारी चयन प्रक्रिया अकसर कार्य करने के प्रस्ताव और किसी संगठन के द्वारा पहले किये गये कार्यों के आधार पर नहीं होती। कई संगठनों के लिये एक समस्या नौकरशाही के हस्तक्षेप के कारण खड़ी होती है और दूसरी समस्या रिश्वतखोरी और व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण होती है। इसके अतिरिक्त कई मामलों में संपर्क–संपन्न सशक्तिशाली संगठनों को अनुदान मिल जाता है। ऐसे संगठनों के कामों की पूरी जाँच–पड़ताल भी नहीं की जाती। उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों के तमाम प्रतिभागियों ने यह भी कहा कि सांसद, राजनेता और नौकरशाहों ने सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को चलाने के लिये अपने स्वयंसेवी संगठन खड़े कर लिये हैं।

---

32. *सिन्हा सी. (2007)। पब्लिक सेक्टर रिफार्म्स इन इंडिया : न्यू रोल ऑफ डिस्ट्रिक आफिसर। नई दिल्ली, सेज पब्लिकेशन इंडिया प्रइवेट लिमिटेड।*
33. *क्षेत्रीय फोकस समूह चर्चा के दौरान प्रतिक्रिया।*
34. *अमीन, आर. (2012) स्टेटस ऑफ वालेंटरी आर्गेनाजेशन्स इन नार्थ ईस्ट दृ सिटीजन्स रिपोर्ट, नई दिल्ली, वानी।*

- **सरकारी विभागों से संबंध बनाने पर छोटे संगठनों में डर का भावः** किसी परियोजना के कार्य से संबंधित सरकारी विभाग से संबंध बनाने में स्वयंसेवी संगठनों को समस्या का सामना करना पड़ता है। छोटे संगठनों के लिये सरकारी अधिकारियों का व्यवहार बड़ा भयभीत करने वाला होता है। हाँ कुछ ऐसे अधिकारी अवश्य होते हैं जिनका रवैया सहानुभूति व सहयोगपूर्ण होता है। लेकिन यदि उनका स्थानान्तरण हो जाय तो स्वयंसेवी संगठनों के लिये समस्या हो जाती है। जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति उसका स्थान न ले ले।[35]

- **जनाधिकार–आधारित काम के लिये सीमित दायराः** जनाधिकारों पर आधारित पहल तथा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के विरोध में पक्षसमर्थन करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के लिये सरकारी अनुदान प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं रहती। एक बड़े स्वयंसेवी संगठन (नाम जानबूझ कर छिपाया गया है) के प्रतिष्ठित अध्यक्ष ने नई दिल्ली में एक साक्षात्कार में कहा कि भारत में स्वयंसेवी सेक्टर के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों को अपने उद्देश्यों से समझौता कर अपने एंजेडा को बदलना पड़ता है जिससे उनकी स्वतंत्रता पर आँच आती है। ***सरकार उन संगठनों का समर्थन नहीं करती जो ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिनमें समुदायों के अधिकार और हक जैसे मामले और प्रशासन और सरकार की जवाबदेही शामिल हो। इसलिये प्रशासन, जनाधिकार, सरकारी जिम्मेदारी और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर कार्य करने वाले संगठनों को सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिये अपनी घोषित नीतियों को बदलना पड़ता है।***

- **बारहवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार की स्वयंसेवी सेक्टर के लिये नीतिः** वर्ष 2007 में बनी स्वयंसेवी सेक्टर की राष्ट्रीय नीति के तहत एक ऐसे समर्थकारी वातावरण को बनाने का ध्येय रखा गया है जिसमें स्वयंसेवी संस्थाये अपना प्रभाव बनाने के लिये प्रेरित हो, उनकी स्वायत्ता सुरक्षित रहे और वह भारत तथा विदेश से आवश्यक संसाधन जुटा पाये, सरकार से अच्छे संबंध रखे और स्वयं अपने प्रशासन के लिये पारदर्शी और जवाबदेही व्यवस्था बना सकें।

स्वयंसेवी सेक्टर के लिये राष्ट्रीय नीति (2007) की इन सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन आंकलन के लिये एक परामर्शदायी तरीका अपनाया। इसमें स्वयंसेवी संगठनों से कहा गया कि वह ग्यारहवीं योजना में किये गये सरकारी वादों की समीक्षा करें और उनके प्रभाव का आंकलन करें।

इस परामर्श प्रक्रिया की सिफारिशों को एक दस्तावेज में रखा गया जिससे वह बारहवीं योजना के निर्माण में सहायक सिद्ध हो।[36] इस पहल के अतिरिक्त योजना आयोग अकसर सिविल सोसाइटी विडों प्रोग्राम[37] के तहत स्वयंसेवी संगठनों के साथ बातचीत करता रहता है। योजना आयोग ने अपने सदस्यों और अधिकारियों और मंत्रियों और संबंधित मंत्रालय तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक कराकर जमीनी हकीकतों और विकास के वैकल्पिक पहलूओं पर बातचीत की। वर्ष 2005 में बनने के बाद से अब तक सिविल सोसाइटी विडों प्रोग्राम की 41 बैठकों ने नीति निर्मातों[38] के सामने अपना पक्ष और सुझाव रखे हैं।

7 जून 2011 को योजना आयोग द्वारा बनाई गई स्वयंसेवी संगठन[39] पर परिचालन समिति[40] ने इस बात की परिकल्पना की कि वर्ष 2012–17 में बारहवी पंचवर्षीय योजना के समापन पर देश में :

i) राज्य और स्वयंसेवी सेक्टर के बीच में आपसी बातचीत की एक ऐसी व्यवस्था बनेगी जिसके तहत कई मुख्य बिन्दुओं पर विचार–विमर्श करना संभव होगा। यह विषय हैंः गरीबी उन्मूलन, हासिये पर और कमजोर वर्गों (अल्पसंख्यक, खानाबदोश जनजातियाँ, किन्नर,

---

35. *वानी स्टडी आन चालेजेस ऑफ ग्रास रुट वालेंटरी आर्गेनाईजेसन्स।*
36. *वादा न तोड़ो अभियान। अप्रोचिंग इक्विटी : सिविल सोसाइटी इनपुट्स फार अप्रोच पेपर बारहवीं पंच वर्षीय योजना। Retrieved May 15, 2014, from United Nations Development Programme Website: http://www.in.undp.org/content/dam/india/docs/approaching_equity_civil_society_inputs_for_the_approach_paper_12th_five-year_plan.pdf*
37. *भारत में स्वयंसेवी सेक्टर की स्थिति : एक अध्ययन रिपोर्ट, नई दिल्ली, वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया।*
38. *भारत में स्वयंसेवी सेक्टर की स्थिति : एक अध्ययन रिपोर्ट, नई दिल्ली, वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया।*
39. *योजना आयोग ने बारहवीं पंच वर्षीय योजना में स्वयंसेवी सेक्टर के लिये संचालन समिति गठित की है। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और स्वयंसेवी सेक्टर के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं।*
40. *योजना आयोग 2007 संचालन समिति की रिपोर्ट नई दिल्ली।*

शारीरिक रुप से असक्षम लोग, आदिवासी जनजाति समूह और अपने घरों से विस्थापित लोग) के लोगों की रक्षा और उनको न्याय दिलाना, संघर्ष समाधान, जीविकोपार्जित विकास, लैंगिक संमता, ग्रामीण पुनरोत्थान, पर्यावास व सांस्कृतिक उत्थान आर्थिक सहभागिता, क्षमता निर्माण और योग्यता प्रबंधन।

ii) एक स्थायी, विकासशील, उद्धारक और सुप्रबंधित स्वयंसेवी सेक्टर जिसमें अधिक पारदर्शिता व जवाबदेही हो। कानूनी सहायता संस्थागत ढ़ांचा और संरचना जिससे प्रतिकूल माहौल में भी सहायता मिल सके।

iii) स्वयंसेवी सेक्टर के कुशल कार्यकर्ताओं का समूह जो एक अधिक समाहित, समतावादी और सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिये काम कर सके।

iv) एक सशक्त स्वयंसेवी सेक्टर जो एक सहभागी पंचायतीराज व्यवस्था[41] को शक्तिशाली और भागीदारी वाली संस्था बनाकर देश के युवक और युवतियों को प्रेरित करे कि वह अपना समय निकाल कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे और साथ ही साथ अपना भी विकास करें।

v) संस्थागत कानूनी प्रावधान जो सारे राज्यों में एकरुपता से लागू हों और स्वयंसेवी सेक्टर के कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह के संभावित सरकारी या पूँजीवादी शक्तियों के राजनीतिक या आर्थिक उत्पीडन से बचा सकें।

लेकिन स्वयंसेवी संगठनों का अनुभव यह है कि सरकार अपनी प्रतिबद्धता के उपर खरी नहीं उतरी है। कानूनी और आर्थिक मदों पर सरकार सख्त हुई है लेकिन काम की गुणवत्ता के बारे में नहीं।

विदेशी अनुदान

विदेशी अनुदान विकास, कूटनीति और सहयोग का एक बड़ा सूचक है। भारत में स्वयंसेवी सेक्टर के विकास में यह परम्परागत रुप से सहायक रहा है। साथ ही साथ यह नवीनीकरण, विकास प्रारुप और स्वयंसेवी सेक्टर की विभिन्न आवश्यकतों में भी सहायक रहा है। आज राष्ट्रीय स्तर की कई संस्थायें इसी विदेशी सहायता का परिणाम है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से स्वयंसेवी संस्थाओं को विदेशी अनुदान के विषय पर काफी विचार–विमर्श हो रहा है। विदेशी अनुदान की सार्थकता, प्रकृति और जवाबदेही पर बहस जारी है। पिछले दिनों गुप्तचर विभाग (आईबी)[42] की एक रिपोर्ट ने विदेशी अनुदान प्राप्त करने वाले स्वयंसेवी संगठनों पर निशाना साधा और स्वयंसेवी संगठनों के तमाम योगदान और प्रभाव के बावजूद भी इसको नकारा। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि स्वयंसेवी सेक्टर के कारण भारत के आर्थिक विकास की दर में दो से तीन प्रतिशत का घाटा हुआ है।[43]

दूसरी तरफ भू–मंडलीय दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है और सरकार से सरकार को सहायता स्वयंसेवी सेक्टर को दी जाने वाली सहायता का स्थान ले रही है। सयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ–साथ द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियां भी इसी तरह के विदेशी अनुदान का रुप ले रही हैं। भारत के आर्थिक विकास के कारण सहायता देने वाले कई देश भारत को सहायता न देकर अब और गरीब देशों को अनुदान दे रहे हैं। (उदाहरण के लिये बाक्स को देखिये) भारत ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) बनाया है जिससे स्वयंसेवी संगठन को मिलने वाली विदेशी आर्थिक सहयता को नियंत्रित किया जा सके। एफसीआरए के अतिरिक्त वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों का विभाग भी इस पर नियंत्रण रखता है। विदेशी आर्थिक योगदान और जमीनी वास्तविकताओं का आंकलन करने से पहले यह भी आवश्यक है कि हम भारत की आर्थिक वास्तविकताओं को समझे और साथ ही साथ भारत में सहायता के क्षेत्रों में बदलाव के बारे में सरकार की राजनैतिक इच्छा को भी जाने। पिछले तमाम दशकों से अंतर्राष्ट्रीय सहयता लेने के बाद भारत ने अपना दर्जा बढ़ाकर देने वालों की सूची में अपना नाम शामिल कर लिया है और वह दक्षिण एशिया, अफ्रीका, मध्य

41. *पंचायती राज इज ए थ्री टियर सस्टम ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया विथ इलेक्टेड वॉडीस एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक लेवलस।*
42. *इंटेलिजेंस ब्यूरो इज इंडियास इनटरनल एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।*
43. *रंजन, ए. (2014, जून 7)। फारेन एडेड एनजीओस आर एक्टिवली इस्टालिंग डेवलेपमेंट, आईबी टेल्य पीएमओ इन ए रिपोर्ट। Retrieved June 13, 2014, from The Financial Express Website: http://www.financialexpress.com/news/foreignaided-ngos-are-actively-stalling-development-ib-tells-pmo-in-a-report/1258034*

एशिया, लैतिन अमेरिका तथा कैरेबियन[44] के देशों को आर्थिक और विकासात्मक सहायता दे रहा है। लेकिन समस्या यह है कि भारत के स्वयंसेवी संस्थाओं को इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय बातों के बारे में जानकारी नहीं होती है। विकास के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों के सतत् प्रयास और उनकी भूमिका का सरकार को पूरी तरह सम्मान करना चाहिये और साथ ही साथ स्वयंसेवी संगठनों को भी उन अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जानकारी होनी चाहिये जिनका भारत पर प्रभाव पड़ रहा है।

भारत में विदेशी अनुदान का सिकुड़ता धरातल – आर्थिक वास्तविकतायें[45]

जनवरी 2012 में विदेश मंत्रालय में विकास भागीदारी प्रशासन (डीपीए) की स्थापना के बाद आर्थिक सहायता और सहयोग का प्रबंधन और भी केन्द्रीयकृत हो गया है। हाँ वैसे व्यवस्था को सही करने में थोड़ा समय और लगेगा। वर्ष 2009 की भू–मंडलीय मानवतावादी सहायता रिपोर्ट 'भारत : देश के बारे में' भारत को विश्व में आंठवा विदेशी सहायता प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश कहा गया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) तथा विकास सहायता समिति (डीएसी) को दिये गये आंकड़ो के अनुसार भारत को इस वर्ष कुल 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी सहायता प्राप्त हुई। वर्ष 2012 में प्रकाशित इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वर्ष 2010 में भारतीय अर्थव्यवस्था तीन गुना बढ़ी और भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस रिर्पोट के बाद इंग्लैंड के विदेश सहायता मंत्रालय ने नवम्बर 2012 में घोषणा कि भारत को दी जाने वाली सारी आर्थिक सहायता बंद की जाती है और अब उसकी जगह दोनों देशों में आपसी व्यापार को बढ़ावा दिया जायेगा। अभी चल रहे विकास कार्य वर्ष 2015 तक पूरे हो जायेंगे।

एफसीआरए 2010

स्वयंसेवी संगठनों को विदेशी अनुदान एक कानून के तहत प्राप्त होता है जिसको विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम कहा जाता है। सरकार ने वर्ष 2010 में यह कानून बनाया और वर्ष 2011 में इसको लागू किया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये कोई खतरा बने बिना विदेशी अनुदान सही गतिविधियों में लगाये जाय। भारत सरकार का गृह मंत्रालय इस कानून को लागू करने वाली संस्था है। एफसीआरए, 2010 ने 30 साल पूराने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 का स्थान ग्रहण किया। नये कानून के अंतर्गत प्रवर्तन एजेंसियों को विदेशी अनुदानों के नियंत्रण पर अधिक अधिकार मिले हैं। नये कानून की प्रस्तावना किसी भी ऐसे विदेशी अनुदान की अनुमति नहीं देती जो राष्ट्रीय हितों के विपरीत की गई गतिविधियों के लिये दिया गया हो।[46] इस कानून के तहत विदेशी आतिथ्य एक ऐसा प्रस्ताव है जो किसी व्यक्ति को विदेश में मुफ्त रहना–खाना और घूमने–फिरने और ईलाज कराने का प्रस्ताव देता है। एफसीआरए तमाम संगठनों (जिनमें राजनैतिक चरित्र वाले संगठन भी हैं) को विदेशी अनुदान प्राप्त करने से रोकता है। देश की कानून और व्यवस्था को केन्द्रबिन्दु बनाकर और विदेशी हस्तक्षेप को रोकने की आवश्यकता पर बल देकर एफसीआरए 2010 बिना किसी विचार–विमर्श के कानून के रुप में आया। इससे यह जाहिर होता है कि सरकार की इच्छा स्वयंसेवी सेक्टर के सुधार और उसको समर्थकारी बनाने के स्थान पर उस पर नियंत्रण और आधिपत्य जमाने की है।[47]

यह सही है कि एफसीआरए में कुछ कठोर कानून है लेकिन स्वयंसेवी सेक्टर के लाभ के लिये इसमें कुछ प्रावधान भी समाहित है। उदाहरण के लिये एफसीआरए 2010 की धारा 17 (1) के तहत एकमात्र बैंक खाते का प्रवधान हटा दिया गया है। (जो एफसीआरए 1976[48] के अंतर्गत नहीं था।) कई बैंक खाते चलाने और राशि को विभिन्न स्थानों पर व्यय करने का प्रावधान भी हो गया है। इस प्रावधान से स्वयंसेवी संगठनों को बहुत बड़ी राहत मिली है। एफसीआरए और इस अधिनियम के अंदर लागू किये गये कुछ नियमों ने बड़ी चुनौतियाँ खड़ी की हैं जो इस प्रकार हैं :

---

44. *रोचे, ई. (2012, जुलाई 01) इंडिया गोज फ्राम एड बैनिफिशरी टू डोनर। Retrieved June 18, 2014, from Live Mint Website: http://www.livemint.com/Politics/BToxm8wd11xe45wSBbkqGO/India-goes-from-aid-beneficiary-to-donor.html*
45. *वानी (2013). भारत में स्वयंसेवी क्षेत्र की स्थिति : एक अध्ययन रिपोर्ट। नई दिल्ली, वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया।*
46. *एफसीआरए विंग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स (2012, नवंबर 13) रिसीव एंड यूटेलाइजेशन ऑफ फारेन कंट्रीब्यूशन्स वाइ वालेंटरी एसोसिएशन। Retrieved June 17, 2014, from Ministry of Home Affairs Website: http://mha1.nic.in/fcra/annual/ar2010-11.pdf*
47. *वानी (2013). एनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर वालेंटरी आर्गेनाइजेशन्स : एक व्यापक अभियान। नई दिल्ली, वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)।*
48. *फोगला, एम. (2011) एफसीआरए एनालिसिस ऑफ फारेन कंट्रीब्यूशन (रेगूलेशन) एक्ट 2010 एंड रुल्स 2011। स्टैंडेड एंड नार्म्स, 7–8।*

1. एफसीआरए 2010 के नियम 3 (iii)[49] के अंतर्गत यदि किसी संगठन के उद्देश्य राजनैतिक चरित्र के हों या वह किसी राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेता हो तो उसे राजनैतिक चरित्र का संगठन घोषित किया जा सकता हैं। यहाँ इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि शब्द या का उपयोग राजनैतिक उद्देश्य और टिप्पणी के बीच में किया गया है। इसका मतलब यह है कि किसी राजनैतिक गतिविधि पर टिप्पणी करना भी किसी संगठन को राजनैतिक चरित्रवाला बना सकता है। यह वास्तव में बहुत गंभीर और असंवैधानिक प्रावधान हैं क्योंकि यह संविधान में निहित अभिव्यक्ति के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। इसलिये एफसीआरए को इस तरह के बेरोक–टोक अधिकार देना पूरी तरह गलत है और इस नियम के पुनर्परीक्षण की आवश्यकता है।

2. एफसीआरए 2010 के नियम 6 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में किसी विदेशी स्त्रोत (रिश्तेदार भी शामिल हैं) से एक लाख से अधिक रुपये प्राप्त करता है तो उसे फार्म एफसी–1 भरकर केन्द्रीय सरकार को 30 दिन के भीतर सूचित करना चाहिये।

3. संगठनों का प्रत्येक पांच वर्ष बाद नवीनीकरण रू नये एक्ट में दी हुई प्रक्रिया बोझिल है। अभी तक स्वयंसेवी संगठनों को स्थायी पंजीकरण और विदेशी सहायता मिलने की अनुमति मिल जाती थी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि नवीनीकरण वाला नियम भ्रष्ट संगठनों पर रोक लगाने के लिये किया गया है। लेकिन शायद बेहतर यह होता कि ऐसे संगठनों पर रोक लगा दी जाती या इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता, न कि सभी स्वयंसेवी संगठनों को इस तरह के झंझट में फंसाया जाता। वानी ने यह माँग की है कि नवीनीकरण आवेदनपत्र, वार्षिक रिपोर्ट, आयकर भुगतान और नये पंजीकरण को आनलाइन जमा करने की सुविधा दी जाये। वानी तथा अन्य स्वयंसेवी संगठनों के कहने पर आवेदनपत्रों को आनलाइन जमा कराने की सुविधा दे दी गई है। दस्तावेज जमा करना आवश्यक होगा लेकिन आनलाइन सुविधा से एफसीआरए की जवाबदेही बढ़ेगी।

4. नये कानून में यह कहा गया है कि यदि किसी स्वयंसेवी संगठन का आवेदनपत्र निरस्त किया गया तो निरस्त करने के कारण बताये जायेंगें। लेकिन अधिकारियों को आवेदन पत्र निरस्त करने के व्यापक अधिकार दिये गये हैं। एफसीआरए की धारा 23 में यह कहा गया है कि यदि जाँच–पड़ताल करने पर यह पाया गया कि किसी संगठन के एफसीआरए के खाते में कोई गड़बड़ है तो जाँच अधिकारी उस खाते को जब्त कर सकता है। यह प्रावधान काफी बड़ा है और उसका दुरुपयोग हो सकता है। विशेषत इसका दुरुपयोग मानवाधिकार संगठनों के विरुद्ध किया जा सकता है जो सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का विरोध करते हैं। (नीचे दिये गये इंसाफ के मामले को पढ़िये)

5. पिछले दो वर्षों में 41 संगठनों का एफसीआरए पंजीकरण निरस्त किया जा चुका है।[50] एफसीआरए बिभाग ने बाद में यह बताया कि उन निष्क्रिय और सुषुस्त संगठनों को निरस्त किया गया है जिन्होंने टैक्स के फार्म नहीं भरे और न ही किसी तरह के सम्पर्क सूत्र अपडेट किये और न ही कोई कामकाज किया। कानून के अंतर्गत विभाग को इनका पंजीकरण लंबित करना चाहिये था। लेकिन निरस्तीकरण के विरुद्ध केवल 257 संगठनों ने आवाज उठाई जिसका अर्थ है निरस्त किये गये अन्य संगठन शायद अस्तित्व में नहीं है। विभाग का कहना है कि निरस्तीकरण देखरेख करके और दस्तावेजों के जांच–पड़ताल के बाद ही किया जाता है। लेकिन निरस्तीकरण के विरुद्ध आवाज उठाने वाले अधिंकाश स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं का कहना था कि उनका एफसीआरए पंजीयन निरस्त करने से पहले सरकार ने उनको कोई नोटिस नहीं भेजा था। इसके साथ–साथ इन संगठनों को अपनी बात रखने का समय भी नहीं दिया गया था। कहीं–कहीं पर तो नोटिस पुराने पते पर भेज दिये गये थे।

अधिकांश प्रतिभागियों का मानना था कि दिन प्रतिदिन सरकार द्वारा अनुदान की शर्तें व जाँच–पड़ताल कठोर होती जा रही है। स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देने पर सरकार अपना पंजा कसती जा रही है और परियोजनाओं में अनुदान का उपयोग किस तरह हो इस पर भी अपना दबाव बना रही है। सभी स्तरों पर योजनाये और परियोजनायें स्वीकृत कराने की कार्य प्रणाली बोझिल व लंबी होती जा रही है। एफसीआरए में संशोधन से स्वयंसेवी संगठनों के लिये विदेशी अनुदान पाना कठिन हो गया है। अनुदान देनेवाली बहुत कम ऐसी एजेंसी हैं

---

49. *गृह मंत्रालय (2011, अप्रैल 29) एफसीआरए नियमों का नोटिफिकेशन। Retrieved May 29, 2014, from Ministry of Home Affairs Website: http://www.mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/FC-rules2011.pdf*

50. *वानी (एन.डी.)। एफसीआरए के लिये निरस्त स्वयंसेवी संगठन। Retrieved May 5, 2014, from Voluntary Action Network India Website: http://vaniindia.org/FCRA.pdf*

जो प्रशासन, अधिकारों तक पहुँच, सरकार का उत्तरदायित्व व जवाबदेही जैसे मुद्दों पर आधारित कार्यों के लिये अनुदान देती हैं। एफसीआरए 2010 के कारण 'बंद, रास्ता रोको, रेल रोको' जैसे जन आंदोलनों को करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को राजनैतिक चरित्र का संगठन घोषित करके विदेशी अनुदान से वंचित रखा जाता है।

विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 की मुख्य अनुच्छेदों का स्वयंसेवी संगठनों से संबंध

अनुच्छेद–3 विदेशी अभिदाय स्वीकार करने का प्रतिषेध

(1) कोई भी विदेशी अभिदाय निम्नलिखित में से किसी करे द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, अर्थात –

निर्वाचन–अभ्यार्थी; किसी रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र का संवाददाता, स्तंभ लेखक, व्यंग चित्रकार, संपादक, स्वामी, मुद्रक या प्रकाशक; न्यायाधीश, सरकारी सेवक या सरकार के नियंत्रणाधीन या स्वामित्वाधीन किसी निगम या किसी अन्य निकाय का कर्मचारी; किसी विधान–मंडल का सदस्य; राजनीतिक दल या उसका पदधारी; राजनीतिक प्रकृति का ऐसा संगठन, जो केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए.; ऐसा संगम या कंपनी जो किसी इलैक्ट्रानिक पद्धति या सूचना प्रौद्योगिगकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में यथापरिभाषित किसी अन्य इलेक्ट्रानिक रूप या किसी अन्य जन संचार पद्धति के माध्यम से श्रव्य समाचारों या श्रव्य–दृश्य समाचारों या सामयिक कार्यकलाप के कार्यक्रमों के निर्माण या प्रसारण में लगी हुई है; खंड में निर्दिष्ट संगम या कंपनी का संवाददाता, स्तंभ लेखक, व्यंग चित्रकार, संपादक, स्वामी।

अनुच्छेद 7– विदेशी अभिदाय का किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण करने पर प्रतिषेध

कोई व्यक्ति जो –

क) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है या उसने पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की है और

ख) कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त करता है, ऐसे विदेशी अभिदाय को किसी अन्य व्यक्ति को तब तक अंतरित नहीं करेगा जब कि ऐसा अन्य व्यक्ति भी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो और उसे प्रमाणपत्र न दिया गया हो या उसने पूर्व अनुज्ञा प्राप्त न की हो

परंतु ऐसा व्यक्ति, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे विदेशी अभिदाय के किसी भाग को ऐसे किसी व्यक्ति को अंतरित कर सकेगा, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार इस अधिनियम के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त नहीं किया गया है या जिसने अनुमति प्राप्त नहीं की है।

अनुच्छेद – 8 – विदेशी अभिदाय का प्रशासनिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने पर निर्बधन

(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अदीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसे प्रमाणपत्र दिया गया है या पूर्व अनुज्ञा दी गई है और वह कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त करता है –

(क) ऐसे अभिदाय का उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा, जिसके लिए वह अभियाद प्राप्त किया गया है :
परंतु किसी विदेशी अभिदाय या उससे उद्भूत किसी आय का उपयोग किसी सट्टे वाले कारबार के लिए नहीं किया जाएगा

(ख) किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त किये गये ऐसे अभिदाय के पचास प्रतिशत से अनधिक रकम का, यथासंभव, प्रशासनिक व्ययों, यदि कोई हों, को चुकाने के लिए संदाय नहीं करेगाः

परंतु ऐसे अभिदाय के प्रचास प्रतिशत से अधिक प्रशासनिक व्ययों को केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से चुकाया जा सकेगा.

(2) केंद्रीय सरकार तत्वों को जो प्रशासनिक व्ययों में सम्मिलित किये जाएंगे और वह रीति विहित कर सकेगी जिसमें उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रशासनिक व्यय संगणित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 12 – रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करना –

(1) धारा 11 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणपत्र के अनुदान या पूर्व अनुज्ञा दिए जाने के लिए आवेदन केंद्रीय सरकार को ऐसे प्रारूप और रीति में और ऐसी फीस के साथ किया जाएगा जो विहित की जाए।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर,आदेश द्वारा यदि आवेदन विहित प्ररूप में नहीं है या उस

प्ररूप में विनिर्दिष्ट कोई विशिष्टियां अंतर्विष्ट नहीं है तो आवेदन को नामंजूर कर देगी।

(3) यदि प्रमाणपत्र के अनुदान, या पूर्व अनुमति दिए जाने के लिए आवेदन के प्राप्ति पर और ऐसी जांच करने के पश्चात, जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे, यदि उसकी यह राय है कि उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर दिया गया है तो वह साधारणतया उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर ऐसे व्यक्ति को रजिस्ट्रर कर सकेगी और उसे ऐसे निबंधनों और शर्तों के अदीन रहते हुए जो विहित की जाएं, यथास्थिति, प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगी या पूर्व अनुमति दे सकेगीः

परंतु केंद्रीय सरकार द्वारा नब्बे दिन की उक्त अवधि के भीतर प्रमाणपत्र या पूर्व अनुमति ने दिये जाने की दिशा में वह आवेदक को उसके कारणों को संसूचित करेगीः

परंतु यह और कि कोई व्यक्ति प्रमाणपत्र दिये जाने या पूर्व अनुमति प्रदान करने के लिए पात्र नहीं होगी, यदि उसके प्रमाणपत्र को निलंबित कर दिया गया है और उस प्रमाणपत्र का निलंबन आवेदन करने की तारीख को जारी रखता है।

(4) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्ते होंगी, अर्थातः

(क) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण या पूर्व अनुमति दिये जाने का आवेदन करने वाला व्यक्ति –

(i) काल्पनिक या बेनामी नहीं है :

(ii) उसे धार्मिक विश्वास से किसी दूसरे में प्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरणा या बल द्वारा परिवर्तन के लिए लक्षित क्रियाकलापों में संलिप्त होने के लिए अभियोजित या दोषसिद्ध नहीं किया गया हैः

(iii) उसे देश के किसी विनिर्दिष्ट जिले या किसी अन्य भाग में सामुदायिक तनाव या असामंजस्य पैदा करने के लिए अभियोजित या दोषसिद्ध नहीं किया गया हैः

(iv) उसे उसकी निधियों के उपयोजन या दुरुपयोग का दोषी नहीं पाया गया है

(v) वह राजद्रोह के प्रचार में या हिंसात्मक पद्धतियों का समर्थन करने में संलिप्त नहीं है या उसके संलिप्त होने की संभावना नहीं हैः

(vi) उसके द्वारा विदेशी अभिदाय का व्यक्तिगत लाभों क लिए उपयोग करने अथवा उसे आवंछनीय प्रयोजनों के लिए उपयोजित करने की संभावना नहीं हैः

((vii) उसने इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं किया है

(viii) उसे विदेशी अभिदाय करने से प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है :

(ख) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति ने उस सोसाइटी के, जिसके लिए विदेशी अभिदाय का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, फायदे के लिए उसके चयनित क्षेत्र में युक्तियुक्त क्रिया कलापक्रिया है

(ग) उपधारा (1) के अधीन पूर्व अनुमति देने के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति ने उस सोसाइटी के, जिसके लिए विदेशी अभिदाय का उपयोग करने का प्रस्ताव है, फायदे के लिए युक्तियुक्त परियोजना तैयार की हैः

(घ) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो व्यष्टि है, ऐसे व्यक्ति को न तो तत्समय प्रवश्त्त किसी विधि के अधीन अभियोजित किया गया है, न कि उसके विरुद्ध किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन लंबित हैः

(ङ) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो व्यष्टि से भिन्न है, उसके लिए निदेशकों या पदाधिकारियों में से किसी को तत्समय प्रवश्त्त किसी विधि के अधीन अभियोजित किया गया है न कि उसके विरुद्ध किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन लंबित हैः

(च) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से, निम्नलिखित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है –

(i) भारत की प्रभुता और अखंडता या

(ii) राज्य की सुरक्षा, उसके रणनीति संबंधी, वैज्ञानिक या आर्थिक हित या

(iii) लोकहित या

(iv) किसी विधानमंडल के लिए निर्वाचन की स्वतंत्रता या रिजुता या

(v) किसी विदेशी राज्य के साथ मैत्री संबंध या

(vi) धार्मिक वंश, संबंधी, सामाजिक, भाषा संबंधी, प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच सामंजस्य

(छ) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विदेशी अभिदाय की स्वीकृति के कारण

(i) किसी अपराध का उद्‌पन नहीं होगा

(ii) किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा नहीं होगा।

(5) जहां केंद्रीय सरकार प्रमाणपत्र देने से इनकार करती है या पूर्व अनुमति नहीं देती है, वहां वह अपने आदेश में उसके कारण अभिलिखित करेगी और उसकी एक प्रति आवेदक को देगी

परंतु केंद्रीय सरकार, उन दशाओं में इस धारा के अधीन आवेदक को प्रमाणपत्र मंजूर करने से इनकार किये जाने या पूर्व अनुमति ना दिये जाने के कारण संसूचित नहीं कर सकेगी, जहां सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (2005 का 22) के अधीन कोई सूचना या दस्तावेज या अभिलेख या कागज पत्र देने की बाध्यता नहीं है।

(6) उपधारा (3) के अधीन प्रदान किया गया प्रमाणपत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए विधि मान्य होगा और पूर्व अनुमति, यथास्थिति निर्दिष्ट प्रयोजन अथवा प्राप्त किये जाने के लिए प्रस्तावित विदेशी अभिदाय की विनिर्दिष्ट रकम के लिए विधि मान्य होगी।

अनुच्छेद – 16 – प्रमाणपत्र का नवीकरण

(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसे धारा 12 के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, ऐसे प्रमाणपत्र की अवधि की समाप्ति से पूर्व छह माह के भीतर प्रमाणपत्र को नवीकृत करायेगा।

(2) प्रमाणपत्र के नवीकरण का आवेदन, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसी फीस के साथ, जो विहित किये जाये, केंद्रीय सरकार को दिया जाएगा।

(3) केंद्रीय सरकार, प्रमाणपत्र का नवीकरण साधारणतया प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए करेंगी, जो वह ठीक समझे, कर सकेगी और रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुदत्त कर सकेगी

परंतु यदि केंद्रीय सरकार प्रमाणपत्र को नब्बे दिन की उक्त अवधि के भीतर नवीकरण नहीं करती है तो वह उसके कारणों को आवेदक को संसूचित करेगी

परंतु यह और की केंद्रीय सरकार उस दशा में प्रमाणपत्र का नवीकरण करने से इन्कार कर सकेगी, जहां किसी संगम ने इस अधिनियम या तद् धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों को अतिक्रमण किया है।

अनुच्छेद –17– अनुसूचित बैंक के माध्यम से विदेशी अभिदाय

1. प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसे धारा 12 के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है या पूर्व अनुज्ञा दी गई है, किसी अनुसूचित बैंक की ऐसी किसी एक शाखा के माध्यम से ही किसी एकल खाते में विदेशी अभिदाय प्राप्त करेगा, जो वह ऐसे प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए अपने आवेदन में अनिर्दिष्ट करे

परंतु ऐसा व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय का उपयोग करने के लिए एक या अधिक अनुसूचित बैंकों मेंएक या अधिक खाते खोल सकेगा

परंतु यह और कि ऐसे खाते या खातों में, विदेशी अभिदाय से भिन्न कोई निधि प्राप्त नहीं की जाएगी या जमा नहीं की जाएगी।

2 . प्रत्येक बैंक या विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, निम्नलिखित के संबंध में, रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए करेगा

(क) विदेशी विप्रेषण की विहित रकम

(ख) वह स्रोत और रीति जिसमें विदेशी विप्रेषण प्राप्त किया गया था और

(ग) कोई अन्य विशिष्टियां

अनुच्छेद– 23– लेखाओं या अभिलेखों का निरीक्षण

यदि केंद्र सरकार के पास, किसी कारण से, जो लेखबद्ध किया जाएगा, यह संदेह करने का आधार है कि इस अदिनियम के किसी उपबंध का

(क) किसी राजनैतिक दल द्वारा, या
(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, या
(ग) किसी संगठन द्वारा, या
(घ) किसी संगम द्वारा,

उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केद्र सरकार के अधीन समूह 'क' पद धारण करने वाले ऐसे राजपत्रित अधिकारी को, या ऐसे किसी अन्य अधिकारी या पदाधिकारी या संगठन को, जिसे वह ठीक समझे (जिसे इसमें इसके पश्चात निरीक्षण अधिकारी कहा गया है), यथास्थिति, ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति, संगठन या संगम द्वारा रखे जाने वाले किसी लेखे या अभिलेख का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी या तब प्रत्येक ऐसे निरीक्षण अधिकारी को उक्त लेखे या अभिलेख का निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए सूर्यास्त से पहले सूर्योदय और सूर्योदय के पश्चात किसी भी उचित समय पर किसी परिसर में प्रवेश करने का अधिकार होगा।

इंसाफ का मामला

इंडियन सोशल एक्शन फोरम (इंसाफ) सारे भारत में 700 से अधिक स्वयंसेवी संगठनों का एक नेटवर्क है जिसके उपर सरकार ने विदेशी अनुदान प्राप्त करने की रोक लगा दी है। इस नेटवर्क के समूह आदिवासी लोगों के खनिज प्रधान क्षेत्र में आण्विक उर्जा के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। साथ ही साथ वह मानव अधिकार उल्लंघन और धार्मिक कट्टरवाद का भी विरोध कर रहे थे। इस नेटवर्क की 90 प्रतिशत फंडिग बाहर से होती है। इंसाफ को लिखे गये एक पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा कि इस संगठन के बैंक एकाउंट बंद कर दिये गये हैं और विदेशी अनुदान प्राप्त करने की अनुमति को लंबित कर दिया गया है क्योंकि इसकी कार्यवाही जनहित के विरुद्ध है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि वह आलोचना के विरोधी नहीं हैं लेकिन विदेशी अनुदान प्राप्त करनेवाली किसी स्वयंसेवी संस्था को भारत की नीतियों की आलोचना करने की जगह विदेशी अनुदान को विकास के कार्यों में लगाना चाहिये।[51] अगस्त 2011 में इंसाफ ने संशोधित एफसीआरए कानून 2010[52] के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की जिसमें जन सभायें, प्रदर्शन और विरोध पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुये आदेश पारित किया कि सरकार इस याचिका का जबाव दे। लेकिन सरकार से अभी तक कोई जबाव नहीं आया है।

लेकिन इंसाफ के मामले में उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से स्वयंसेवी संगठनों में यह आशा जागी है कि वह उत्पीड़न के विरुद्ध न्याय प्राप्त कर सकेंगे।[53]

विड़बना यह है कि कोई विदेशी किसी भारतीय कंपनी में निवेश कर सकता है। भारतीय कंपनी को यह स्वतंत्रता है कि वह सांसदों, बड़े अधिकारियों और स्थानीय सरकारों के साथ बातचीत कर सकती है। वह जन–सम्पर्क सलाहकार रखकर सरकार की खनिज नीति को प्रभावित कर सकती है। लेकिन यदि कोई स्वयंसेवी संगठन सरकार की खनिज नीति का विरोध करना चाहे तो उसे किसी विदेशी स्त्रोत से अनुदान प्राप्त करने पर रोक है।

– वानी की सिटीजन रिपोर्ट से अनुदित

---

51. *लक्ष्मी, आर. (2013, मई 19), एक्टिविस्ट ब्रिस्टिल एज इंडिया क्रेक्स डाउन आन फारेन फंड़िग ऑफ एनजीओस। Retrieved May 29, 2014, from The Wahington Post Website: http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/activities-bristle-as-india-cracks-down-on-foreign-funding%20-of-ngos/2013/05/19/a647ff80-bcaf-11e2-b537-ab47f0325f7c_story.html*
52. *गृह मंत्रालय (2011, अप्रैल 29) एफसीआरए नियमों का नोटिफिकेशन। Retrieved May 29, 2014, from Ministry of Home Affairs Website: http://www.mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/FC-rules2011.pdf*
53. *इंसाफ (2013, मार्च 24)। Retrieved June 13, 2014, from http://insafvsfcra.blogspot.in/*

निजी सेक्टर : अनुदान

तेजी से बदलते परिदृश्य के साथ स्वयंसेवी संगठनों के अनुदान प्राप्त करने का आधार, उसके संबंध और उनके कार्यकलापों में भी परिवर्तन आ रहा है। पिछले दशकों में भारत का आर्थिक विकास बहुत तेजी से हुआ है और वर्ष 2008 तक भारत विश्व की दूसरी सबसे तेज उभरती तथा विश्व की दसवीं सबसे बड़ी अर्थ–व्यवस्था बन गई। इस विकास के साथ भारत में तमाम लोगों की आय भी एकदम से बहुत बढ़ी।[54] बहुत उची कमाई करने वालों का वर्ग वर्ष 2009 से 2010 के बीच में 21 प्रतिशत बढ़ा जो कि शायद दुनिया में सबसे ज्यादा था।[55] आज दुनिया के सौ सबसे बड़े अमीरों में आठ भारतीय हैं। शायद परोपकार कार्यों के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण समय है क्योंकि देश का आर्थिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है। अजीम प्रेम जी, शिव नाडर और बिरला जैसे लोगों ने स्वयंसेवी सेक्टर को बड़े अनुदान देने का वादा किया है। अभी तक सरकार देश में सामाजिक कार्यों के लिये सबसे बड़ा आर्थिक स्त्रोत थी। लेकिन सीमित सरकारी संसाधनों और सामाजिक कार्यों की बहुत बड़ी जरुरतों के कारण आवश्यकता है कि अन्य आर्थिक विकल्पों की खोज की जाय। आज व्यक्तिगत अनुदानकर्ताओं, निजी फाउंडेशन और औद्योगिक घरानों से भी काफी अनुदान आने लगा है।

तमाम व्यक्ति, औद्योगिक घराने और फाउंडेशन मानवतावादी कार्यों के लिये बहुत सहानुभूति रखते हैं और सरकारी सहायता कम होने के बावजूद[56] उन्होंने मानवतावादी कार्यों के लिये बहुत धन दिया है। यदि हम तथ्यों का विश्लेषण करें तो पायेंगे कि वर्ष 2006 से 2010 तक 24 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय अनुदान जो मानवतावादी कार्यों के लिये आया है वह निजी अनुदान था। इसलिये ऐसे समय जब सरकारी संसाधन सीमित हैं और अनुदान की आवश्यकता बढ़ रही है व्यक्तिगत लोगों से अनुदान प्राप्त करना तमाम सामाजिक संगठनों के लिये समस्या का समाधान हो सकता है। दक्षिण भारत में स्वयंसेवी संगठनों के लिये बफ्फ बोर्ड अनुदान का एक बड़ा स्त्रोत है। बफ्फ बोर्ड एक राशि पुंज है जिसमें सामुदायिक सबलीकरण के लिये तमाम लोग दान करते हैं। वर्ष 2013 दिसम्बर में इसका संशोधन हुआ और आज इसके पास लगभग दो खरब डॉलर की संपत्ति है।

निजी अनुदान के कुछ महत्वपूर्ण स्त्रोत यह हैं :

1. व्यक्तिगत रुप से देनेवाले – इसमें भारतीय नागरिक, विदेशों में बसे भारतीय या भारत के साथ जातिगत या भावनात्मक बंधन रखने वाले अन्य देशों के नागरिक हैं। इसमें एक बार छोटा सा दान करनेवाले से लेकर बड़े–बड़े परोपकारी लोग हैं।

केन्द्रित समूह वार्तालाप के दौरान यह बताया गया था कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में संसाधन जुटाने का एक तरीका हुंडी भी है। एक हुंडी में गांव के सब लोग अपने हैसियत के हिसाब से पैसे डालते हैं। साल खत्म होने पर हुंडी तोड़ी जाती है और जितना पैसा जमा होता है उसे गांव के विकास कार्यों में लगाया जाता है।

2. उद्योग जगत का सामाजिक उत्तरदायित्व – वर्ष 2013 के नये कंपनी एक्ट ने सामाजिक विकास के क्षेत्र में नई संभावनाओं को जन्म दिया है। लाभ कमाने वाली कंपनियों को अपने लाभ का दो प्रतिशत हिस्सा सामाजिक उत्तरदायित्वों के कार्यों के लिये देना पड़ता है। टाटा और बिरला जैसे तमाम औद्योगिक घरानों ने तमाम स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर और तमाम समुदायों को आर्थिक सहायता देकर सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यों में धन का निवेश किया है।

3. ट्रस्ट और फाउंडेशन – भारत में अधिकांश व्यापार व्यापारिक परिवार द्वारा संचालित होते हैं। इसलिये उनसे ट्रस्ट या फाउंडेशन के रुप में एक परोपकारी संगठन बनाने की अपेक्षा होती है। ऐसे न्यास व फाउंडेशन व्यावसायी द्वारा पोषित किये जाते हैं और व्यापारिक घरानों के नेतृत्व में ही चलते हैं। ऐसे तमाम संगठन भारत आधारित हैं या विदेशों में बने हैं। लेकिन कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन जैसे बिल और मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन, माइकल और सूसन डेल फाउंडेशन के ऑफिस भारत में भी है।

---

54 *आईएसबी (2012, फरवरी केटेलिटिक फिलिंयन्थोंपी इन इंडिया। Retrieved June 15, 2014, from http://evpa.eu.com/wp-content/uploads/2011/05/Catalytic_Philanthropy_India2.pdf*

55. *स्टोयनोवा, व्ही. (2012, अप्रैल) प्राइवेट फंडिग दृ एन एमर्जिंग ट्रेंड इन ह्यूमेनेटेरियन डोनरशिप। Retrieved June 15, 2014, from http://evpa.eu.com/wp-content/uploads/2011/05/Catalytic_Philanthropy_India2.pdf*

56. *स्टोयनोवा, व्ही. (2012, अप्रैल) प्राइवेट फंडिग दृ एन एमर्जिंग ट्रेंड इन ह्यूमेनेटेरियन डोनरशिप। Retrieved July 1, 2014, from Global Humanitarian Assistance Website: http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2012/04/Private-funding-an-emerging-trend.pdf*

तमाम उद्योगपति और व्यापारिक घराने लंबे समय से समाज के लिये योगदान करते आये हैं। लेकिन अब इस बात की आवश्यकता समझी गई है कि उद्योग जगत को अपने एकाकीपन से निकाल कर स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास जैसे मुद्दों से जोड़ना आवश्यक है। भारत की अर्थव्यवस्था ने तमाम परिवर्तन देखें हैं। इसका लगातार विकास और विस्तार हो रहा है। इस परिदृश्य में काफी विचार दृ विमर्श के बाद केन्द्रीय सरकार ने कंपनी एक्ट 1956 को हटाकर एक नया कानून लागू किया जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण के परिवर्तनों को दर्शाता है। वर्ष 2012 में नये कंपनी कानून को जब लोकसभा में पारित किया गया तो स्वयंसेवी सेक्टर को लगा कि ये निजी कार्पोरेशन से अनुदान प्राप्त करने का बड़ा स्त्रोत खुला है। कर के बाद हुये मुनाफे का दो प्रतिशत भाग इस कानून द्वारा उद्योग जगत के सामाजिक दायित्व के लिये निर्धारित किया गया है। एक हजार करोड़ रुपये या पांच करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के तीन वर्षीय औसत वाली सभी कंपनियों को सामाजिक उत्तरदायित्व के लिये अपने लाभ का दो प्रतिशत हिस्सा देना होगा। नये कानून की धारा 7 के अंतर्गत उद्योगों के सामाजिक दायित्व के दायरे में निम्नलिखित गतिविधियाँ आयेंगी :

- भूखमरी और गरीबी का उन्मूलन
- शिक्षा को बढावा देना
- लैंगिक समता और महिला सबलीकरण को बढ़ावा देना
- बाल मृत्यु और उसकी दर को कम करना और माता के स्वास्थ में सुधार करना
- एचआईव्ही/एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से लड़ना
- पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना
- व्यावसासिक कौशल द्वारा रोजगार के अवसर विकसित करना
- सामाजिक व्यापार की योजनायें।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक विकास, राहत या अनुसूचित जाति व जनजाति, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग या महिलाओं के लिये स्थापित किसी फंड के लिये अपना योगदान देना।
- कोई ऐसा विषय जिसके बारे में विज्ञापित किया जाय।

कंपनी के प्रबंधन मंडल को एक तीन–सदस्यी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कमेटी का गठन करना होगा जो पिछले तीन वर्ष के औसत लाभ के दो प्रतिशत अंश को व्यय करने के निर्णय को संस्तुति देगी। गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ सेवा, शिक्षा व सामाजिक व्यवसाय, सबको सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में शामिल किया गया है। लेकिन कर्मचारियों पर किया गया खर्चा सीएसआर की मद में किया गया खर्चा नहीं माना जायेगा। यदि यह राशि न खर्च की गई तो सीएसआर कमेटी को लिखकर के यह बात बतानी होगी कि यह राशि क्यों नहीं खर्च की गई।

उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने यह कहा कि नये कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिवर्ष स्वयंसेवी सेक्टर[57] को बीस हजार करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। जहाँ एक ओर यह स्वयंसेवी सेक्टर के लिये जनकल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर होगा वहाँ स्वयंसेवी संगठनों के लिये इतनी बड़ी राशि को खर्च करना एक चुनौती भी होगी। स्वयंसेवी सेक्टर का यह भी मानना है कि बड़ी कंपनियां इस दो प्रतिशत राशि को अपने व्यापारिक संबंधों को विकसित करनें में खर्च करेंगी।

कई नयी फाउंडेशन बन जाने के कारण स्वयंसेवी सेक्टर में घोर प्रतिस्पर्धा आ गई है। कई लोगों का मानना है कि फाउंडेशन बन जाने के कारण छोटे व मध्यम दर्जे के स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है। वह अभी भी जिसकी लाट्ठी उसकी भैंस वाले वातावरण में अनुदान प्राप्त करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसी फाउंडेशन और कार्पोरेशन भी है जिनका नजरिया खुला है और वह स्वयंसेवी संगठनों के साथ काम करने के लिये तत्पर हैं। इसलिये सारे वातावरण में एक दुविधा की स्थिति है। फिक्की, एसोचौम और सीआईआई जैसे तमाम उद्योग व व्यापार के संगठन स्वयंसेवी संगठनों और उद्योग जगत के बीच में संबंधों को जोड़ने का काम कर

---

57. *प्राइसवाटरहाउस कूपर्स (2013, नंवबर)। हैंडबुक आन कार्पोरेट रिस्पोंसबिलिटी इन इंडिया। Retrieved June 20, 2014, from PricewaterhouseCoopers Website: http://www.pwc.in/assets/pdfs/publications/2013/handbook-on-corporate-social-responsibility-in-india.pdf*

रहे हैं। दोनों सेक्टरों को सामाजिक उत्तरदायित्व की नई गतिविधियों को विकसित कर आपसी संबंधों को एक नया रुप देना है।

निजी उद्योग और स्वयंसेवी सेक्टर के लिये यह समय आपसी भागीदारी के लिये सबसे अच्छा है क्योंकि वह भविष्य में आपसी सहयोग के लिये स्पष्ट योजना बना सकते हैं। आपसी संबंध बनाकर एक लंबे समय की बात सोचनी चाहिये। निजी सेक्टर और स्वयंसेवी सेक्टर दोनों के अपने विशिष्ट गुण हैं। स्वयंसेवी सेक्टर के संगठनों के पास कौशल तो है लेकिन संसाधन नहीं है। जबकि कार्पोरेट सेक्टर के पास संसाधन तो है लेकिन सामाजिक विकास के मामले में न उनके पास ज्ञान है और न ही कौशल। इसलिये दोनों एक–दूसरे के स्वाभाविक सहयोगी हैं। अगर हम दोनों सेक्टरों की विशेषताओं को साथ लेकर चले तो दोनों ही सेक्टर आगे बढ़ेगे और वह हमारी जटिल सामाजिक समस्याओं को दूर करने में भी सहायक सिद्ध होंगे।[58]

वैसे तो भारत में सरकारी संगठनों के लिये अनुदान के कई स्त्रोत हैं लेकिन यह संगठन अभी भी आर्थिक चुनौतियों को झेल रहे हैं। इसका एक कारण नियंत्रण करने व रोकने वाले कानून भी हैं। स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों का यह कहना था कि विकास कार्यों में उनकी भूमिका व योगदान को समझा जाना चाहिये और प्रभावशाली ढ़ग से काम करने के लिये स्वयंसेवी संगठनों की संसाधनों तक पहुँच होनी चाहिये।

निगमित सामाजिक दायित्व पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135

(1) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पांच सौ करोड़ रुपये या अधिक के शुद्ध मूल्य वाली या एक हजार करोड़ रुपये या अधिक के आवर्त वाली या पांच करोड़ रुपये या अधिक के शुद्ध लाभ वाली प्रत्येक कंपनी बोर्ड की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का गठन करेगी, जो तीन या अधिक निदेशकों से मिलकर बनेगी, जिनमें से कम से कम एक निदेशक, स्वतंत्र निदेशक होगा।

(2) धारा 134 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड की रिपोर्ट में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना का प्रकटन होगा।

(3) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, –––
- (क) एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति विरचित करेगी, जो अनुसूची 7 में यथाविनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा किए गए या किए जाने वाले वाले कार्यकलाप या कार्यकलापों को उपदर्शित करेगी और बोर्ड को सिफारिश करेगीय
- (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यकलापों पर उपगत होने वाले व्यय की रकम की सिफारिश करेगीय और
- (ग) समय–समय पर कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को मानीटर करेगी।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी का बोर्ड––
- (क) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात, कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति अनुमोदित करेगा और अपनी रिपोर्ट में ऐसी नीति की अंतर्वस्तुएं प्रकट करेगा और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए उसे कंपनी की वेबसाइट पर भी, यदि कोई हो, रखेगा य और
- (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति में यथा सम्मलित कार्यकलाप, कंपनी द्वारा किए गए हैं

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत शुद्ध लाभों का कम से कम दो प्रतिशत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च करती है :

परंतु कंपनी अपने आस–पास के ऐसे स्थानीय क्षेत्र और क्षेत्रों को, जहां वह क्रियाशील है, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों के लिए चिन्हित रकम को खर्च करने में अधिमान देगी :

परंतु यह और कि यदि कंपनी ऐसी रकम खर्च करने में असफल रहती है तो बोर्ड धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ण) के अधीन तैयार की गई अपनी रिपोर्ट में, रकम खर्च न करने के कारणों को विनिर्दिष्ट करेगा।

---

58. *फिक्की (2009, दिसंबर 4)। कार्पोर्ट सोशल रिस्पोशिबिलिटी : वालेंटरी गाईडलाइन्स फार बिजनेस। Retrieved June 21, 2014, from Ministry of Corporate Affairs Website: http://www.mca.gov.in/Ministry/latestnews/Corporate_Social_Responsibility_4Dec2009.pdf*

भाग – 4 अभिव्यक्ति

अभिव्यक्ति के अधिकार का भारत में विशेष स्थान है। हमारा संविधान सब नागरिकों को विचार स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।[59] यह संविधान के अनुच्छेद 19 में स्पष्ट है। वैसे भी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र में आवश्यक है। अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को अभिव्यक्ति के निम्नलिखित पाँच मौलिक अधिकार हैं :

- अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता
- शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के एकत्रित होने और सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता
- किसी भी प्रकार के संघ बनाने की स्वतंत्रता
- देश के किसी भी भू–भाग में आवागमन की स्वतंत्रता
- किसी भी प्रकार के व्यापार एवं आजीविका चलाने की स्वतंत्रता

लेकिन संविधान का अनुच्छेद 19 (क) विधायिका को स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर कुछ नियंत्रण करने का भी अधिकार देता है। यदि किसी नागरिक की स्वतंत्र अभिव्यक्ति देश की सुरक्षा को आघात पहुँचा रही हो, किसी विदेशी मित्र राष्ट्र के साथ संबंधों पर प्रभाव डाल रही हो, कानून और व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, न्यायपालिका की अवमानना, मानहानि और भारत की सार्वभौमिकता और अंखडता के विपरीत हो तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

अभिव्यक्ति की मानवाधिकार पर विश्वव्यापी घोषणा, संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंम्बली का प्रस्ताव तथा इंटरनेशनल कोवेनेन्ट आन सिविल एंड पालिटिकल राइट (आईसीसीपीआर) की धारा 19 के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। आईसीसीपीआर विश्व के 165 देशों द्वारा अनुमोदित एक कानूनी समझौता है।

संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली द्वारा 10 दिसंबर 1948 को यूडीएचआर लागू किया गया था। यह सभी सदस्य राज्यों के लिये मानवाधिकार के मापदंड तय करता है। यूडीएचआर की धारा 19 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। इस अधिकार के अंतर्गत बिना किसी हस्ताक्षेप के अपना मत रखना और सूचना प्राप्त करना और किन्हीं विचारों को किसी मीडिया द्वारा देश की सीमाओं के दायरे में बंधन में न बंधकर प्राप्त करना है।

आईसीसीपीआर वर्ष 1976 लागू हुआ। यह यूडीएचआर के सिद्धांत की व्याख्या करता है। भारत ने 10 अप्रैल 1979 में इस कन्वेसन पर हस्ताक्षर किये। आईसीसीपीआर की धारा 19 (2) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इस अधिकार के तहत किसी भी तरह की सूचना और विचारों को प्राप्त करने और देने की स्वतंत्रता होगी जो बोलकर, लिखकर या कला या किसी अन्य माध्यम के द्वारा किसी भौगोलिक सीमाओं के बंधन के बिना दी जा सकती है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ–साथ जानकारी प्राप्त करना और सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में यह भाषण की स्वतंत्रता का एक और पहलू है और सामान्यत सामाजिक कार्यकर्ता तथा स्वयंसेवी संगठन इस अधिकार का उपयोग करते हैं। सूचना के अधिकार कानून 2005[60] के अंतर्गत किसी भारतीय नागरिक को सूचना प्राप्ति का अधिकार है। लेकिन सूचना अधिकार जो कि लोगों को किसी सरकारी अधिकारी से सूचना प्राप्ति का अधिकार देता है सेक्शन 8 के अंतर्गत कुछ दस्तावेजों को खोलने के लिये मना करता है। दूसरी बात यह है कि सूचना का अधिकार होने के बाद भी 1923[61] के आफिसियल सीक्रेट एक्ट की धारा को निरस्त नहीं किया गया है। इस धारा के अंतरगत ऐसे दस्तावेज का खुलना प्रतिवंधित है जो भारत की सार्वभौमिकता और अखंडता, सुरक्षा और विदेशों से मित्रवत संबंधों पर प्रभाव डालते हैं। भारतीय संविधान की धारा 19 (ए) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो रुकावट लगाई गई है वह इन्हीं आधारों पर है।

---

59. *बक्शी, पी. (1995)। द कान्सीट्यूशन ऑफ इंडिया। दिल्ली, यूनिवर्सल बुक ट्रैडर्स।*
60. *विधि और न्यायमंत्रालय, भारत सरकार (2011, जुलाई) सूचना का अधिकार 2005। Retrieved June 23, 2014, from Department of Justice, Ministry of Law and Justice Website: http://doj.gov.in/?q=node/141*
61. *भारत सरकार। द आफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923। Retrieved June 23, 2014, from Government of India Website: http://www.archive.india.gov.in/allimpfrms/allacts/3314.pdf*

हमारे उपनिवेशवादी युग में बनी भारतीय दंड विधान संहिता (आईपीसी) 1861 के कई प्रावधानों की वजह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अक्सर रोक लग जाती है। ये हैं मानहानि कानून सेक्शन 499 समुदाय के बीच अच्छे संबंध बनाये रखना 153 (ए) और सेक्शन 295 (ए)।

वैसे तो भारत में स्वयंसेवी सेक्टर अभिव्यक्ति के लिये स्वतंत्र है लेकिन कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने संघर्ष और अतिवादी प्रभाववाले क्षेत्रों से अभिव्यक्ति पर अंकुश लगने की बात कही है। कुछ मामलों में यह उन स्वयंसेवी संगठनों के लिये भी समस्यात्मक रहा है जो सरकार की कटु आलोचना करते हैं।

नक्सलवाद और अतिवादियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का अभाव : नक्सलवादी क्षेत्रों में सरकार व स्वयंसेवी सेक्टर के बीच आपसी संबंधों में विश्वास का अभाव होता है क्योंकि सरकार को स्वयंसेवी संगठनों की गतिविधियों पर शक होता है। छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उत्तर–पश्चिम के राज्यों में अधिकतर स्वयंसेवी संगठन यह महसूस करते हैं कि सरकार उनके साथ बहुत ही तलखीवाले संबंध रखती है और उनको नक्सलवादियों का समर्थक मानती है। छत्तीसगढ़ के स्वयंसेवी संगठनों ने कहा कि राज्य में नक्सल विरोधी गतिविधियाँ शुरु होते ही उनके काम में पुलिस का हस्तक्षेप बढ़ गया है। स्वयंसेवी संगठनों को प्रतिदिन पुलिस को यह बताना पड़ता था कि वह क्या काम करनेवाले हैं और उनके सहकर्मी किन क्षेत्रों में जायेंगे। यदि गांव में भी कोई मींटिग की जाय तो नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में पुलिस को दो दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। यदि ऐसा न किया जाय तो स्वयंसेवी संगठन के खिलाफ कार्यवाही हो जाती है।

अप्रैल 2010 में कनकेर जिले के प्रशासन ने 8 स्वयंसेवी संगठनों को नक्सलवादियों से संबंध बनाये रखने के लिये दोषी ठहराया और उनसे कहा गया कि अपने कागजी दस्तावेज और वार्षिक बजट आदि को लेकर स्थानीय पुलिस स्टेशन जाय और उसकी जाँच–पड़ताल करवाये। इस तरह की बातों से राज्य में स्वयंसेवी संगठनों के कार्यों को खतरा होता है और स्वयंसेवी संगठनों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध कुछ बोलने की शक्ति जाँच पड़ताल और गाली–गलौच के डर से समाप्त हो जाती है।[62]

छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में जहाँ अतिवादी वांमपथी आंदोलन जोरों से चल रहे हैं वहाँ पर स्वयंसेवी संगठनों की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। इसका कारण स्वयंसेवी संगठनों पर सरकार द्वारा बराबर निगरानी रखना होता है। विकास कार्यों के लिये किसी खास स्थान के व्यक्तियों, समुदायों और विभिन्न सामाजिक वर्गों के साथ मिलकर काम करना होता है। इसलिये आवश्यक है कि सामाजिक बदलाव लाने के लिये स्वयंसेवी संगठनों को अपने अस्तित्व और काम करने के लिये सही वातावरण मिले। एक समर्थकारी वातावरण न मिलने के कारण हमे उन क्षेत्रों में काम को रोकना पड़ा है।

— डॉ. जयंत कुमार, कार्यक्रम अध्यक्ष, सीएएसए

भाग – 5 शांतिपूर्ण सभा

शांतिपूर्वक विरोध करना एक मौलिक अधिकार है और धारा 19 (1) (बी) के अंतर्गत भारतीय संविधान हमें इस बात की पूरी स्वतंत्रता देता है। इस धारा के अंतर्गत मिलने व सभा करने की पूरी स्वतंत्रता है जो कि शांति व्यवस्था बनाये रखने या राष्ट्र की सुरक्षा पर खतरे के कारण ही अवरुद्ध की जा सकती है। सब–क्लाज 2 के अंतर्गत राज्य की सुरक्षा विदेशी राज्य के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, शांति व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता तथा न्यायालय की अवमानना, मानहानि और किसी गैर–कानूनी काम को बढ़ावा देना इसके अंतर्गत आते हैं। आईसीसीपीआर में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक सम्मेलन करने के अधिकार को मान्यता दी हुई है। भारत इस अंतर्राष्ट्रीय

62. *स्रोत : वानी। नागरिक रिपोर्ट, छत्तीसगढ़।*

समझौते का सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अंतर्गत इन अधिकारों पर अंकुश तभी लग सकता है जब ऐसा करना जनहित या अन्य लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिये आवश्यक हो। लेकिन इस अधिकार को सामान्यतः बाधित नहीं किया जा सकता।

किसी भी रैली, जनसभा या प्रदर्शन के लिये पुलिस की अनुमति लेना आवश्यक होता है। कई बार स्वयंसेवी संगठनों के सदस्यों के विरुद्ध गैर–कानूनी गतिविधि निरोधक एक्ट का इस्तेमाल किया गया है जब वह शांतिपूर्वक सभा करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे थे। 16 अगस्त 2012 को सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे और उनके कई समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि दिल्ली पुलिस की शर्तों को न मानकर वो भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे थे। बाद में उन्हें जल्दी ही छोड़ दिया गया। *लेकिन अन्ना हजारे ने जेल से बाहर आने के लिये तब तक मना कर दिया जब तक पुलिस उनको बिना किसी शर्त के अनशन करने की स्वीकृति नहीं देती। एक समझौता हुआ जिसके तहत अनशन और विरोध को स्वीकृति मिल गई और अन्ना हजारे और अन्य आलोचकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये।*[63]

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन[64] आयोजित करने से पहले भी स्वयंसेवी संगठनों को गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है। इससे सरकार को उनके काम और सभा करने की स्वतंत्रता पर राजनैतिक नियंत्रण मिल जाता है।

संवैधानिक कानूनों और प्रावधानों के अतिरिक्त भी कई ऐसे कानून हैं जो लोगों के शांतिपूर्ण ढ़ग से इकट्ठा होने पर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किये जाते हैं। उदाहरण के लिये सीआरपीसी 1973 की धारा 144 किसी मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देती है कि वह किसी भी क्षेत्र में दस से अधिक लोगों की सभा को अनुमति न दे। इसी तरह झगड़े या दंगे में तीन साल तक के कठोर कारावास का प्रावधान है।

दिल्ली गैंग रेप केस के विरुद्ध प्रदर्शन के समय धारा 144 का दुरुपयोग किया गया। एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने इंडिया गेट के पास धारा 144 के अंतर्गत छह माह तक के लिये निषेध आज्ञा लगा दी। जनवरी 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक नोटिस भेज कर कहा कि यह निषेध आज्ञा नागरिकों के मौलिक अधिकार के खिलाफ है।[65]

---

63. *एमनेस्टी इंटरनेशनल (2011, अगस्त 18)। इंडिया : अथारटिस मस्ट रिस्पेक्ट द राईट्स टू फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ पीसफुल एसेंबली। Retrieved June 24, 2014, from Amnesty International Website: http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA20/042/2011/en/6e0f443f-cd46-4a99-afc9-2732696d1fc9/asa200422011en.html*
64. *गृह मंत्रालय कांफ्रेस वीजा के संबंध में अक्सर पूछे गये प्रश्न। Retrieved June 20, 2014, from Ministry of Home Affairs Website: http://www.mha.nic.in/hindi/sites/upload_files/mhahindi/files/pdf/FAQs-on-ConferenceVisa.pdf*
65. *टाईम्स ऑफ इंडिया (2012 दिसंबर 29)। इंडिया गेट पर धारा 144 के विरुद्ध जनहित याचिका। Retrieved June 27, 2014, from The Times of India Website: http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/PIL-against-Section-144-at-India-Gate/articleshow/17801610.cms*

अध्याय 4

वैकल्पिक आयाम

इस अध्याय में हम स्वयंसेवी सेक्टर की कार्यप्रणाली के तीन आयमों का अध्ययन करेंगे। यह आयाम हैं – कराधान, सरकार और स्वयंसेवी सेक्टर के संबंध तथा स्वयंसेवी संगठनों का आपसी सहयोग और गठबंधन। भारत के संदर्भ में इन तीनों आयामों का अध्ययन जरुरी है क्योंकि यह स्वयंसेवी सेक्टर के सामने एक चुनौती बनकर खड़े होते हैं। कराधान के कानून कठोर हैं और स्वयंसेवी सेक्टर पर कई तरह के प्रतिबंध लगाते हैं। साथ ही साथ सरकार के साथ संबंध कुछ समय से तनापूर्ण हो गये हैं। पिछले दिनों गुप्तचर विभाग (आईबी) की एक रिपोर्ट ने इन संबंधों को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। स्वयंसेवी सेक्टर में नेटवर्क और मजबूत गठबंधन के अभाव में यह स्थिति और भी संकटकारी हो जाती है। इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि भारत के संदर्भ में इन तीनों आयामों पर गहराई से विचार किया जाय।

नीचे वाले भागों में तीनों आयामों का विवरण दिया गया है :

भाग – 1 कराधान

भारत के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय कराधान नीतियाँ स्वयंसेवी सेक्टर के लिये अधिक उदारवादी हैं। उदाहरण के लिये इंग्लैड में किसी परोपकारी संगठन को व्यवसाय करके अपने लाभ को परोपकार में लगाने की पूरी छूट है। यही स्थिति अमेरिका में भी है जहाँ इस तरह का अतिरिक्त उत्पाद परोपकार में लगाया जा सकता है। भारत के लिये आवश्यक है कि वह इस उदारवादी और समर्थकारी प्रावधानों को देखें जिससे यहाँ स्वयंसेवी सेक्टर और अच्छा कार्य कर सकें। भारत में आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़े स्तर पर धन का सृजन होगा इसलिये आवश्यकता है कि स्वयंसेवी सेक्टर पर कराधान की नीतियों के प्रभाव का गहराई से चितंन किया जाय। अब समय आ गया है जब हम अपनी विरासत के कराधान की व्यवस्था को बदले और देश के समृद्ध और पैसेवाले वर्गों में परोपकार पर व्यय करने की एक बेहतर आदत डालें।

– मैथ्यू चौरिन, मुख्य कार्यपालक,
हेल्पएज इंडिया, नई दिल्ली

यह भाग कराधान नियमों, आयकर अधिनियम और डायरेक्ट टैक्स कोड बिल को ध्यान में रखते हुये भारत में कराधान के कानूनों का आकंलन करता है। इसमें कर कानून के कानूनी ढ़ांचे व जमीनी वास्तविकताओं का अवलोकन किया गया है जो काम करते समय सामने आईं। क्योंकि इन करों का कानूनी ढ़ांचा राष्ट्रीय है इसलिये देश के विभिन्न भागों में स्वयंसेवी संगठनों के सामने चुनौतियाँ कमोवेश एक सी ही हैं। इसलिये क्षेत्रीय आंकलन की जगह इन दोनों कानूनों के बारे में एक विषय–परख आंकलन किया गया है।

आयकर अधिनियम 1961 एक राष्ट्रीय कानून है जिसके अंतर्गत उन तमाम लाभविहीन संगठनों को कर छूट मिलती है जो कि न्यास, सोसाइटी या कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। गरीबों के लिये राहत, शिक्षा, स्वास्थ्य सहायता या आम जनता के उपयोग की किसी भी ऐसी सेवा को आगे बढ़ाने में कार्यरत कोई भी स्वयंसेवी संगठन आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर में राहत और अन्य लाभ प्राप्त कर सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कोई भी संगठन निम्नलिखित शर्तो पर आयकर भुगतान से राहत पा सकता है :

- यह संगठन धार्मिक व परोपकारी कार्यों के लिये बना हो।
- इसकी 85 प्रतिशत आय किसी भी वित्तीय वर्ष में संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये व्यय की गई हो। बाकी राशि किसी विशेष परियोजना के लिये 1 से 5 साल तक एकत्र की जा सकती है।
- आयकर अधिनियम की धारा 11 (5)[66] के निर्देशानुसार संगठन की राशि जमा की गई हो।
- संगठन की आय या संपत्ति का कोई भी भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से संगठन के निर्माताओं, न्यासियों या उनके रिश्तेदारों के लाभ के लिये व्यय नहीं किया गया हो।
- संगठन को वार्षिक आय का ब्यौरा नियमित रुप से जमा कराना चाहिये। संगठन को वित्तपोषकों का रिकार्ड अपने पास रखना चाहिये। एक लाख से उपर प्राप्त अनुदान राशि पर अधिकतम 30 प्रतिशत कर लग सकता है।

कर छूट के लिये किसी स्वयंसेवी संगठन को फार्म 10 ए पर आवेदन देना होता है। आवेदनपत्र इस क्षेत्र के आयकर आयुक्त को जाता है। आवेदन को संस्था के बनने के एक वर्ष के भीतर जमा करना पड़ता है। आयकर आयुक्त को किसी आवेदन को स्वीकार करने या न करने का अधिकार होता है। लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 253 के अंतर्गत आयकर अपील ट्रिब्यूनल में आवेदनपत्र के निरस्त होने के विरुद्ध अपील की जा सकती है। बहुत कम मामले ऐसे हुये हैं जहाँ स्वयंसेवी संगठन और आयकर विभाग में कोई टकराव हुआ हो।

सबसे पहले तो कर छूट का लाभ लेने के लिये किसी संगठन को आयकर अधिनियम की धारा 12 ए और 12 ए ए के अंतर्गत पंजीकृत कराना होता है। दूसरे आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अंतर्गत प्रमाणपत्र लेना होता है जिससे स्वयंसेवा संस्था को कर में 50 प्रतिशत का लाभ हो जाता है। तीसरे धारा 35 एसी और 35 सीसीए[67] के अंतर्गत कर लाभ उठाते हुये कार्पोरेट और व्यापार जगत स्वीकृत परियोजनाओं के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान देते हैं।

आयकर कानून स्वयंसेवी सेक्टर के लिये कई रियायतों की बात करता है लेकिन अधिकांश स्वयंसेवी संगठन ये मानते हैं कि इसके प्रावधान कठोर हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार और केन्द्रित समूह वार्तालाप में स्वयंसेवी संगठनों ने आयकर कानून के विषय में निम्नलिखित बाते कहीं :–

- प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सरल करने की आवश्यकता है। किसी संगठन को धारा 80 जी एए में पंजीकृत करने और उसके आवेदन को स्वीकृत करने या निरस्त करने के लिये 90 दिन की समय सीमा होनी चाहिय पर कहीं अधिक समय लगता है। चार महीने 12 एए और और फिर 80 जी में स्वीकृति पाने में चार महीने और लगते हैं।
- वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत किसी विशेष परियोजना के लिये अतिरिक्त आय को अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक एकत्र किया जा सकता है। इस समय सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- धारा 35 एसी[68] के अंतर्गत मिलने वाली छूट की प्रक्रिया को तेज करना चाहिये।
- कराधान और एफसीआरए के लिये एकल खिड़की व्यवस्था होनी चाहिये।

---

66. *आयकर कानून की धारा 11 (5) निवेश और पूँजी जमा करने के तरीकों के बारे में बताता हा जिसमें बचत प्रमाणपत्र या सरकार द्वारा कोई प्रतिभूमिया प्रमाणपत्र लेना भी शामिल है।*
67. *पात्रा, एस. (2009, दिसंबर)। चौरिटी दू बी इन टैक्स नेटएम्पलिकेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कोड बिल। सिविल सोसाइटी वाइसेस पृष्ठ 6 से 8।*
68. *धारा 35 एसी किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित संस्था या संगठन को स्वयंसेवी संगठनों की किसी योजना के लिये अनुदान देने पर आयकर में छूट देने के विषय में है। ऐसा अनुदान खर्च के मद में दिखाया जा सकता है।*

- यह कहा जाता है कि कर विभाग के अधिकारी लाभविहीन सेक्टर को नहीं समझते हैं और अक्सर किसी परियोजना को लेने और उसके लिये अनुबंध करने को लाभ कमाने वाली व्यापारिक गतिविधि मानते हैं। उनके अज्ञानता के कारण स्वयंसेवी संगठनों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

देश में आयकर कानून स्वयंसेवी सेक्टर के संगठनों के आर्थिक स्थायित्व के अनुकूल नहीं है। तमाम सेवा कर जैसे कर कानून स्वयंसेवी सेक्टर के विरुद्ध जाते हैं। परामर्शदाती सेवायें और मूल्य संबंधित कर जो सामान व सेवाओं के बेचने पर लगाये जाते हैं स्वयंसेवी सेक्टर पर भी थोप दिये जाते हैं।

सरकार को इस बात की शंका है कि स्वयंसेवी सेक्टर में काले धन को सफेद किया जाता है। कमजोर विश्वसनीयता के साथ मिलकर यह आशंका स्वयंसेवी सेक्टर के लिये बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। साथ ही साथ अनुदान के नये स्त्रोत संगठनों के प्रशासनिक कार्यों के लिये धन नहीं देते हैं। वह यह भी नहीं समझते की यदि संगठन की जरुरी आवश्यकतायें पूरी न की गई तो भ्रष्ट तरीके पनपेगें।[69]

ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम का एक स्वयंसेवी संगठन महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 2002 से कार्यरत है। अमरावती जिला पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ के जनजाति क्षेत्रों में कुपोषण के बहुत मामले सामने आते हैं। इस जिलें में यह संगठन कई सामाजिक योजनाओं पर काम कर रहा है।

संगठन ने जनवरी 2011 में आयकर के प्रावधान 80 जी के लिये नवीनीकरण का आवेदन दिया। आवेदन जमा करने और प्रश्नों के जवाब देने की इस सारी पक्रिया में बहुत समय लगा। वैसे संगठन के पास आयकर विशेषज्ञ है जो कि इसको नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करने में सहयोग दे रहा है। लेकिन तब भी नवीनीकरण की इस प्रक्रिया में समस्या आ रही है। संगठन के कर्मचारी नवीनीकरण के लिये दौड़ रहे हैं जिससे क्रियान्वन व प्रबंधन के अन्य कार्य बाधित हो रहे हैं। यह सारीदृसारी प्रक्रिया बहुत थकाने वाली है। लेकिन किसी भी संस्था को अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिये धन जुटाना आवश्यक है और इस कार्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है ।

लंबी प्रक्रिया के कारण 80 जी के अंतर्गत अनुदान देनेवाले से मिलने वाली राशि पर कर राहत के अवसर समाप्त हो जाते हैं। इसलिये अनुदान का अकाल पड़ा रहता है। कार्य करने के स्थान पर अनुदान जुटाना बहुत मुश्किल होता है। समय लगने की इस प्रक्रिया के कारण अनुदान प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। अनुदान मिलने में समस्या के कारण संगठन की सारी–सारी कार्यवाही प्रभावित होती है।

– वानी सिटीजन रिपोर्ट महाराष्ट्र से अनुदित

69. *चैरिन, एम, दत्ता. ए. एंड मोदी. बी. (2012)। रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कंसेल्टेशन हेल्ड आन 26 अप्रैल 2012 आन वालेंटरी सेक्टर इन इंडिया : चौलेंजेन्स, अपरच्यूनिटूस एंड वाइससे फार्म द फीलिड। गुजरात : इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल मेंनेजमेंट, आनंद।*

स्वयंसेवी संगठनों से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की मुख्य धाराएं

अनुच्छेद– 11– पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारित सम्पत्ति से आय

(1) धारा 60 से 63 तक के उपबंधों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित आय, आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पूर्ववर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी –

(क) ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त ऐसी आय जो पूर्णतः पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित है, उस परिमाण तक जिस तक ऐसी आय भारत में ऐसे प्रयोजनों में प्रयोग की जाती है और जहां ऐसी आय भारत में ऐसे प्रयोजनों में प्रयोग किए जाने के लिए संचित की जाती है या अलग रखी जाती है वहां उस परिमाण तक जिस तक इस प्रकार संचित की गई या अलग रखी गई आय उस सम्पत्ति से होने वाली आय के से अधिक नहीं है,

(ख) ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त आय जो केवल भागतः ऐसे प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित है और ऐसा न्यास इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व सृष्ट किया गया है, उस परिमाण तक जिस तक ऐसी आय भारत में ऐसे प्रयोजनों में प्रयोग की जाती है और जहां ऐसी आय भारत में ऐसे प्रयोजनों में प्रयोग किए जाने के लिए अन्तिम रूप से अलग रखी जाती है, वहां उस परिमाण तक, जिस तक इस प्रकार अलग रखी गई आय उस संपत्ति से होने वाली आय के से अधिक नहीं है,

(ग) ऐसे न्यास के अधीन धारित सम्पत्ति से आय;

(i) जो किसी ऐसे पूर्त प्रयोजन के लिए, जो अन्तर्राष्ट्रीय कल्याण को, जिसमें भारत की अभिरुचि है, प्रोन्नत करने में साधक होता है, 1 अप्रैल, 1952 को या उसके पश्चात् सृष्ट किया गया है, उस परिमाण तक जिस तक ऐसी आय भारत के बाहर ऐसे प्रयोजनों में प्रयुक्त की जाती है, और

(ii) जो पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 1952 के पूर्व सृष्ट किया गया है, उस परिमाण तक जिस तक ऐसी आय भारत के बाहर ऐसे प्रयोजनों में प्रयुक्त की जाती है ;

परन्तु यह कि बोर्ड ने, साधारण या विशेष आदेश द्वारा दोनों में से किसी भी दशा में यह निर्देश दिया है कि वह ऐसी आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी,

(घ) स्वैच्छिक अभिदायों के रूप में आय जो इस विशिष्ट निर्देश के साथ किए गए हैं कि वे समग्र न्यास या संस्था का भाग होंगे।

अनुच्छेद–12 अभिदायों से होने वाली न्यासों या संस्थाओं की आय

(1) पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए पूर्णतः सृजित किसी न्यास द्वारा या ऐसे प्रयोजनों के लिए पूर्णतः स्थापित किसी संस्था द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक अभिदाय (जो इस विनिर्दिष्ट निदेश के साथ किए गए अभिदाय नहीं हैं कि वे न्यास या संस्था की विषय–वस्तु के भाग रूप होंगे) धारा 11 के प्रयोजनों के लिए पूर्णतः पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित सम्पत्ति से प्राप्त आय समझे जाएंगे और उस धारा के तथा धारा 13 के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

(2) धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (गग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को कोई अस्पताल या चिकित्सीय संस्था या शैक्षिक संस्था चलाने वाले किसी पूर्त या धार्मिक न्यास द्वारा उपलब्ध कराई गई किन्हीं सेवाओं, जो चिकित्सीय या शैक्षिक सेवाएं हैं, का मूल्य उस पूर्ववर्ष के दौरान जिसमें ऐसी सेवाएं इस प्रकार उपलब्ध कराई जाती हैं, पूर्णतः पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित संपत्ति से प्राप्त आय ऐसे न्यास या संस्था की आय समझी जाएगी और धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के होते हुए भी उस पर आय–कर देय होगा।

(3) धारा 11 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 80 छ की उपधारा (2) के खंड (घ) के निबंधनों में न्यास या संस्था द्वारा प्राप्त किए गए दान की कोई रकम जिसके संबंध में उस धारा की उपधारा (5ग) के खंड (अ) के अधीन विहित अधिकारी को उस खंड में विनिर्दिष्ट रीति में, आय और व्यय के लेखे नहीं दिए गए हैं या जो गुजरात में भूकंप पीड़ितों को राहत पहुंचाने से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की गई हो या जो धारा 80छ की उपधारा (5ग) के निबंधनों में अप्रयुक्त रही हो और जिसे 31 मार्च, 2004 को या उसके पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अंतरित न किया गया हो, पूर्ववर्ष की आय समझी जाएगी और उस पर तद्नुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद–12क न्यास के पंजीकरण में योगदान

धारा 12 और धारा 12 के उपबंध किसी न्यास या संस्था की आय के संबंध में लागू नहीं होंगे जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी न की जाएं, अर्थात् :

(क) आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने विहित फार्म और विहित रीति में प्रधान आयुक्त या आयुक्त को 1 जुलाई, 1973 को या उसके पूर्व या न्यास के सृजन अथवा संस्था की स्थापना की तारीख से एक वर्ष की कालावधि समाप्त होने के पूर्व इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो और ऐसा न्यास या संस्था धारा 12 कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है ;

परन्तु जहां न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पूर्वोक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् किया जाता है वहां धारा 11 और धारा 12 के उपबंध ऐसे न्यास या संस्था की आय के संबंध में, –

(i) प्रधान आयुक्त या आयुक्त का ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह समाधान हो जाता है कि आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति पूर्वोक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व आवेदन करने से पर्याप्त कारणों से निवारित रहा था तो न्यास के सृजन या संस्था की स्थापना की तारीख से,

(ii) यदि प्रधान आयुक्त या आयुक्त का इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें आवेदन किया जाता है, प्रथम दिन से लागू होंगे;

परंतु यह और कि इस खंड के उपबंध 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए किसी आवेदन के संबंध में लागू नहीं होंगे,

अनुच्छेद– 12 कक रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया

1. प्रधान आयुक्त या आयुक्त, किसी न्यासध्संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (कक) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति पर,–

(क) न्यास या संस्था से ऐसे दस्तावेज या जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहेगा जो वह न्यास या संस्था के क्रियाकलापों की यथार्थता के संबंध में अपना समाधान करने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी जांच भी करेगा जो वह इस निमित्त आवश्यक समझेय और

(ख) न्यास या संस्था के उद्देश्यों और उसके क्रियाकलापों की बाबत अपना समाधान हो जाने के पश्चात ;

(i) न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए लिखित में आदेश पारित करेगा,

(ii) न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार करने के लिए लिखित में आदेश पारित करेगा यदि उसका समाधान नहीं होता है, और ऐसे आदेश की एक प्रति आवेदक को भेजी जाएगी ;

परन्तु उपखंड (ii) के अधीन ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने या उससे इन्कार करने वाला प्रत्येक आदेश धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (कक), के अधीन आवेदन प्राप्त करने वाले मास के अंत से छह मास के अवसान के पूर्व पारित किया जाएगा।,

(3) जहां किसी न्यास या किसी संस्था को उपधारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है या धारा 12क जैसी वह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 (1996 का 33) द्वारा इसका संशोधन किए जाने से पूर्व विद्यमान थी के अधीन किसी समय रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है और तत्पश्चात् प्रधान आयुक्त या आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि, यथास्थिति, ऐसे न्यास या संस्था के कार्यकलाप प्रामाणिक नहीं हैं या वे न्यास या संस्था के उद्देश्यों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं तो वह ऐसे न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने संबंधी आदेश लिखित रूप में पारित करेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे न्यास या संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।,

अनुच्छेद– 35 क ग – पात्र परियोजनाओं और स्कीमों पर व्यय

(1) जहां कोई निर्धारिती, किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी को अथवा राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित किसी संगम या संस्था को किसी पात्र परियोजना या स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए किसी राशि के संदाय के रूप में कोई व्यय करता है, वहां निर्धारिती को, पूर्व वर्ष के दौरान किए गए ऐसे व्यय की रकम की कटौती, इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुज्ञात की जाएगी ;

परन्तु कोई कम्पनी, इस उपधारा के अधीन कटौती का दावा करने के लिए, यथापूर्वोक्त, किसी राशि के संदाय के रूप में अथवा पात्र परियोजना या स्कीम पर सीधे व्यय कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी जब निर्धारिती अपनी आय की विवरणी के साथ – (क) जहां संदाय उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी संगम या संस्था को किया जाता है, वहां, यथास्थिति, ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी अथवा संगम या संस्था से, (ख) किसी अन्य दशा में, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखापाल से, ऐसे फार्म में, ऐसी रीति से और ऐसी विशिष्टियों को दर्ज करते हुए (जिनके अन्तर्गत पूर्ववर्ष के दौरान पात्र परियोजना या स्कीम के संबंध में कार्य की प्रगति से संबंधित विशिष्टियां भी हैं), जो विहित की जाएं, प्रमाणपत्र दे देता है।

(3) जहां इस धारा के अधीन किसी कटौती का उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यय की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात कर दी जाती है, वहां ऐसी कटौती इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन ऐसे व्यय की बाबत उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(4) जहां कोई संगम या संस्था, उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित है और बाद में – (i) उस समिति का यह समाधान हो जाता है कि परियोजना या स्कीम ऐसी सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार, जिनके अधीन अनुमोदन किया गया था, नहीं चलाई जा रही हैय या (ii) ऐसे संगम या संस्था ने, जिसका अनुमोदन किया गया है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय समिति को ऐसे प्ररूप में और ऐसे विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, वहाँ राष्ट्रीय समिति, संबंधित संगम या संस्था को, अनुमोदन वापस लेने संबंधी प्रस्ताव के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात किसी भी समय, ऐसे अनुमोदन को वापस ले सकेगी ; परंतु अनुमोदन वापस लेने संबंधी आदेश की प्रति राष्ट्रीय समिति द्वारा उस निर्धारण अधिकारी को, जिसकी संबंधित संगम या संस्था पर अधिकारिता है, अग्रेषित की जाएगी।

(5) जहां कोई परियोजना या स्कीम, स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित की गई है और बाद में – (i) राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाता है कि परियोजना या स्कीम ऐसी सभी या किन्ही शर्तों के अनुसार, जिनके अधीन ऐसी परियोजना या स्कीम अधिसूचित की गई थी, नहीं चलाई जा रही है, या (ii) ऐसी पात्र परियोजना या स्कीम के संबंध में रिपोर्ट, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत नहीं की गई है, वहां ऐसी अधिसूचना उसी रीति से वापस ली जा सकेगी जिसमें वह जारी की गई थी ;

परंतु अनुमोदन वापस लेने संबंधी प्रस्ताव के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर राष्ट्रीय समिति द्वारा, यथास्थिति, संबंधित संगम, संस्था, पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण को दिया जाएगा ;

(ख) परंतु यह और कि उस अधिसूचना की प्रति, जिसके द्वारा पात्र परियोजना या स्कीम की अधिसूचना वापस ली जाती है, उस निर्धारण अधिकारी को, जिसकी, यथास्थिति, संबंधित संगम, संस्था, पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण पर जो ऐसी पात्र परियोजना या स्कीम चला रहा है, अधिकारिता है, अग्रेषित की जाएगी।

अनुच्छेद– 35 ग ग क – ग्राम विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए संगमों और संस्थाओं को संदाय के रूप में व्यय

(1) जहां निर्धारिती –

(क) किसी ऐसे संगम या संस्था को, जिसका उद्देश्य ग्राम विकास कार्यक्रम चलाना है, विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम विकास के किसी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में प्रयोग के लिए या

(ख) किसी संगम या संस्था को, जिसका उद्देश्य ग्राम विकास के किसी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना है,

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त स्थापित और अधिसूचित99 ग्रामीण विकास निधि कोय या

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त स्थापित और अधिसूचित राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि, किसी राशि के संदाय के रूप में कोई व्यय करता है, वहां निर्धारिती को उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए पूर्ववर्ष के दौरान किए गए ऐसे व्यय की रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।,

(2) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कटौती उक्त खंड में निर्दिष्ट किसी संगम या संस्था को किसी राशि के संदाय के रूप में किए गए व्यय की बाबत तभी अनुज्ञात की जाएगी जब निर्धारिती ऐसे संगम या संस्था से इस आशय का प्रमाणपत्र दे देता है कि –

(क) ग्राम विकास कार्यक्रम विहित प्राधिकारी द्वारा 1 मार्च, 1983 के पहले अनुमोदित किया गया थाय और

(ख) जहां ऐसा संदाय 28 फरवरी, 1983 के पश्चात् किया जाता है, वहां ऐसे कार्यक्रम में किसी भवन या अन्य संरचना (चाहे वह औषधालय, विद्यालय, प्रशिक्षण या कल्याण केन्द्र, कर्मशाला के रूप में उपयोग के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए हो) के निर्माण के रूप में कार्य या किसी सड़क का बिछाया जाना या किसी कुएं या नलकूप का निर्माण या वेधन करना या किसी संयंत्र या मशीनरी का प्रतिष्ठापन अंतर्वलित है और ऐसा कार्य 1 मार्च, 1983 के पहले प्रारंभ कर दिया गया है।

(2क) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कटौती किसी संगम या संस्था को किसी राशि का संदाय के रूप में व्यय की बाबत तभी अनुज्ञात की जाएगी जब निर्धारिती ऐसे संगम या संस्था से इस आशय का प्रमाणपत्र दे देता है कि;

(क) विहित प्राधिकारी ने 1 मार्च, 1983 के पहले संस्था या संगम का अनुमोदन कर दिया था, और

(ख) किसी ग्राम विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए व्यक्तियों का प्रशिक्षण उस संस्था या संगम द्वारा 1 मार्च, 1983 के पहले प्रारम्भ कर दिया गया था।,

अनुच्छेद– 80 छ – कुछ निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को दान की बाबत कटौती

(1) किसी निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए निम्नलिखित की कटौती की जाएगी, अर्थात् :

(i) उस दशा में जिसमें धारा (2) में विनिर्दिष्ट राशियों के योग में उसके खंड (क) के उपखंड (i) या उपखंड (iiia) या उपखंड (iiiaa) या उपखंड (iiiab) या उपखंड (iiie) या उपखंड (iiif) या उपखंड (iiig) या उपखंड (iiiga) या उपखंड (iiih) या उपखंड (iiiha) या उपखंड (iiihb) या उपखंड (iiihc) या उपखंड (iiihd) या उपखंड (iiihe) या उपखंड (iiihf), या उपखंड (iiihg) या उपखंड (iiihh) या उपखंड (iiihi) या उपखंड (iiihj) या उपखंड (vii) या खंड (क) के उपखंड (vii) में या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट कोई राशि या राशियां सम्मिलित हैं, यथास्थिति, ऐसी संपूर्ण राशि के या ऐसी प्रकृति की राशियों के बराबर रकम धन ऐसे योग के अतिशेष का पचास प्रतिशत और

(ii) किसी अन्य दशा में, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट राशियों के योग के पचास प्रतिशत के बराबर रकम।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशियां निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :

(क) ऐसी कोई राशियां, जो पूर्ववर्ष में निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित को दान के रूप में संदत्त की गई हैं,

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय रक्षा कोष, या

(ii) राष्ट्रीय समिति द्वारा 17 अगस्त, 1964 को हुए अपने अधिवेशन में अंगीकृत न्यास घोषणा विलेख में निर्दिष्ट जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि, या

(iii) प्रधानमंत्री का सूखा सहायता कोष, या

(iiia) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष, या

(iiiaa) प्रधानमंत्री आर्मेनिया भूकंप सहायता कोष, या

(iiiab) अफ्रीका (लोक अभिदाय–भारत) निधि, या

(iiib) राष्ट्रीय बाल निधि, या

(iiic) इंदिरा गांधी स्मारक न्यास जिसकी बाबत घोषणा विलेख नई दिल्ली में 21 फरवरी, 1985 को रजिस्टर किया गया था, या

(iiid) राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी बाबत घोषणा विलेख 21जून, 1991 को नई दिल्ली में रजिस्टर किया गया थाय या

(iiie) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सदभाव प्रतिष्ठान, या

(iiif) राष्ट्रीय महत्त्व का कोई विद्यालय या कोई शिक्षा संस्था, जो इस निमित्त विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाए, या

(iiig) 1 अक्तूबर, 1993 को आरम्भ होने वाली और 6 अक्तूबर, 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सहायता कोष अथवा मुख्यमंत्री भूकंप सहायता कोष, महाराष्ट्र, या

(iiiga) गुजरात में भूकंप पीड़ितों को अनन्य रूप से राहत पहुंचाने के लिए गुजरात की राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई कोष, या

(iiih) साक्षरता और साक्षरता के बाद के क्रियाकलापों और जिले के ग्रामों तथा कस्बों में प्राथमिक शिक्षा के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए उस जिले के कलक्टर की अध्यक्षता के अधीन जिले में गठित जिला साक्षरता समिति।

(iiiha) राष्ट्रीय रुधिर आधान परिषद या कोई राज्य रुधिर आधान परिषद जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत में आपरेशन और रक्त बैंकों की आवश्यकता से संबंधित सेवाओं का नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन करना या उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करना हो। (क) 'राष्ट्रीय रुधिर आधान परिषद' से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो और जिसका अध्यक्ष के रूप में अधिकारी, चाहे उसका कोई भी पदनाम हो, भारत सरकार के अपर सचिव से कम पंक्ति का न हो और एड्स नियंत्रण परियोजना से संबंधित हो, (ख) 'राज्य रुधिर आधान परिषद' से राष्ट्रीय रुधिर आधान परिषद के साथ परामर्श से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या भारत के किसी भी भाग में प्रवृत्त उस अधिनियम की तत्समान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभिप्रेत है और जिसका अध्यक्ष के रूप में अधिकारी, चाहे उसका कोई भी पदनाम हो, उस राज्य के सचिव से कम पंक्ति का न हो और वह स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हो, या

(iiihb) निर्धनों को चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई कोष, या

(iiihc) रक्षा बलों के वर्तमान और भूतपूर्व सदस्यों या उनके आश्रितों के कल्याण के लिए संघ के सशस्त्र बलों द्वारा स्थापित सेना केन्द्रीय कल्याण कोष या भारतीय नौसेना हितकारी कोष या वायुसेना केन्द्रीय कल्याण कोष, या

(iiihd) आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री तूफान राहत कोष, 1996 या

(iiihe) राष्ट्रीय रुग्णता सहायता कोष, या

(iiihf) यथास्थिति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की बाबत मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष ;

परन्तु यह कि ऐसा कोष,–

(क) यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में स्थापित अपनी किस्म का एकमात्र कोष हो,

(ख) यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के मुख्य सचिव या वित्त विभाग के समग्र नियंत्रण में हो,

(ग) ऐसी रीति में प्रशासित हो जैसा कि, यथास्थिति, राज्य सरकार या उपराज्यपाल विनिर्दिष्ट करे, या

(iiihg) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय खेलकूद कोष, या

(iiihh) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संस्कृति कोष, या

(iiihi) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित प्रौद्योगिकी विकास और उपयोजन कोष, या

(iiihj) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास, या

(iv) कोई अन्य निधि या कोई संस्था जिसे यह धारा लागू होती है, या

(v) सरकार को या किसी स्थानीय प्राधिकारी को किसी परिवार नियोजन को प्रोन्नत करने के प्रयोजन से भिन्न किसी पूर्त प्रयोजन के लिए उपयोगार्थ, या

(vi) आवास सुविधा की आवश्यकता के संबंध में कार्रवाई करने और उसे पूरा करने के प्रयोजनार्थ या शहरों, नगरों और गांवों की योजना बनाने, विकास या सुधार करने के प्रयोजनार्थ या दोनों के प्रयोजनार्थ अधिनियमित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन भारत में गठित कोई प्राधिकरण,

(via) धारा 10 के खंड (26खख) में निर्दिष्ट कोई निगमय या

(vii) सरकार को या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी, संस्था या संगम को, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अनुमोदित करे, परिवार नियोजन को प्रोन्नत करने के प्रयोजन के लिए,

डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2010

कर प्रणाली को सरल और सुबोध बनाने के लिये 30 अगस्त 2010 को लोकसभा[70] में डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2010 रखा गया। इस बिल द्वारा व्यक्तिगत और औद्योगिक जगत के लिये कर देने की व्यवस्था सरल की गई है। लेकिन स्वयंसेवी सेक्टर के लिये यह स्थिति उलटी है।[71] इस बिल द्वारा कानूनों में संशोधन करके आय कर, लाभांश वितरण कर, सीमांत लाभ कर और संपत्ति कर को मिलाकर आर्थिक दृष्टि से कुशल व प्रभावी प्रत्यक्ष कर की व्यवस्था की गई है जिसको लोग अपने आप मानेंगें और उससे कर तथा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का अनुपात बढ़ेगा। इस बिल का एक और उद्देश्य विवाद समाप्त करके कानूनी मामलों को कम से कम करना है।

हमारे अध्ययन के दौरान साक्षात्कार और फोकस समूह ने इस विषय पर कई प्रश्न उठाये :

- इस प्रस्तावित बिल में सभी परोपकारी कार्यों को अनुमोदित काल्याणकारी गतिविधियों से बदला गया है। वैसे परिभाषा तो एक ही है लेकिन तौर दृ तरीके में बहुत फर्क है। सरकार अब उद्देश्य पर ध्यान न देकर संगठनों की गतिविधियों पर ध्यान देगी।
- इस बिल में 15 प्रतिशत आय जमा करने वाले वर्तमान प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। यह स्वयंसेवी सेक्टर के आर्थिक अस्तित्व और उपस्थिति पर कुठाराघात है। एक कारपस फंड के अभाव में स्वयंसेवी सेक्टर की संस्थायें मुद्रास्फीति और आर्थिक वातावरण की अन्य अनिश्चिततायें नहीं झेल पायेंगी। इस सेक्टर को शक्तिशाली बनाये रखने और इसे गड़बड़ियों से मुक्त रखने के लिये यह आवश्यक है कि इसको अपनी 25 प्रतिशत आय अनिश्चित काल के लिये बचाकर रखने का अधिकार हो। हाँ यह जरुरी है कि बचायी हुई यह राशि संस्था बनाने और अन्य कार्यक्रमों पर खर्च की जाय न कि कर्मचारियों के व्यक्तिगत फायदे व लाभ पर।
- शेष बची हुई राशि को अगले वित्तीय वर्ष में ले जाने की छूट नहीं होगी। संशोधित बिल के अनुसार कुल प्राप्ति का 90 प्रतिशत या आय का 85 प्रतिशत जिस वर्ष प्राप्त हुआ उसी वर्ष व्यय करना चाहिये। यह कोई कारगर विकल्प नहीं है क्योंकि कई संगठनों को वित्त वर्ष के अंत में ही अनुदान प्राप्त होता है। इस तरह से यदि सारा पैसा उसी वर्ष समाप्त करने के लिये कहा गया तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा और काले धन को सफेद करने की बात उठेगी। कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने यह कहा कि अक्सर अनुदान देने वाले लोग कई वर्षों की अनुदान राशि शुरु में ही एक साथ दे देते हैं। इस राशि को उस एक वर्ष की आय नहीं माना जा सकता।
- यदि किसी स्वयंसेवी संगठन के पास कोई कार्य योजना नहीं है तो उस पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाये जाने के प्रावधान पर पुनः विचार होना चाहिये। क्योंकि स्वयंसेवी सेक्टर को बाहर से अनुदान मिलने पर ही कार्य करना होता है इसलिये काफी संभव है कि किन्हीं वर्षों में कोई गतिविधि न हो।
- पिछले कई वर्षों से तमाम स्वयंसेवी संगठन अपने स्थानीय कार्यक्रमों के लिये वहीं से पैसा जुटाने का कार्य कर रहे हैं। या तो वह सामाजिक संदेशों वाले ग्रीटिंग कार्ड बेचकर या छोटी–मोटी फीस लेकर अपना काम चला रहे हैं। नये डायरेक्ट टैक्स कोड बिल के तहत इन सब गतिविधियों को व्यापारिक गतिविधि माना जायेगा और उन पर कर लगाया जायेगा।

प्रिया के अध्यक्ष डॉ. राजेश टंडन का कहना है कि नये डायरेक्ट टैक्स कोड बिल में दो व्यवस्थात्मक विसंगतियों के कारण समस्या आ रही है :

- *समाज के लिये लाभविहीन परोपकारी कार्य के विषय में एक बृहत और आधुनिक दृष्टिकोण का अभाव।*
- *पंजीकरण और सूचना हेतु एक राष्ट्रव्यापी केन्द्रीय पारदर्शी कम्प्यूटर प्रणाली का अभाव।*

---

70. *लोकसभा लोगों के प्रतिनिधियों से बना भारत में संसद के निचले सदन है।*
71. *वानी, (2013)। एनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर वालेंटरी आर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली : वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वानी)*

डॉ. टंडन ने यह भी कहा कि प्रस्तावित संशोधनों का जिला स्तर पर काम कर रहे छोटे स्वयंसेवी संगठनों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा क्योंकि न तो वह टैक्स कानून की बारीकियों को समझते हैं न ही उनके पास चार्टर एकाउंटेन्ट और कानूनी विशेषज्ञों की सेवायें लेने के संसाधन उपलब्ध हैं। बड़े स्वयंसेवी संगठन तो अपना रास्ता निकाल लेंगे लेकिन आम जनता के करीब रहकर उनके लिये काम करने वाले छोटे संगठनों को हारी हुई लड़ाई लड़नी पड़ेगी।[72]

यह स्पष्ट है कि लाभविहीन स्वयंसेवी सेक्टर के संदर्भ में सरकार को नये डायरेक्ट टैक्स कोड बिल पर दुबारा ध्यान देना चाहिये। सरकारी कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वन और आम जनता के अधिकारों की रक्षा में कार्यरत् स्वयंसेवी सेक्टर को विकास का साथी मानकर सरकार को इसके लिये एक समर्थकारी वातावरण मुहैया कराना चाहिये।

भाग – 2 सरकार : स्वयंसेवी सेक्टर संबंध

'अभी तक सरकार स्वयंसेवी संगठनों को एक डाकिये की तरह देखते आयी है। जब तक हम डाकिये के रुप में कार्य करें और सरकार की नीतियों के बारे में कोई प्रश्न न करें तब तक हम उनकी निगाहों में अच्छे बने रहते हैं। सरकार इसी तरह का स्वयंसेवी सेक्टर चाहती है और वह नहीं चाहती कि स्वयंसेवी संगठन उसकी जवाबदेही तय करे और उससे प्रश्न पूँछे।'

– डॉ. जयंत कुमार, कार्यक्रम अध्यक्ष, सीएएसए

लगातार विकसित हो रहे हैं और इनमें गुणात्मक परिवर्तन भी आ रहे हैं। सरकार एक नियंत्रक, अनुदानदाता और विकास प्रणेता के रुप में स्वयंसेवी कार्यों से अपने को जोड़ती है। सरकार निम्नलिखित तरह से स्वयंसेवी संगठनों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित व विनियमित करती है :

क) समुचित कानून के अंतर्गत पंजीकरण
ख) बाल न्याय कानून जैसे कानूनों की सहायता से संगठन के कार्यों पर न्यूनतम स्तर लागू करना।
ग) समुचित कानून के अंतर्गत लाइसेंस देना।
घ) अनुदान देने वाले विभाग के निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण।
ड) यह सुनिश्चत करना की संगठन का कार्य अनुदान की शर्तों के हिसाब से हो रहा है।
च) संगठनों के लाभ पर आयकर लगाना।
छ) स्वयंसेवी सेक्टर के कर्मचारियों पर श्रम कानूनों को लागू करना।
ज) विदेशी अनुदान के लिये अनुमति देना।
झ) सरकार के योजना विभागों में नीतिगत घोषणाओं में स्वयंसेवी कार्यों को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रुप में स्थापित करना।
ञ) आयोग, समितियों, अध्ययनों और कार्यकारी समूहों की स्थापना करना।
ट) कार्यक्रमों के क्रियान्वन के लिये आर्थिक राशि प्रदान करना।

स्वयंसेवी संगठनों के अधिकांश प्रतिनिधियों का मानना है कि सरकार के साथ उनके संबंध बदलती आवश्यकताओं के अनुरुप ढलते रहते हैं। इस वर्ष (2014) गुप्तचर विभाग (आईबी) ने सरकार को एक गुप्त रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि स्वयंसेवी संगठनों के

---

72. *टंडन, डी. आर. (2009, दिसंबर) एनामोली ऑफ टैक्सेशन पैटर्न फार सीएसओस ओवर द इयर्स : ए रिफ्लेशन । सिविल सोसाइटी वाइसेस। पृष्ठ तीन से पांच।*

कारण विकास की दर दो से तीन प्रतिशत कम हो गई है।[73] स्वयंसेवी सेक्टर के कई कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह रिपोर्ट सरकार के जनविरोधी विकास एजेंडा को बढ़ाने के लिये बनाई गई थी। कारण यह था सरकार बांध की उचाई बढ़ाने और आण्विक उर्जा परियोजना लगाने पर विचार कर रही है जो कि सामाजिक विकास की कीमत पर होंगे। इस रिपोर्ट से कई सवाल उभरे। स्वयंसेवी संगठनों की शीर्ष संस्था होने के कारण वानी इस रिपोर्ट से चिंतित है और निम्नलिखित पक्ष रखना चाहती है :

- कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी गलत संगठन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। अभी तक कुदनकुलम आंदोलन[74] में शामिल स्वयंसेवी संगठनों के खिलाफ जाँच पड़ताल पूरी नहीं हुई है। कुदनकुलम आंदोलन वर्ष 2012 में आण्विक ऊर्जा विरोधी कार्यकर्ताओ और स्थानीय ग्रामीणों ने तमिलनाडू के कुदनकुलम आण्विक उर्जा परियोजना के विरोध में किया था। एफसीआरए ने कहा था कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय 90 दिन में अपनी जाँच पूरी कर लेगा। कई वर्ष बीत गये हैं लेकिन कोई भी अपराधी ठहराया नहीं गया है। इस कारण कोई कोर्ट में भी नहीं जा सकता। स्वयंसेवी सेक्टर पर आरोप लगाना जनता को गुमराह करना है और इस सेक्टर के काम को प्रभावित करना है।
- पिछले दशक में सरकार और स्वयंसेवी संगठनों के संबंध बहुत तेजी से बदल गये हैं। विकास में भागीदार होने के स्थान पर स्वयंसेवी संगठनों को ठेकेदार के रुप में देखा जा रहा है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो योजनाओं के लिये आवेदन दे और बिना कोई प्रश्न किये हुये योजनाओं को पूरा करें। स्वयंसेवी सेक्टर जो अपने नये विचारो और तौर–तरीकों के लिये जाना जाता था आज सरकारी कार्यक्रमों को पूरा करने का जरिया बन गया है। देश में एक पारदर्शी और समर्थकारी अनुदान प्राप्ति वातावरण के अभाव में स्वयंसेवी संगठनों के पास विकास के लिये विदेशी अनुदान प्राप्त करने की चेष्ठा के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है।
- यह आश्चर्य की बात है कि सरकार देश में विदेशी पूँजी का नियोजन तो चाहती है लेकिन गरीबों के लिये विकास कार्यों में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को विदेशी अनुदान मिलने का विरोध करती है। पहली बात कैसे स्वीकृत हो सकती है और दूसरे को समाज विरोधी कैसे करार किया जा सकता है? क्या सरकार को सारे विदेशी पूँजी निवेश और अनुदान बंद कर देने चाहिये और देश के आर्थिक हित साधन के लिये आंतरिक संसाधन विकसित करने चाहिये? सरकार के सामने मुख्य मुद्दा क्या होना चाहिये, स्वयंसेवी संगठनों को मिलने वाले धन का स्त्रोत या उसका समाज कल्याण के लिये उपयोग?

वर्ष 2014 में देश में नई सरकार आई है। यह आवश्यक है कि स्वयंसेवी सेक्टर के विनियमन और उनके विकास को सुनिश्चित किया जाय न कि कठोर कानूनों द्वारा उनके काम करने की स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाया जाय। स्वयंसेवी सेक्टर द्वारा उठाये गये प्रश्नों को लोकतांत्रिक ढ़ांचे के अनुरुप एक सकारात्मक नजरिये से देखना चाहिये। हाँ कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी संगठन पर कड़ी निगाह रखना आवश्यक है।

इस रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सरकार स्वयंसेवी संगठनों को एक खतरा समझती है और स्वयंसेवी सेक्टर के कार्य का दायरा छोटा करना चाहती है। यह वर्ष 2007 के स्वयंसेवी सेक्टर पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा को पीछे ले जाने वाला कदम है।

वर्ष 2007 मई में भारत सरकार ने स्वयंसेवी सेक्टर पर राष्ट्रीय नीति घोषित करते समय सरकार और स्वयंसेवी सेक्टर के बीच रणनीतिक समन्वय की बात की थी और यह कहा था कि सरकार और स्वयंसेवी सेक्टर के बीच आपसी विश्वास और आदर का भाव विकसित होगा। इस नीति में एक मूल्य – आधारित सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिये परिवर्तनकारी और रचनात्मक हस्तक्षेप की बात भी कही गई थी। साथ ही साथ जमीनी जनतांत्रिक व्यवस्थाओं, सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत स्वायत्ता और नीति

---

73. *श्रीधथरन, जी (2014, जून 19) आई बी रिपोर्ट पोर्टेन्स टफ टाईम्स एहेड : एनजीओस। Retrieved June 20, 2014, from Business Standard Website: http://www.business-standard.com/article/economy-policy/ib-report-portends-tough-times-ahead-ngos-114061900074_1.html*

74. *कुदनकुलम में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खिलाफ आंदोलन, तमिलनाडु में परमाणु आपदा के भय से।*

निर्मातों में हासिये पर रहने वाले समुदायों के प्रति संवेदनशीलता जागृत कर उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना था।[75]

स्वयंसेवी संगठनों के स्वायत्तावादी चरित्र को पूरी तरह समझकर सरकार और स्वयंसेवी संगठनों के बीच सम्मानजनक कड़ी बनाकर संस्थागत प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं पर भी बल दिया गया था। वर्ष 2007 की इस नीति द्वारा लगा था कि सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को अपनी स्वायत्ता बरकरार रखते हुये सामाजिक परिवर्तन के कार्य की परियोजना और निरीक्षण में भागीदार बनाना चाहती है न कि सिर्फ उनको सरकारी योजनायें पूरी करने का ठेकेदार। वर्ष 2007 की राष्ट्रीय नीति में स्वयंसेवी सेक्टर को मानव संसाधन विकास, संस्थागत प्रगति और क्षमता निर्माण में अधिक सहायता देने की बात कही गई थी। राष्ट्रीय नीति ने इस बात पर भी जोर दिया था कि 12वें पंचवर्षीय योजना (2012–17) में स्वयंसेवी सेक्टर अपने को बेहतर प्रशासित, ज्यादा जबावदेह, पारदर्शी और आर्थिक रुप से सशक्त बनायेगा जिससे वह एक शक्तिशाली संस्था के रुप में केन्द्र, राज्य, जिला व पंचायत स्तर पर कार्य कर सके।

अधिकांश प्रतिभागियों ने यह कहा कि वर्ष 2007 की राष्ट्रीय नीति ने आशा की किरण दिखाई पर जब इस नीति का क्रियान्वन हुआ तब इसका वह स्वरुप दिखाई नहीं दिया। सरकार ने ऐसे कठोर कानून लागू किये जिन्होने स्वयंसेवी सेक्टर के विकास और गति को अवरुद्ध किया। एफसीआरए 2010 तथा डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2009 दो ऐसे बड़े उदाहरण हैं जिनके द्वारा सरकार स्वयंसेवी सेक्टर पर नियंत्रण रखना चाहती है न कि उसे समर्थकारी वातावरण देना।

पक्षसमर्थन और अधिकार–आधारित कार्य का विरोध

सरकार और संस्थागत स्वयंसेवी संगठनों के संबंधों को उतार–चढ़ाव वाला संबंध कहा जा सकता है। जब दोनों के हित आपस में मिलते हैं तब संबंध बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब उनके हित आपस में टकराते हैं तब आपसी अंतर सामने आ जाते है। उदाहरण के लिये यदि कोई स्वयंसेवी संगठन सरकार के साथ मिलकर किसी गांव में पीने के पानी की परियोजना पर कार्य कर रहा है तो उनमें आपस में कोई संघर्ष नहीं होगा। लेकिन यदि कभी कोई संगठन सरकार की नीतियों और कार्यों या भ्रष्टाचार के विरुद्ध सवाल खड़ा करे तो दोनों के संबंधों में टकराव की स्थिति खड़ी हो जाती है जैसा कि इंसाफ के मामले में हुआ। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि सरकारी तंत्र पहले के मुकाबले अब बहुत परिपक्व हो गया है लेकिन अभी भी इसे स्वयंसेवी सेक्टर की लोकतांत्रिक शैली और प्रश्न करो की संस्कृति के साथ रहना नहीं आया है। सरकार के उपर बढ़ती निर्भरता के बावजूद भी कई ऐसे संगठन हैं जो पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता का स्तर बहुत उँचा रखते हुये पूर्ण स्वतंत्रता से काम करते हैं।

सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत राय से संचालित संबंध

सभी क्षेत्रों से आने वाले प्रतिभागियों ने यह कहा कि स्वयंसेवी सेक्टर और सरकार के बीच के संबंध अलग–अलग क्षेत्रों में अलग–अलग तरह के होते हैं तथा अक्सर एक ही क्षेत्र में भी इनमें अंतर पाया जाता है। कंही–कहीं पर सरकारी अधिकारी और मंत्री स्वयंसेवी सेक्टर द्वारा उठाये गये मुद्दों के प्रति काफी सहयोग व समर्थन देते हैं जबकि कंही–कहीं पर यही लोग ऐसी स्थिति में असहयोग, अनदेखी और कभी–कभी नाराजगी का व्यवहार करते देखे जाते हैं। इसलिये कहा जा सकता है कि सरकार और स्वयंसेवी सेक्टर के बीच के संबंध व्यक्तिगत कारणों से प्रभावित होते हैं न कि किसी व्यवस्थात्मक मतभेद के कारण।

---

75. *योजना आयोग। (2007)। स्वयंसेवी सेक्टर पर संचालन समिति की रिपोर्ट। नई दिल्ली : भारत सरकार।*

भाग – 3 स्वयंसेवी संगठन : पारस्परिक सहयोग और गठबंधन

स्वयंसेवी सेक्टर के प्रशासन, जवाबदेही और पारदर्शिता के बारे में काफी जन विमर्श हुआ है। यह कहा जाता है कि आवश्यकता इस बात की है कि स्वयंसेवी सेक्टर इन बातों को आत्मनियंत्रण द्वारा सुनिश्चित करें। स्वयंसेवी सेक्टर में आत्मनियंत्रण के लिये कई प्रयास किये गयें हैं और भारतीय स्वयंसेवी संगठनों की शीर्ष संस्था होने के कारण वानी ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर स्वयंसेवी सेक्टर का प्रतिनिधित्व करते हुये वानी भारतीय स्वयंसेवी सेक्टर और सरकार आदि के बीच में एक उद्दीपक का कार्य करती है। वानी के पास 25 राज्यों में फैले 5000 गैर–सरकारी संगठनों का नेटवर्क है। वानी इस सेक्टर का इंटरनेशनल फोरम ऑफ नेशनल वियो प्लेटफार्म (आईएफपी) और एफिनेटी ग्रुप ऑफ नेशनल एसोसिएशन (एगना) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी प्रतिनिधित्व करती है।

वानी ने अपने सदस्य संगठनों के लिये सुशासन के नियम और स्तर निर्धारित किये हैं। इसी कारण वानी के किसी भी सदस्य को सरकार ने आज तक ब्लैकलिस्ट नहीं किया है। वर्ष 1979 में वानी ने एक दस्तावेज 'गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ वालेंटरी डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन्स' निकाला था। दिशा–निर्देशों की यह सूची सरकार और स्वयंसेवी संगठन दोनों के द्वारा स्वयंसेवी सेक्टर के लिये बनाई जाने वाली आचार संहिता थी। वर्ष 2010 में क्रिडिबिलिटी एलांयस (सीए) नामक एक स्वतंत्र प्रक्रिया प्रारम्भ की गई जिसके द्वारा कि स्वयंसेवी सेक्टर के लिये एक नियमावली विकसित करने की बात की गई थी। इसका उद्देश्य कुशल प्रशासन और पारदर्शिता द्वारा स्वयंसेवी संगठनों की विश्वसनीयता बनाने की है। सीए ने एक मान्यता प्रणाली और चौकसी करने वाले समूह की भी व्यवस्था की है।

गाईड स्टार इंडिया पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक और पहल है। इसके द्वारा किसी स्वयंसेवी संगठन द्वारा किया गया कार्य जनता के समक्ष रखा जाता है और इसके कार्य के बारे में अनुदानदाताओं, नीति–निर्माताओं, सरकार, शिक्षा जगत और मीडिया को पूरी सूचना उपलब्ध कराई जाती है।

वर्ष 1990 के दशक से भारत ने तमाम स्वयंसेवी संगठनों को वैचारिक समानता और कार्य करने की पृष्ठभूमि के आधार पर आपस में जुड़ते हुये देखा है। एचआईवीध्एड्स, पानी और स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर स्वयंसेवी संस्थायें आपस में जुड़ने के लिये आगे आईं हैं। मध्य प्रदेश में मध्य वन[76] और गुजरात में सज्जता संघ[77] जैसे कुछ राज्य स्तर के नेटवर्क भी उभरे हैं। यह अपने राज्यों में स्वयंसेवी संस्थाओं के लिये एक मंच है जहाँ पर यह लोग अपने अनुभव बांट सकते हैं और संघर्ष के लिये एक साथ आ सकते हैं। ऐसे संगठन हैं तो जरूर पर अभी ये कमजोर हैं और अकसर अहम के टकराव और नेतृत्व के प्रश्न पर यह संगठन आसानी से टूट जाते हैं।

स्वयंसेवी संगठनों के आपसी सहयोग और गठबंधन पर भारत में कोई रोक–टोक नहीं है। लेकिन यदि कोई संस्था पंजीकृत संस्था के रुप में मान्यता प्राप्त करना चाहे तो उसे स्वयंसेवी संगठनो की पंजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह अच्छी बात है कि आत्मनियंत्रण के प्रयास स्वयंसेवी सेक्टर द्वारा स्वयं किसे जा रहे हैं। पर इन प्रयत्नों के बावजूद ऐसे नेटवर्क कमजोर हैं। देश की विशालता, भौगोलिक दूरी और धन के अभाव में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठक और आमने–सामने के विचार–विमर्श कम ही हो पाते हैं जो कि कमजोर गठबंधन का एक कारण है।

---

76. *समर्थन। (एन.डी.)। एबाउट मध्य वन। Retrieved June 2, 2014, from Samarthan Website: http://www.samarthan.org/madhya-van/*

77. *सज्जता संघ (एन.डी.)। एबाउट सज्जता संघ। Retrieved June 2, 2014, from Sajjata Sangh Website: http://www.sajjatasangh.org/*

अध्याय 5

निष्कर्ष और सुझाव

फाउंडेशन, धार्मिक संगठनों, सामाजिक आंदोलनों और विकास संस्थाओं को अपने दायरे में समेटे हुये भारत में स्वयंसेवी सेक्टर बहुत विशाल और फैला हुआ है। स्वयंसेवी संगठनों के लिये यह विविधता उनकी पहचान और कार्यक्षेत्र के लिये एक चुनौती है क्योंकि उनको भी गरीब और हासिये पर जीवन जी रहे लोगों के विकास के लिये कार्यरत अन्य संगठनों की तरह देखा जाता है। देश के गरीब जनमानस के जीवन स्तर में सुधार के लिये स्वयंसेवी सेक्टर के योगदान के महत्व के समझने की आवश्यकता है। स्वयंसेवी सेक्टर द्वारा अपनाये गये विकास कार्यों के नये तौर–तरीकों ने इस दिशा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को आगे बढ़ाया है। लेकिन इसके बावजूद यह सेक्टर भारत में आज संकट की स्थिति से गुजर रहा है।

जैसा हमने इस रिपोर्ट के पिछले अध्यायों में कहा है। हमारे इस अध्ययन के द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि स्वयंसेवी सेक्टर के समक्ष चार बड़ी चुनौतियाँ है :

1. स्वयंसेवी संगठनों के पंजीकरण के लिये एक राष्ट्रीय कानून होने के बावजूद कोई एक व्यवस्था नहीं है और राज्यों में इस कानून में संशोधन व परिवर्तन होते रहते हैं।
2. स्वयंसेवी सेक्टर के लिये अनुदान प्राप्ति का वातावरण बदल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के कारण विदेशों से मिलने वाला अनुदान कम हो रहा है तथा नये एफसीआरए कानून के प्रावधान भी बहुत कठोर हैं। सरकार से मिलनेवाले अनुदान के तरीके जटिल, कम पारदर्शी और बोझिल है। अनुदान मिलने की एक संभावना निजी सेक्टर से है जो स्वयंसेवी सेक्टर के लिये नये रास्ते खोल सकता है। लेकिन जैसा अधिकांश प्रतिभागियों ने कहा कि इस मार्ग में बड़ी चुनौतियाँ है और अधिकतर बड़ी कंपनियां सामाजिक कार्यों में निहित अपनी राशि अपने फाउंडेशन के जरिये ही व्यय करती हैं।
3. कठोर टैक्स कानून स्वयंसेवी सेक्टर की आर्थिक अस्तित्व के लिये एक चुनौती हैं। यदि डायरेक्ट टैक्स बिल कानून बन गया तो इसकी कई धारायें स्वयंसेवी सेक्टर की स्वतंत्र कार्यशैली के लिये बाधा खड़ी करेंगीं। यह बिल अपने आप में नियंत्रक न होकर अधिपात्य जमाने वाला है और इसलिये स्वयंसेवी सेक्टर के लिये खतरा है।
4. वर्ष 2007 में भारत सरकार ने स्वयंसेवी सेक्टर के लिये राष्ट्रीय नीति की घोषणा करके इस सेक्टर को आगे बढ़ाने की बात तो जरूर की थी पर समग्र रुप से देखा जाय तो देश में स्वयंसेवी सेक्टर के लिये वातावरण समर्थकारी नहीं है। जब स्वयंसेवी सेक्टर जनाधिकारों से संबंधित कार्यों और पक्ष समर्थन के क्षेत्र में काम करते हैं जिसमें सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को कसौटी पर कसा जाता है तो यह चुनौती और भी बढ़ जाती है।

वैसे तो हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोगों को इकट्ठा करना और जन सभाये करने की आजादी है पर अक्सर स्थानीय प्रशासन इनको रोकता है और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

इन वास्तविकताओं के संदर्भ में सरकार और स्वयंसेवी सेक्टर दोनों के लिये आवश्यक है कि वह स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका और योगदान को समझे और एक विश्वसनीय, जबावदेह और पारदर्शी स्वयंसेवी सेक्टर बनाने की दिशा में कार्य करें। लगता है कि स्वयंसेवी सेक्टर और सरकार के बीच में एक प्रभावी विमर्श का अभाव है। इसलिये सरकार और स्वयंसेवी सेक्टर दोनों के लिये आवश्यक है कि ऐसे कानून बनाये जाय जो स्वयंसेवी सेक्टर को नियंत्रित करने के स्थान पर दिशा–निर्देश दें :

1. स्वयंसेवी संगठनों के पंजीकरण का कानूनी ढांचा उपनिवेशवादी युग की कानून व्यवस्था पर आधारित है और उसमें लोकतांत्रिक भारत की संवैधानिक प्रकृति का भाव नहीं है। स्वयंसेवी सेक्टर के लिये राष्ट्रीय नीति के सिंद्धातों पर आधारित एक नये कानून बनाने की महती आवश्यकता है।

2. पंजीकरण कानूनों में सुधार होना चाहिये और इसके लिये एकल खिड़की व्यवस्था लागू की जाय। आनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे तरीके अपनाये जा सकते हैं। लेकिन यह अकेला तरीका नहीं होना चाहिये क्योंकि जमीनी स्तर पर अच्छा काम करने वाले कई स्वयंसेवी संगठनों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है।

3. देश में स्वयंसेवी संगठनों की विविधता को समझना चाहिये और और संगठनों को अलग–अलग वर्गीकृत करना चाहिये। धार्मिक संस्थायें, सामाजिक आंदोलन, फाउंडेशन और न्यास जैसे अलग–अलग संगठनों को एक ही स्तर पर स्वयंसेवी सेक्टर के दायरे में रखना ठीक नहीं है क्योंकि इससे संवयंसेवी सेक्टर के लिये अपनी पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। फिर प्रश्न यह भी है कि क्या यह विभिन्न धार्मिक संगठन विकास और विकास संगठन एक ही मूल्यों के साथ काम करते हैं। पहचान का यह संकट भीतर और बाहर दोनों ही जगह पाया जाता है।

4. स्वयंसेवी संगठनों के लिये एक विनियमन आयोग या अलग मंत्रालय बनने की आवश्यकता है।

5. स्वयंसेवी सेक्टर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर जो कर लगाया जाता है उसकी राशि को परोपकार और विकासपरख कार्यों के लिये ही लगाना चाहिये। फाइनेंस एक्ट 2012 के अनुसार व्यापारिक या व्यावसायिक गतिविधियों पर आयकर छूट की सीमा 25 लाख रुपये है। इस विषय में हमें अन्य देशों की उदार कर प्रणाली से कुछ सीखना चाहिये। उदाहरण के लिये इंग्लैड में यदि कोई परोपकारी संस्था व्यापार में कमाया हुआ पैसा परोपकार में ही खर्च करती है तो उसे किसी भी राशि पर कर छूट मिलती है।

6. एफसीआरए 2010 और डीटीसी 2009 स्वयंसेवी सेक्टर की गर्दन पर लटकती दो तलवारे हैं। इनके प्रावधान विनियामक न होकर निंयत्रक हैं। इन प्रावधानों की पुन समीक्षा होनी चाहिये और सरकार को स्वयंसेवी सेक्टर की शिकायतों और समस्यों को समझने के लिये विमर्श करना चाहिये। स्वयंसेवी सेक्टर के अस्तित्व के लिये इन कानूनों में बदलाव की बहुत आवश्यकता है। उदाहरण के लिये एफसीआरए में दी गई राजनैतिक गतिविधियों की परिभाषा और नवीनीकरण जैसे प्रावधान स्वयंसेवी संगठनों के लिये विदेशी अनुदान प्राप्त करने के मार्ग में रोड़े अटकातें हैं।

7. आवश्यकता इस बात की भी है कि स्वयंसेवी सेक्टर को ऐसा स्वतंत्र सेक्टर माना जाय जो पक्षसमर्थन जैसे कार्यों को बिना किसी कड़ी जाँच–पड़ताल के कर सके। स्वयंसेवी सेक्टर द्वारा किये जानेवाले सतर्कता कार्यक्रमों को सरकार को सकारात्मक ढ़ंग से देखना चाहिये क्योंकि वह प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार में सहायक सिद्ध होते हैं।

8. स्वयंसेवी सेक्टर के लिये भी आवश्यक है कि वह अपने कार्य करने के अनूठे और नये तरीके के बारे में बताये तथा अपने योगदान को स्थानीय और भू–मंडलीय स्तर पर प्रदर्शित करे। तमाम स्वयंसेवी संगठन स्थानीय और भू–मंडलीय नजरिया नहीं रखते। कुछ संगठन केवल स्थानीय नजरिये तक ही सीमित होते हैं। कुछ बड़े संगठन केवल भू–मंडलीय सम्पर्कों से लाभ उठाते हैं। इन दोनों नजरियो के बीच में गरीब और हासिये रह रहे लोगों के काम करने दृष्टिकोण में कोई सीधी कड़ी नहीं है।

9. एक ओर जहाँ सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह स्वयंसेवी सेक्टर के लिये सरकारी या निजी अनुदान के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की समुचित व्यवस्था बनाये वहीं दूसरी ओर स्वयंसेवी सेक्टर के लिये भी आवश्यक है कि वह अपनी गतिविधियों पर खुद ही नियंत्रण रखकर पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्च आदर्श सुनिश्चित करे जिससे उसे तमाम भागीदारों के बीच अपनी खोई हुई विश्वसनीयता प्राप्त करने में सहायता मिले।

ग्रंथ सूची (बिब्लियोग्राफी)

1. एडुकिया, एस. आर. (एन.डी.). *हैंडबुक ओन लॉज गवर्निंग फार्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चौरिटेबल आर्गेनाइजेसन्स इन इंडिया.* Retrieved July 2014, 16, from http://www.caaa.in/Image/hb-charitable_org.pdf
2. अमिन, आर. (2012). *स्टेटस ऑफ वालेंटरी आर्गेनाइजेसन्स इन नार्थ ईस्ट – सिटीजनस रिपोर्ट.* नई दिल्ली : वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया.
3. एमनेस्टी इंटरनेशनल. (2011, अगस्त 18). *इंडिया : अथॉरिटीज मस्ट रेस्पेक्ट द राइट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ पीसफुल* असेंबली. Retrieved June 24, 2014, from Amnesty International Website: http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA20/042/2011/en/6e0f443f-cd46-4a99-afc9-2732696d1fc9/asa200422011en.html
4. आंध्र प्रदेश स्टेट पोर्टल. (2001, अक्टूबर 10). द आंध्र प्रदेश गजट. Retrieved June 13, 2014, from Andhra Pradesh Government Website: http://www.ap.gov.in/Acts%20Policies/Societies%20Registration%20Act%202001.pdf
5. बक्शी, पी. (1995). *द कंस्टीटूशन ऑफ इंडिया.* दिल्ली : यूनिवर्सल बुक ट्रेडर्स. चाईटीएस ऐड फाउंडेशन. (एन.डी.). रेगिस्टरिंग एंड मैनेजिंग वालेंटरी आर्गेनाइजेसन्स. Retrieved May 8, 2014, from Charities Aid Foundation Website: http://www.cafindia.org/pages/Registering%20as%20a%20Charitable%20Organisation%20in%20India.pdf
6. चेरियन, एम, दत्ता, ए, और मोदी, पी (2012)। *रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कंसल्टेन्ट हेल्ड आन 26 अप्रैल 2012 आन वालेंटरी सेक्टर इन इंडिया :* चौलेंजेस, अपरच्यूनिटीस एंड वाइसेस फ्राम द फील्ड. गुजरात : इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैंनेजमेंट आनंद.
7. एफसीआरए विंग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. (2012, नवंबर 13). *रिसीप्ट एंड यूटेलाइजेशन ऑफ फॉरेन कॉंट्रिब्यूशन्स वालेंटरी एसोसिएशन्स.* Retrieved June 17, 2014, from Ministry of Home Affairs Website: http://mha1.nic.in/fcra/annual/ar2010-11.pdf
8. फिक्की. (2009, दिसंबर 4). *कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी* – वालेंटरी गाइडलाइन्स फॉर बिजनेस. Retrieved June 21, 2014, from Ministry of Corporate Affairs Website: http://www.mca.gov.in/Ministry/latestnews/Corporate_Social_Responsibility_4Dec2009.pdf
9. फोगला, एम. (2011). *एफसीआरए एनालिसिस ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट 2010 एंड रूल्स 2011.* स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स, पृष्ठ संख्या 7 से 8।
10. भारत सरकार। (एन.डी.)। *द ऑफिसियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923*। Retrieved June 23, 2014, from Government of India Website: http://www.archive.india.gov.in/allimpfrms/allacts/3314.pdf
11. इंसाफ. (2013, मार्च 24). इंसाफ बेवसाइट. Retrieved June 13, 2014, from http://insafvsfcra.blogspot.in/
12. आईएसबी. (2012, फरवरी). *केटालायटिक फिलियन्थ्रोपी इन इंडिया.* Retrieved June 15, 2014, from http://evpa.eu.com/wpcontent/uploads/2011/05/Catalytic_Philanthropy_India2.pdf
13. जोसेफ, जे. (2013, नवम्बर 21). *द टाईम्स ऑफ इंडिया.* Retrieved June 30, 2014, from http://timesofindia.indiatimes.com/india/CAG-questions-Rs-3000-crore-of-investments-by-two-Tata-trusts/articleshow/26116934.cms
14. लक्ष्मी, आर. (2013, मई 19). *एक्टिविस्टस ब्रिस्टल एज इंडिया क्रेक्स डाउन आन फॉरेन फंडिग ऑफ एनजीओस.* Retrieved May 29, 2014, from The Wahington Post Website: http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/activities-bristle-asindia-cracks-down-on-foreign-funding%20-of-ngos/2013/05/19/a647ff80-bcaf-11e2-b537-ab47f0325f7c_story.html
15. महापात्रा, डी. (2014, फरवरी 23). *इंडिया विटनेशिंग एनजीओस बूम, देयर इज 1 फॉर एवरी 600 पीपल.* Retrieved June 9, 2014, from Times of India Website: http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-witnessing-NGO-boom-thereis-1-for-every-600-people/articleshow/30871406.cms

16. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, *गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. (एन.डी.). एबाउट एक्ट्स एंड रूल्स.* Retrieved June 18, 2014, from Ministry of Corporate Affairs website: http://www.mca.gov.in/MinistryV2/companiesact.html

17. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. (एन.डी.). *फ्रेक्वेंटली अस्कड कोस्चन्स रेलटिंग टू कांफ्रेंस वीसा.* Retrieved June 20, 2014, from Ministry of Home Affairs Website: http://www.mha.nic.in/hindi/sites/upload_files/mhahindi/files/pdf/FAQson-ConferenceVisa.pdf

18. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. (2011, अप्रैल 29). *नोटिफिकेशन ऑफ एफसीआरए रूल्स.* Retrieved May 29, 2014, from Ministry of Home Affairs Website: http://www.mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/FC-rules2011.pdf

19. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, *गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.* (2011, जुलाई). राइट टू इनफार्मेशन एक्ट, 2005. Retrieved June 23, 2014, from Department of Justice, Ministry of Law and Justice Website: http://doj.gov.in/?q=node/141

20. मोहंती, एम., एंड सिंह, के. ए. (2001). *वालेंटेरिस्म एंड गवर्नमेंट – पालिसी, प्रोग्राम एंड एसिस्टेंस.* नई दिल्ली : वानी.

21. पात्रा, एस. (2009, दिसंबर). *चाईटीएस टू बी इन टैक्स नेट? इम्प्लिकेशन्स ऑफ द डायरेक्ट टैक्स कोड बिल. सिविल सोसाइटी वॉइसेस,* पेज संख्या 6 से 8

22. प्लानिंग कमीशन. (2007). *रिपोर्ट ऑफ द स्टीयरिंग समिति ओन वोलंटरी सेक्टर.* नई दिल्ली : गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.

23. प्लानिंग डिपार्टमेंट, *गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. (एन.डी.). वालेंटरी सेक्टर पालिसी.* Retrieved May 9, 2014, from Planning Department, Government of Rajasthan Website: http://www.planning.rajasthan.gov.in/voluntary/Voluntary_Sector_Policy_English.pdf

24. प्रिया. (2000). *डेफिनिंग द सेक्टर इन इंडिया* – वालेंटरी, सिविल आर नॉन–प्रॉफिट. नई दिल्ली : प्रिया.

25. प्राइसवाटरहाउसकोपर्स. (2013, नवम्बर). *हैंडबुक ओन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इन इंडिया.* Retrieved June 20, 2014, from Pricewaterhouse Coopers Website: http://www.pwc.in/assets/pdfs/publications/2013/handbook-oncorporate-social-responsibility-in-india.pdf

26. रंजन, ए. (2014, जून 7). *फॉरेन–एडेड एनजीओस आर एक्टिव्ली स्टालिंग डेवलपमेंट, आईबी टेल्स पीएमओ इन ए रिपोर्ट.* Retrieved June 13, 2014, from The Financial Express Website: http://www.financialexpress.com/news/foreignaided-ngos-areactively-stalling-development-ib-tells-pmo-in-a-report/1258034

27. रोचे, ई. (2012, जुलाई 1). *इंडिया गोजेस प्राम एड बेनेफिशयरी टू डोनर.* Retrieved June 18, 2014, from Live Mint Website: http://www.livemint.com/Politics/BToxm8wd11xe45wSBbkqGO/India-goes-from-aid-beneficiary-todonor.html

28. सज्जता संघ. (एन.डी.). *एबाउट सज्जता संघ.* Retrieved June 2, 2014, from Sajjata Sangh Website: http://www.sajjatasangh.org/

29. समर्थन. (एन.डी.), *एबाउट मध्य वन.* Retrieved June 2, 2014, from Samarthan Website: http://www.samarthan.org/madhya-van/

30. सेबेशटियन, बी. (2010, दिसम्बर).*एक्जिस्टिंग मेजर चौरिटी लॉ इन इंडिया दृ डू वी नीड ए न्यू लीगल फ्रेमवर्क ?* सिविल सोसाइटी वाइसेस पेज संख्या 17 से 20

31. सेबेशटियन, बी. (2010, दिसम्बर). *एक्जिस्टिंग मेजर चौरिटी लॉ इन इंडिया दृ डू वी नीड ए न्यू लीगल फ्रेमवर्क ?* सिविल सोसाइटी वाइसेस पेज संख्या 17 से 19

32. शिवकुमार, के. (2011, सितंबर). *द टेल ऑफ टू एक्टस. सिविल सोसाइटी वाइसेस वालेंटरी सेक्टर एंड इट्स मेरियाड डाइमेंशन्स.* पेज संख्या 19 से 20

33. सिन्हा, सी. (2007). *पब्लिक सेक्टर रिफार्मस इन इंडिया : न्यू रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आफिसर.* नई दिल्ली : सेज पब्लिकेशन्स इंडिया प्रइवेट लिमिटेड।

34. श्रीधथन, जी. (2014, जून 19). *आईबी रिपोर्ट प्रोटेन्ड्स टफ टाईम्स एहीड : एनजीओस..* Retrieved June 20, 2014, from Business Standard Website: http://www.business-standard.com/article/economy-policy/ib-report-portends-toughtimes-ahead-ngos-114061900074_1.html

35. स्टोयनोवा, व्ही. (2012 अप्रैल). *प्राइवेट फंडिंग : एन एमर्जिंग ट्रेन्ड् इन ह्यूमेंनिटेरियन डोनर.* Retrieved July 1, 2014, from Global Humanitarian Assistance Website: http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2012/04/Private-funding-an-emerging-trend.pdf

36. टंडन, डी. आर. (2009, दिसंबर). *एनॉमली ऑफ टैक्सेशन पैटर फॉर सीएसओस ओवर द इयर्स : ए रिफ्लेक्शन. सिविल सोसाइटी वॉइसेस,* पृष्ठ संख्या 3 से 5.

37. टंडन, आर. (2002). *वालेंटरी एक्शन, सिविल सोसाइटी एंड ट स्टेट. नई दिल्ली* : मोजेक बुक्स.

38. द टाईम्स ऑफ इंडिया. (2012, दिसंबर 29). *पीआईएल अगेन्स्ट सेक्शन 144 एट इंडिया गेट.* Retrieved June 27, 2014, fromThe Times of India Website: http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/PIL-against-Section-144-at-India-Gate/articleshow/17801610.cms

39. वानी। (एन.डी.)। *एनालिसिस एंड रेकमेंडेशन्स मल्टीस्टेट सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन बिल 2012.* Retrieved May 16, 2014, from Voluntary Action Network India website: http://vaniindia.org/pdf/Analysis_Recommendations.pdf

40. वानी। (2013)। *एनब्लिंग एनवायरनमेंट फॉर वालेंटरी आर्गेनाइजेसन्स – ए ग्लोबल कैंपेन. नई दिल्ली* : वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वानी).

41. वानी। (2010)। *रजिस्ट्रेशन ऑफ वालेंटरी आर्गेनाइजेसन्स इन इंडिया.* सिविल सोसाइटी वाइसेस.

42. वानी। (एन.डी.)। *स्टेट वाइस एफसीआरए केन्सल्ड एनजीओस.* Retrieved May 5, 2014, from Voluntary Action Network India Website: http://vaniindia.org/FCRA.pdf

43. वानी. (2013). *स्टेटस ऑफ द वालेंटरी सेक्टर इन इंडिया : ए स्टडी रिपोर्ट.* नई दिल्ली : वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया.

44. वानी. *स्टडी ग्रासरुट आन द चौलेंजेस ऑफ वालेंटरी आर्गेनाइजेसन्स.*

45. वानी. *वाइस ऑफ द वालेंटरी सेक्टर इन झारखंड.* नई दिल्ली।

46. वानी. *वाइस ऑफ द वालेंटरी सेक्टर इन ओडिशा.* नई दिल्ली।

47. वानी. *वाइस ऑफ द वालेंटरी सेक्टर इन उत्तराखंड.* नई दिल्ली : वानी।

48. वानी. *वाइस फ्राम* झारखंड।

49. वादा न तोड़ो अभियान. (एन.डी.). *एप्रोचिंग इक्विटी : सिविल सोसाइटी इनपुट्स फॉर द एप्रोच पेपर बारहवीं पंचवर्षीय योजना*। Retrieved May 15, 2014, from United Nations Development Programme Website: http://www.in.undp.org/content/dam/india/docs/approaching_equity_civil_society_inputs_for_the_approach_paper_12th_five-year_plan.pdf

50. वानखड़े, डी. के. (2011, मार्च). *रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द वालेंटरी सेक्टर इन इंडिया : काम्पलेक्स, रिस्ट्रिक्टिव एंड चौंजिंग इन द न्यू एरा?* सिविल सोसाइटी वाइसेस, पृष्ठ संख्या 10 से 13।

अनुबंध 1

स्तरीय बैठक के सहभागियों की सूची
(उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी)

संख्या क्रमांक	नाम	संगठन
	उत्तरी क्षेत्र में बैठक – 23 अप्रैल 2014	
1	श्री एनी नमला	सेंटर फॉर सोशल इक्विटी एंड इंक्लूशन
2	श्री अर्जुन फिलिप्स	वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
3	सुश्री दिविता सांडिल्य	वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
4	श्री हर्ष जेटली	वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
5	डॉ. ज्योत्सना एम. सिंह	वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
6	सुश्री मीनू चावला	आईसीसीओ को–आपरेशन
7	सुश्री पवनीत कौर	वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
8	श्री प्रवीण कुमार	व्हीएसओ इंडिया
9	सुश्री रतन मंजरी	वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
10	सुश्री सेमेदा स्टीव्स	क्रिशचियन एड
11	श्री शम शेर	वालेंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब
12	सुश्री तरुशिखा यादव	वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
13	श्री उत्पल	क्रेडिबिलिटी एलायंस
14	श्री वीनू एस.	कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीसिएटिव (सीएचआरआई)
	पश्चिमी क्षेत्र में बैठक – 9 अप्रैल 2014	
1	श्री अजय एस. मेहता	सेवा मंदिर
2	डॉ. अमित कुमार	कुमारप्पा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राम स्वराज (केआईजीएस)
3	श्री अलोक व्यास	सेंटर फॉर कम्यूनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलमेंट कंसल्टेंटस सोसाइटी (सीईसीओईडीईसीओएन)
4	श्री अर्जुन कांती झा	सीयूटीएस
5	श्री दत्ता पाटिल	यूथ फॉर यूनिटी एंड वालेंटरी एक्शन (युवा)
6	श्री गोपी लाल राव	चर्चस एक्सीलयरी फॉर सोशल एक्शन (सीएएसए)
7	श्री हर्ष जेटली	वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वानी)
8	श्री मानू शर्मा	एसव्हीएस
9	श्री रोशन लाल	ग्राम विकास विज्ञान समिति (जीआरएव्हीआईएस)
10	डॉ. उपेन्द्र कुमार सिंह	सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्यूनिकेशन एंड स्टडीज (सीडीईसीएस)

संख्या क्रमांक	नाम	संगठन
	दक्षिणी क्षेत्र में बैठक – 29 अप्रैल 2014	
1	श्री अमर	कॉन्फेडेरेशन ऑफ वालेंटरी एसोशिसन (सीओव्हीए)
2	श्री सी. एस. रेड्डी	एपीएमएएस
3	श्री डी. लेसली मार्टिन	साक्षी ह्यूमन राइट्स वॉच
4	श्री डी. रोशन कुमार	सीड्स इंडिया
5	श्री डी. आर. एम. इफ्तेखारूद्दीन	मेस्को हैदराबाद
6	डॉ. फखरुदीन मोहम्मद	मेस्को हैदराबाद
7	डॉ. मजहर हुसैन	कॉन्फेडरेशन ऑफ वालेंटरी एसोशिसन (सीओव्हीए)
8	श्री मोहम्मद बशीर	-
9	श्री मोहम्मद तुरब	कॉन्फेडेरेशन ऑफ वालेंटरी एसोसिएसन (सीओव्हीए)
10	श्री मोनचो फेरर	रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट (आरडीटी)
11	श्री नसीर सिद्दीकी	बंधन स्टेट नेटवर्क
12	श्री पी. रघु	एक्शन एड
13	सुश्री रतन मंजरी	वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
14	श्री सयैद अब्दुल कंजुम	कॉन्फेडेरेशन ऑफ वालेंटरी एसोसिएशन (सीओव्हीए)
	पूर्वी क्षेत्र में बैठक –16 अप्रैल 2014	
1	श्री असीम कुमार महापात्रा	रिजनल सेंटर फॉर डेवलमेंट को–आपरेशन
2	श्री जगदान्नद	सेंटर फॉर यूथ एंड सोशल डेवलपमेंट (सीवायएसडी)
3	श्री जगदीश प्रधान	एसव्हीए
4	डॉ. ज्योत्सना एम सिंह	वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
5	श्री लखीराम हंसदा	अंत्योदय चेतना
6	श्री निखिल नस्कर	चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट (सीआईएनआई)
7	श्री प्रफुल्ल साहू	सेंटर फॉर यूथ एंड सोशल डेवलपमेंट (सीवायएसडी)
8	श्री रंजन रावत	एनआईडीआई

अनुबंध 2

स्वयंसेवी संगठनों के परामर्शदाताओं की सूची

संख्या क्रमांक	नाम	प्रोफाइल
1	श्री अमिताभ बेहर	एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर, नेशनल फॉउंडेशन फॉर इंडिया
2	डॉ. अशोक खोसला	प्रेसीडेंट, डेवलपमेंट अल्टरनेटिवस
3	श्री राकेश जिंसी	सेक्रेटरी जनरल, एसओएस चिल्ड्रेनस विलेजेस ऑफ इंडिया
4	श्री मैथ्यू चेरिन	चीफ एक्सिक्यूटिव, हेल्पएज इंडिया
5	श्री अशोक सिंह	डायरेक्टर, सहभागी शिक्षा केन्द्र
6	डॉ. सुशांत अग्रवाल	डायरेक्टर, चर्चस एक्सीलयरी फॉर सोशल एक्शन (सीएएसए)
7	सुश्री पूनम मुतरेजा	एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर, पॉपूलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया
8	सुश्री निशा अग्रवाल	सीईओ, आक्सफैम इंडिया
9	श्री संजय पात्रा	एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर, फाइनेंशियल मेनेजमेंट सर्विस फाउंडेशन
10	श्री सुभाष मित्तल	सेक्रेटरी, सोशिओ–रिसर्च एंड रिफार्म फाउंडेशन
11	डॉ. जयन्त कुमार	हेड ऑफ प्रोग्राम्स, चर्चस एक्सीलयरी फॉर सोशल एक्शन
12	सुश्री मीनाक्षी बत्रा	चीफ एक्सिक्यूटिव, सीएएफ इंडिया
13	श्री महेन्द्र सिंह कुँवर	सेक्रेटरी, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर
14	सुश्री कविता रामदास	नेशनल रिप्रेजेन्टेटिव, फोर्ड फाउंडेशन
15	सुश्री एनी नमला	डायरेक्टर, सेंटर फॉर सोशल इक्विटी एंड इंक्लूशन (सीएसईआई)
16	श्री संदीप चचरा	कन्ट्री हेड, एक्शन एड
17	डॉ. मजहर हुसैन	एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर, सीओव्हीए
18	श्री निखिल नस्कर	सीआईएनआई
19	श्री दत्ता पाटिल	एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर, यूथ फॉर यूनिटी एंड वालेंटरी एक्शन
20	श्री मोन्चो फेरर	प्रोग्राम डायरेक्टर, रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट (आरडीटी)

अनुबंध 3

राष्ट्रीय परामर्श में प्रतिभागियों की सूची

संख्या क्रमांक	नाम	संगठन
1	श्री एल्बो जैसन	ईएफएफआईसीओआर
2	श्री आदित्य पटनायक	अंत्योदय चेतना मंडल
3	श्री अलोक व्यास	सेंटर फॉर कम्यूनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टेन्ट सोसाइटी (सीईसीओईडीईसीओएन)
4	श्री अर्जुन फिलिप्स	वालेंटरी एक्शन नेटवर्क (वानी)
5	श्री दत्ता पाटिल	युवा रूरल एसोसिएशन
6	सुश्री देबिका गोस्वामी	इंस्टीट्यूट फॉर रूरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आईआरआरएडी)
7	सुश्री दिविता सांडिल्या	वालेंटरी एक्शन नेटवर्क (वानी)
8	श्री हर्ष जेटली	वालेंटरी एक्शन नेटवर्क (वानी)
9	श्री जॉन दयाल	ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल
10	डॉ. ज्योत्सना मोहन सिंह	वालेंटरी एक्शन नेटवर्क (वानी)
11	सुश्री ए. कलामणि	एपीएमएएस, हैदराबाद
12	श्री कुलदीप चंद	अर्पण सोसाइटी
13	श्री लॉरेंट ली डेनोइज	यूरोपियन यूनियन
14	डॉ. मजहर हुसैन	कॉन्फेडरेशन ऑफ वालेंटरी एसोसिएशन्स (सीओव्हीए)
15	सुश्री मीनू चावला	आईसीसीओ को–ऑपरेशन
16	श्री न्यूटन आइसैक	एपीएमएएस, हैदराबाद
17	श्री निखिल नस्कर	चाइल्ड इन नीड इंस्टिट्यूट (सीआईएनआई)
18	सुश्री निशू कौल	वालेंटरी एक्शन नेटवर्क (वानी)
19	सुश्री पारुल शर्मा	स्फीयर इंडिया

संख्या क्रमांक	नाम	संगठन
20	सुश्री पवनीत कौर	वालेंटरी एक्शन नेटवर्क (वानी)
21	सुश्री पूनम मुतरेजा	पापुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया
22	श्री अनिमेश गोम्स	वादा न तोड़ो अभियान
23	सुश्री रतन मंजरी	वालेंटरी एक्शन नेटवर्क (वानी)
24	सुश्री शीला जोर्ज	ईएफएफआईसीओआर
25	श्री सुभाष मित्तल	सोसिओ रिसर्च एंड रिफार्म फाउंडेशन (एसआरआरएफ)
26	श्री सुधीर चन्द्र	सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी), भारत सरकार
27	सुश्री तरुशिखा यादव	वालेंटरी एक्शन नेटवर्क (वानी)
28	डॉ. उपेन्द्र कुमार सिंह	सीडीईसीएस
29	सुश्री लीना भावत	इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी
30	श्री रंजीत कुमार झा	पीआरएएक्सआईएस
31	श्री अर्जुन तलवार	सीयूटीएस
32	सुश्री सोम्या बी.	पीआरएएक्सआईएस
33	श्री विज्येश लाल	ईएफआई
34	श्री जोसेफ थॉमस	आईसीसीओ इंडिया
35	जोसू डी. सूजा	-
36	मीचेल गोविंद राज	आईसीसीओ इंडिया
37	सत्यश्री गोस्वामी	कंसलटेंटध्एक्टिविस्ट
38	सैयद रफैय	वालेंटरी एक्शन नेटवर्क (वानी)
39	शालिनी सिंह	द वीक मैगजीन
40	श्री अनुप खोसला	कंसलटेंट
41	श्री एस. के. गोयल	सीटीएआर

वानी के प्रकाशनों की सूची

आर्थिक नीति

1. गैट, विश्व व्यापार संगठन और विकासशील देश (हिंदी एंव अंग्रेजी)
2. प्रपोजल्स फॉर नेशनल यूनियन बजट फॉर 1993–94रू एन अल्टरनेटिव टू द फण्ड बैंक डिक्टेटेड यूनियन बजट (अंग्रेजी)

पंचायती राज

1. लोकल सेल्फ–गवर्नेंस : द रोल ऑफ वालेंटरी ओर्गेनाइजेशन्स (हिंदी एंव अंग्रेजी)
2. नगरपालिका (74वीं संशोधन) एक्ट, 1992 रू द रोल ऑफ वालेंटरी ओर्गेनाइजेशन्स (हिंदी एंव अंग्रेजी)
3. स्टेट पंचायत एक्टस : ए क्रिटिकल रिवयू (हिंदी एंव अंग्रेजी)

सामाजिक विकास

1. समरी ऑफ डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ यूएन वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट (हिंदी एंव अंग्रेजी)
2. सामाजिक विकास पर राज्य रिपोर्ट : असमय बिहारय गुजरातय हरयाणाय कर्नाटकय केरलय महाराष्ट्रय मध्य प्रदेशय उड़ीसाय तमिलनाडुय उत्तर प्रदेशय पश्चिम बंगाल।
3. कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट : एन इनफार्मेशन गाइड (हिंदी एंव अंग्रेजी)

कानून और नियम

1. रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्सेज : टू रिव्यु एंड सिम्पलीफाय एक्ट्स, रूल्स, प्रोसेड्यूर्य अफ्फेक्टिंग वोलंटरी आर्गेनाइजेशन्स (हिंदी एंव अंग्रेजी)
2. लॉ, रुल्स एंड रेगूलेशन फॉर द वालेंटरी सेक्टर ऑफ द साउथ एशियन कांफ्रेन्स (अंग्रेजी)
3. एक्शन प्लान टू ब्रिंग एबाउट ए कोलेबरेटिव रिलेशनशिप बिटविन वालेंटरी आर्गेनाइजेशन्स एंड गवर्मेंट (हिंदी एंव अंग्रेजी)
4. एफसीआर बिल 2006 (मराठी)

स्वयंसेवा को बढ़ावा देना

1. यूथ एंड वालेंटरिज्म (हिंदी एंव अंग्रेजी)
2. इनटू द मीडिया वर्ल्ड : एन इंट्रोडकेशन टू मीडिया रिलेशन फॉर वालेंटरी एक्टिविस्ट्स
3. वालेंटरी डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन्स : द ग्वाइलडिंग प्रिंसिपल्स (हिंदी एंव अंग्रेजी)
4. नॉन– गवरेमेंटल आर्गेनाइजेशन्स : गाईडलाइल्स फॉर गुड एड प्रक्टिस (हिंदी एंव अंग्रेजी)
5. वालेंटरी आर्गेनाइजेशन्स रिस्पोंसिबल पार्टनर्स एन नेशन बिल्ड़िग (अंग्रेजी)
6. वालेंटरिज्म एंड पॉलिटिक्स (हिंदी एंव अंग्रेजी)

स्वयंसेवी सेक्टर के विषय में सामान्य मुद्दे

1. इंडियास लिविंग लेजेंड्स सेवेन्ट्स ऑफ वालेंटरी एक्शन (अंग्रेजी)
2. वालेंटरी आर्गेनाइजेशन्स रिस्पोंसिबल पार्टनर्स इन नेशनल बिल्ड़िग (अंग्रेजी)
3. द इलेक्शन प्रोसेस –वोटर्स नो – हाउ (हिंदी एंव अंग्रेजी)
4. वालेंटरिज्म एंड गवर्मेंट : पॉलिसी, प्रोग्राम एंड एसिसटेन्स
5. विजनिंग वालेंटरी सेक्टर इन एमरजिंग इंडिया : ए रिपोर्ट ऑन नेशनल कॉनवेन्सन 2006
6. स्टेटस ऑफ नरेगा इन छत्तीसगढ़ : की इशू एंड हार्द आप्शन्स, ए रिपोर्ट ऑन स्टेट ट्रिब्यूनल 206 (हिंदी एंव अंग्रेजी)
7. सिविल सोसाइटी सिक्यूरिटी एंड एड इन इंडिया : ए रिपोर्ट ऑन राउंडटेबल दिसंबर 2006 (हिंदी एंव अंग्रेजी)
8. नेशनल पॉलिसी ऑन द व्हीएस एंड एलेवन फाइव ईयर प्लान 2007
9. सिविल सोसाइटी एकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल्स एंड प्रेक्टिस (इंडिया टूल–किट) (अंग्रेजी)
10. एनेबलिंग इन्वायर्मेंट फॉर वालेंटरी आर्गेनाइजेशन्स ए ग्लोबल कम्पैन (बुक)
11. मॉडल पॉलिसीस फॉर इंटरनेशनल गुड गवर्नेंश इन वालेंटरी आर्गेनाइजेशन्स
12. द हैंड बुक गुड गवर्नेंश फॉर द वालेंटरी सेक्टर
13. स्टेटस ऑफ द वालेंटरी सेक्टर इन इंडिया ए रिर्पोट
14. स्टेटस ऑफ द वालेंटरी सेक्टर इन इंडिया (प्राइमर) (हिंदी एंव अंग्रेजी)
15. सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट इन एड इफेक्टिवनेश डिस्कोर्स
16. चौंजिंग डायनेमिक बिटविन व्हीओएस एंड प्राइवेट सेक्टर
17. इनवाल्विंग वालेंटरी आर्गेनाइजेशन्स इन गवर्मेंट प्लान्स एंड प्रोजेक्टस
18. इंडियास ग्लोबल फुटप्रिंट्स
19. रिविजिटिंग द नेशनल पॉलिसी ऑन वालेंटरी सेक्टर एंड नीड फॉर ए नेशनल पॉलिसी आन वालेंटेयरिंग
20. इंडियास डेवलपमेंट एसिसटेन्स : ट्रेंड्स चौलेंजेंस एंड इम्पलीकेशन्स फॉर सीएसओएस
21. इंडियास रोल इन द जी 20 रू ए सिविल सोसाइटी अप्रोच
22. चौलेंजेस ऑफ द ग्रासरुट लेवल आर्गेनाइजेशन्स ए प्राइमर ऑफ द स्टडी रिपोर्ट
23. कंट्रीब्यूशन ऑफ सीएसआर ऑन थिमेटिक इशूस ऑफ एजूकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रीशन, एंड वाटर एंड सेनीटेशन ए प्राइमर ऑफ द स्टडी रिपोर्ट

VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR
VANI

वानी का परिचय

वानी (वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया) स्वयंसेवी संगठनों की एक शीर्ष संस्था है।

- वर्ष 1988 में स्थापित यह संगठन स्वयंसेवी सेक्टर के प्रोत्साहक रक्षक और सामूहिक प्रवक्ता के रुप में कार्य करती है।
- भारत के 25 राज्यों के 800 स्वयंसेवी संगठन इसका आधार है।
- स्वयंसेवी संगठनों से संबंधित प्रकाशन, शोध कार्य, लेख, महत्वपूर्ण दस्तावेज और सूचना का केन्द्र स्त्रोत है।

उद्देश्य :

- स्वयंसेवा की पदोन्नति और स्वयंसेवी कार्यों के लिये धरातल के निर्माणों का एक मंच।
- एक नेटवर्क के रुप में स्वयंसेवी संस्थाओं को समान रुप से प्रभावित करने वाले मुद्दे और समस्याओं को आधार बनाकर स्वयंसेवी सेक्टर के लिये एक समुचित राष्ट्रीय एजेन्डा तैयार करना।
- एक संघ के रुप में मूल्य आधारित स्वयंसेवी कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाने और अपने सदस्यों के लंबे स्थायित्व के लिये कार्य करना।

कार्य क्षेत्र :

- स्वयंसेवी सेक्टर में सुशासन की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना।
- नेटवर्क को मजबूत करना।
- स्वयंसेवी सेक्टर की स्वतंत्र आवाज को अभिव्यक्त करना।
- स्वयंसेवी सेक्टर को प्रभावित करने वाले कानून और नीतियों पर शोध और पक्ष समर्थन।

वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वानी)
बी.बी. 5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव 2
नई दिल्ली – 110 048 (भारत)
फोनः 011–29228127, 29226632 टेलिफैक्सः 011–41435535
ईमेलः info@vaniindia.org; वेबसाइटः www.vaniindia.org